भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

(Website: www.rbi.org.in)

(केवल ई-टेंडरिंग/e-Tendering only)

निविदा दस्तावेज़/Tender Document

तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए बागवानी और उद्यान सेवाओं के लिए निविदा - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड़।

Tender for Horticulture and Gardening Services for the Bank's various properties located at Thiruvananthapuram – (a) Main Office Premises, Bakery Junction (b) Reserve Bank Officers' Quarters, Kowdiar and Reserve Bank Staff Quarters at (c) Thamalam, (d) Plamoodu and (e) Nanthancode

निविदाकार का नाम/Name of the Tenderer: _____

पता/Address: _____

_____

_____

_____

मोबाइल नं./Mobile no. _____

ई-मेल आईडी/E-mail ID _____

जमा करने की अंतिम तिथि/Due Date of Submission	**27 फरवरी, 2026 (अपराह्न 2:00 बजे तक)/February 27, 2026 (up to 14:00 hrs)**
निविदा की वैधता/Validity of Tender	निविदा के भाग 1 के खुलने की तिथि से 90 दिन और आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार/90 days from the date of opening of Part 1 of the tender and further extension of validity under mutual agreement
बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)/Pre-Bid Meeting (Offline)	13 फरवरी, 2026 को अपराह्न 3:00 बजे/15:00 hrs. on February 13, 2026

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(सिर्फ़ ई- खरीद के ज़रिए)

निविदा की अनुसूची (SOT)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (जिसे आगे 'बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर (बेकरी जंक्शन) और आवासीय कॉलोनियों (कवडियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड) में वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के तहत बागवानी और उद्यान सेवाओं के लिए दो भागों (भाग I – तकनीकी व वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली) में ई-टेंडर आमंत्रित करता है। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक विक्रेता / ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है। संविदा प्रारंभ में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक वैध होगा और बैंक के निर्णयानुसार, अधिकतम दो सालों तक, संतोषजनक प्रदर्शन और/या अन्य मापदंडों के अधीन, संविदा को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ई-निविदा का कार्यक्रम इस प्रकार है:

क. ई- निविदा का नाम:	तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए बागवानी और उद्यान सेवाओं के लिए निविदा – (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड़
ख. ई-निविदा संख्या:	RBI/Thiruvananthapuram Regional office/Estate/21/25-26/ET/862
ग. निविदा का तरीका	**ई-खरीद प्रणाली** (**भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली** और **पार्ट II – मूल्य बोली** www.mstcecommerce.com/eprocn) के ज़रिए
घ. कार्य की अनुमानित लागत	लगभग **₹45,00,000/- (केवल पैंतालीस लाख)** प्रति वर्ष सभी लागू करों सहित

ड़. बयाना राशि जमा (ईएमडी)	**₹90,000/- (केवल नब्बे हजार रुपये) NEFT या BG (अनुलग्नक ई के अनुसार**) के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में, एस्टेट विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में भौतिक रूप में भेजना होगा, 27 फरवरी, 2026 को 13:00 बजे से पहले। **₹90,000/- के EMD भुगतान के लिए NEFT की जानकारी** **लाभार्थी का नाम: ESTATE<स्पेस> Horticulture and Gardening <space>आपकी फर्म का नाम** **लाभार्थी खाता संख्या: 8614038** **IFSC: RBIS0THPA01** (5वां और 10वां अंक शून्य है) **टिप्पणी: ESTATE Horticulture and Gardening** लेनदेन संख्या और अन्य विवरण दर्शाने वाला रसीद का प्रमाण ई-निविदा दस्तावेजों के साथ ई- निविदा पोर्टल (MSTC) पर अपलोड किया जाएगा।
च. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	27 फरवरी 2026 को मध्याह्न 1:00 बजे तक
छ. प्रदर्शन बैंक गारंटी	निविदा मूल्य का 5% (सफल बोली लगाने वाले को जमा करना होगा)
ज. एनआईटी/ निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध	16 जनवरी 2026
झ . बोलीपूर्व बैठक की तारीख (ऑफलाइन)	13 फरवरी, 2026 को अपराह्न 3:00 बजे सम्मेलन कक्ष, सम्पदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम- 695033 में।
त्र. MSTC पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) पर तकनीकी व वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई- निविदा शुरू होने की तारीख	17 फरवरी 2026 को अपराह्न 6:00 बजे
ट. तकनीकी व वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	27 फरवरी, 2026 को अपराह्न 2:00 बजे

ठ. भाग-I (अर्थात् वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली) खुलने की तारीख और समय भाग- II (अर्थात् मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	27 फरवरी 2026 को अपराह्न 4:00 बजे भाग II मूल्य बोली सिर्फ़ उन बोलीदाता के लिए खोली जाएगी जिनकी भाग I: तकनीकी व वाणिज्यिक बोली आरबीआई, तिरुवनंतपुरम को मंज़ूर होगी। भाग II: मूल्य बोली खोलने की तारीख सफल बोलीदाता को वैध ई-मेल से बताई जाएगी।
ड. लेनदेन शुल्क	जैसा कि लागू हो और MSTC लिमिटेड द्वारा चार्ज किया गया हो। MSTC लिमिटेड या M/s. MSTC Ltd द्वारा सलाह अनुसार MSTC गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान।
ढ. निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैधता का आगे का विस्तार

2. विक्रेता ध्यान दें कि नए MSTC पोर्टल का पथ है www.mstcecommerce.com → eProcurement → Common Portal → Vendor Login।

3. जिन आवेदकों को निविदा जमा करने की इच्छा है, उन्हें आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य जमा करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। अन्यथा, बैंक उनके उम्मीदवारी को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। किसी भी परिस्थिति में बिना ईएमडी वाले निविदाओं का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. बैंक केवल कम मूल्य वाले निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक का अधिकार है कि वह टेंडर को पूरा या उसके किसी भाग को स्वीकार कर सकता है। बैंक सभी टेंडरों को किसी भी कारण बताए बिना अस्वीकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. भविष्य में जारी किए जाने वाले टेंडर में किए जाने वाले संशोधन / सुधार केवल आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
(केरल और लक्षद्वीप)

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उसके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस परियोजना को आगे न बढ़ाने, परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन न करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक इस मामले में इच्छुक किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग तिरुवनंतपुरम

तिरुवनंतपुरम में स्थित **बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए बागवानी और उद्यान सेवाओं के लिए ई-निविदा - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर,** कवडियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर निम्नलिखित स्थानों पर: (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड।

विषयसूची

क्रम संख्या	अनुभाग/अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ स.
		भाग I	
1	खंड I	ई-खरीद के लिए ज़रूरी निर्देश	09-13
2	खंड II	तकनीकी और मूल्य बोली के बारे में सामान्य निर्देश	14-19
3	खंड III	निविदा का प्रारूप	20-22
4	खंड IV	करार के लेख	23-46
5	खंड V	निविदाकर्ता के लिए सामान्य निर्देश और संविदा की खास शर्तें	47-55
6	खंड VI	व्याख्या खंड	56-61
7	धारा VII	नियम और शर्तें	62-65
8	धारा VIII	कार्य का विस्तृत दायरा	66-75
9	धारा IX	प्रस्तावना	76-77
10	खंड X	सुरक्षा कोड	78-79
11	धारा XI	अग्नि सुरक्षा कोड	80
12	अनुबंध ए	ग्राहक प्रमाणपत्र	81-82
13	अनुबंध बी	आपूर्तिकर्ता विवरण	83-84
14	अनुबंध सी	ईएमडी भुगतान संदर्भ	85
15	अनुबंध डी	प्रदर्शन प्रतिभूति जमाराशि के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप	86-89
16	अनुबंध ई	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रारूप	90-91
17	अनुबंध एफ	पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के पत्र कामों की जानकारी	92
18	अनुबंध जी	बायोडाटा फॉर्म	93
19	अनुबंध एच	किसी अनुसूचित बैंक से सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र	94
20	अनुबंध आई	बैंकों का विवरण	95
21	अनुबंध जे	लेबर रूल्स/रेगुलेशन के खिलाफ एम्प्लॉयर को हर्जाना देने के लिए प्रारूप	96
22	अनुबंध के	निविदा के भाग -1 के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ो की सची	97-98
		संदर्भ के लिए भाग II	
23	प्रारूप – I	मूल्य बोली	100-103

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में बागवानी और उद्यान सेवाओं के लिए ई-निविदा

भाग-I
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

जमा करने की आखिरी तारीख:	**27 फरवरी 2026 (अपराह्न 2:00 बजे तक)**
निविदा की वैधता:	**निविदा के भाग-I के खोलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैधता का आगे विस्तार**
बोली पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन):	**13 फरवरी 2026 को अपराह्न 3:00 बजे**

खंड I

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्य है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं।
2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (RBI – केवल कार्यालय समय के दौरान):

सीनियर	नाम	ईमेल आईडी	संपर्क नंबर।
1)	श्री हरिदास पीजी, सहायक महाप्रबंधक	pgharidas@rbi.org.in; estatethiro@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783030
2)	श्री प्रसाद चोरगे, सहायक प्रबंधक	prasadchorage@rbi.org.in;	फ़ोन: 0471 2783052
3)	श्री सुजित एम, सहायक	sujithmu@rbi.org.in;	फ़ोन: 0471 2783034

संपर्क व्यक्ति (MSTC Ltd) (सिर्फ़ कार्यालयीन समय में):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

फ़ोन नंबर :07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड – केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	ईमेल आईडी	लैंडलाइन नंबर	मोबाइल नंबर
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmstc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in; tvcopn3mstcindia.in	0471-2326686	08884600700

केरल शाखा कार्यालय विवरण:

पता: पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, प्रतिमा, तिरुवनंतपुरम-695001	मेल आईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686

मार्गदर्शक:

1. सिस्टम अनिवार्यता:

विवरण के लिए, विक्रेता https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध **डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है**

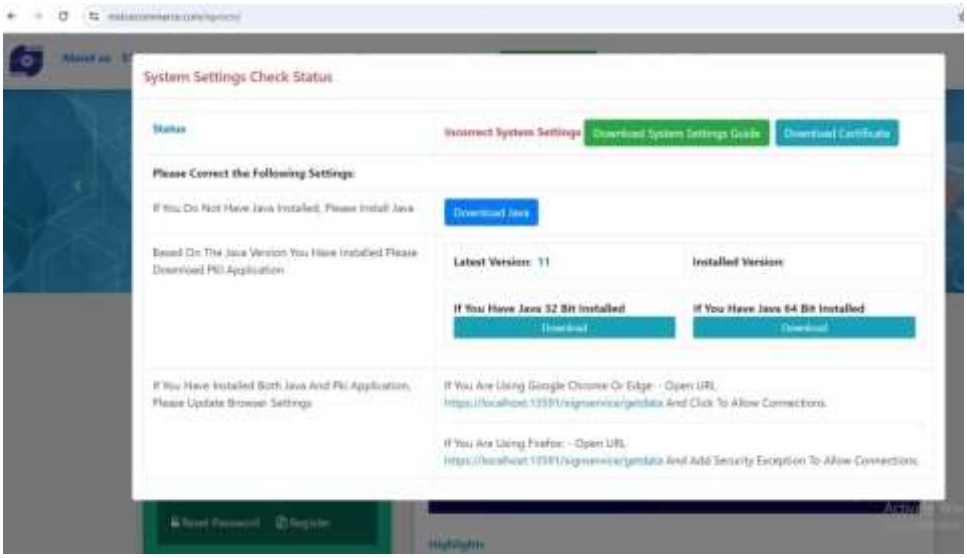

<u>2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट :</u> विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

<u>लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है</u> । लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

<u>नोट</u> : बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

<u>5. ई-निविदा में बोली लगाना</u> :

नोट: विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में ***दस्तावेज़ अपलोड करें*** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई - निविदा के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

a) बोलीदाताओं आवश्यक है कि वे ईएमडी, ई - निविदा शुल्क, यदि कोई हो, जमा करें और ई - निविदा के लिए अलग से लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा।
b) इस प्रक्रिया में तकनीकि वाणिज्कि बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है ।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, तो ही वे अपनी तकनीकि वाणिज्कि बोलियां और मूल्य बोलियां इंटरनेट के माध्यम से ही केवल एमएसटीसी की वेबसाइट **www.mstcecommerce.com** →ई – प्रोक्यूरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

c) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा । फिर विक्रेता को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए । टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद , बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए ' सेव ' पर क्लिक करना चाहिए । ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए " सेव " पर क्लिक करना चाहिए । फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए " फाइनल सबमिशन " बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " बोली हटाएं " विकल्प दिखाया जाएगा । यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

a) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए ।

b) संपूर्ण ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

c) ई - निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा ।

d) ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी । किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा।

e) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी **III** हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

f) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

g) - निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है । किसी भी बोलीदाता द्वारा ई - निविदा फ़्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई - निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है ।

h) माप की इकाई (यूओएम) ई - निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है । उद्धृत की जाने वाली दर ई - -निविदा फ्लोर / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए ।

निविदा के भाग I के खोलने के बाद निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है।

किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से होने वाला कोई भी ऑर्डर उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है। वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें तथा www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी सहित कुल लागत की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले सभी ठेकेदारों को इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण तथा अन्य विनिर्देश/नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए। निष्पादन एवं दर उद्देश्य के लिए, इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरण को लागू किया जाएगा।

खंड – II

तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य बोलियों के बारे में सामान्य निर्देश (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ने के लिए)

1.1. **भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव)**

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए बागवानी और उद्यान सेवाएँ प्रदान करने हेतु दो भागों में ई-टेंडर आमंत्रित करता है, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारी के क्वार्टर, कवड़ियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड में हैं। अनुमानित लागत ₹45,00,000/- प्रति वर्ष है, जिसमें जीएसटी शामिल है।

1.2. निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

जो कंपनी/फर्म/एजेंसी निम्नलिखित पूर्व पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

क्रम.	मानदंड	आवश्यकता
1	पिछले अनुभव की अवधि	आवेदक के पास कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए जिसमें समान कार्यों का निष्पादन शामिल हो, जो उस महीने के पिछले महीने के अंतिम दिन तक समाप्त हुआ हो जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक को अपने पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपने क्लाइंट की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। इस सूची में क्लाइंट का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य की शुरुआत और समाप्ति की तिथि, आदि जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। आवेदक को न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य
2	प्रत्येक पूरा किए हुए कार्य का न्यूनतम मान (पात्रता प्राप्त)	पिछले 5 वर्षों में, जिस महीने में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उसके पिछले महीने की अंतिम तिथि तक सफलतापूर्वक समान कार्यों के पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: तीन समान कार्य प्रत्येक जिसकी लागत अनुमानित लागत के 40% (अर्थात ₹18,00,000/- प्रति वर्ष) से कम न हो या दो समान कार्य प्रत्येक जिसकी लागत अनुमानित लागत के 50% (अर्थात ₹22,50,000/- प्रति वर्ष) से कम न हो या एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अर्थात ₹36,00,000/- प्रति वर्ष) से कम न हो।
3	वार्षिक कारोबार	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कारोबार अनुमानित लागत (₹45,00,000/-) के बराबर होना चाहिए, अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक। (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट या CA से कारोबार प्रमाण पत्र आईटीआर की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए)
4	शोधन क्षमता प्रमाणपत्र	आवेदक के बैंक द्वारा जारी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए, विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य के लिए, जो अनुमानित लागत (₹45,00,000/-) के बराबर न्यूनतम राशि के लिए हो।

निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए और संबंधित दस्तावेज जमा करने चाहिए ताकि बैंक उनके टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता के बारे में आश्वस्त हो सके, साथ ही टेंडर फॉर्म के साथ।

कृपया खंड II के पैराग्राफ 1.4 का संदर्भ लें।

1.3. कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण

a) कंपनी/फर्म/एजेंसी के पूरे विवरण को विस्तार से प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि यह एक कंपनी है, तो कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ असोसिएशन और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि यह एक साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी डीड, मुख्तारनामा (यदि कोई हो) और फर्म में शामिल सभी साझेदारों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है; और यदि यह एक एजेंसी या एकल स्वामित्व है, तो इसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, नाम और पता आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।
b) पूर्व-योग्यता मानदंडों में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए किसी अन्य केंद्र में किए गए कार्यों का पिछले अनुभव, यदि कोई हो, का विवरण और दस्तावेज़ी प्रमाण भी दिया जाना चाहिए।

c) आयकर मूल्यांकन आदेशों के साथ नवीनतम अंतिम आदेश और बैंकों से क्रेडिट योग्यता प्रमाणपत्र, जिसमें ठेकेदार के व्यवसाय के निर्दिष्ट खातों की प्रति पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो, क्रेडिट योग्यता और पिछले तीन वर्षों के कारोबार के प्रमाण के रूप में संलग्न किए जाने चाहिए।

d) बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी पूरी विवरण के साथ जैसे नाम, वर्तमान संपर्क डाक पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (कार्यकारी अधिकारियों का लैंडलाइन और मोबाइल नंबर आदि) यानी ऐसे व्यक्ति जिनसे बैंक के कार्यालय में जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है, प्रदान की जानी चाहिए।

1.4. दस्तावेज़ जो अपलोड होने चाहिए

(i) ऑनलाइन 'mstcecommerce' पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर सबमिशन के दौरान मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति PDF फ़ॉर्मेट में अपलोड की जाए (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए):

a) पिछले 3 लेखा वर्षों के ऑडिट किए गए या CA द्वारा प्रमाणित खाता विवरण।
b) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विभाग के साथ दाखिल किए गए आयकर रिटर्न।
c) लागू कर पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसे PAN, GST आदि।
d) संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
e) ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाणपत्र और ई.एस.आई. पंजीकरण प्रमाणपत्र।
f) टेंडर देने वाले के बैंकर्स द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से जारी सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए हो, ताकि टेंडर देने वाले की वित्तीय स्थिति का संकेत दिया जा सके।
g) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय से।

h) एमएसएमई फर्म के लिए एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र।

i) कार्यों के ग्राहक-वार नाम, कार्यों के निष्पादन का वर्ष, सौंपे गए और वास्तविक लागत, उन अधिकारियों/प्राधिकरणों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया, प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ग्राहक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जमा करनी होगी (अनुबंध A.pdf)।

j) कार्य अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज, जो कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाण-पत्र और अन्य विवरणों द्वारा समर्थित हों। (ऊपर 1.3 (b) देखें)

k) टेंडर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर कंपनी/फर्म/एजेंसी की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी / प्राधिकरण।

l) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो बोलेदार प्रस्तुत करना चाहता है।

m) कंपनी/फर्म/एजेंसी के बैंक खाता विवरण निर्धारित प्रारूप में (परिशिष्ट B)

n) NEFT के माध्यम से EMD भुगतान विवरण (परिशिष्ट C)

o) निविदा दाता को एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह घोषित किया गया हो कि उन्हें किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही किसी संगठन द्वारा किसी भी आधार पर निलंबित/काला-नामांकित किया गया है। निविदा दाता को इससे संबंधित किसी भी निष्पादित कार्य में लंबित किसी भी नागर मुकदमे का विवरण भी प्रदान करना होगा।

p) तथ्यों/सूचना की छिपाने और इसके बाद पता लगने, गलत जानकारी/जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर अनुबंध रद्द करने या निविदा का तुरंत अस्वीकार करने का जोखिम हो सकता है।

1.5. आवेदन करने का इरादा रखने वाले उम्मीदवारों को बैंक को यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे कि वे आवश्यक योग्यता रखते हैं, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो बैंक अपने विवेक पर उनके आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.6. इच्छुक निविदाकर्ता को ₹90,000/- (केवल नब्बे हजार रुपये) की अनुमानित लागत का 2% ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में, तिरुवनंतपुरम में भुगतान योग्य हो।
या
ईएमडी को NEFT के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, जिसमें ESTATE<space>आपकी कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम, खाता संख्या: 8614038 & IFSC: RBIS0THPA01 के पक्ष में NIT में दिए गए दिनांक से पहले।

1.7. जिन टेंडरों के साथ टेंडर में निर्धारित बयाना जमा राशि (Earnest Money Deposit) नहीं है, उन्हें गैर-वैध निविदा माना जाएगा और किसी भी स्थिति में स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

1.8. किसी भी स्थिति में, ईएमडी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.9. यदि बोलीदाता टेंडर की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या अनुबंध या कार्य के निष्पादन में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

1.10. सफल बोलीदाता का ईएमडी बैंक द्वारा वापिस कर दिया जाएगा जब सफल बोलीदाता प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करेगा और बैंक के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जिस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। असफल बोलीदारों का ईएमडी अनुबंध के आवंटन पर बिना किसी ब्याज के लौटाया जाएगा। यदि बोलीदाता निविदा की वैधता के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

1.11. सफल बोलीदाता को दो सप्ताह के भीतर संविदा के सभी नियमों और शर्तों को शामिल करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, जो कि पुरस्कार पत्र जारी होने की तिथि या कार्य प्रारंभ होने की तिथि में से जो भी पहले हो, उस तिथि से शुरू होते हैं। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या नियत तिथि पर कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता है, तो कार्य प्रदान करने वाला पत्र रद्द मान लिया जाएगा और जमा किया गया ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, बैंक को ऐसे व्यक्ति / एजेंसियों / कंपनियों को किसी भी निविदाओं में भाग लेने या बैंक में किसी भी कार्य को करने से तीन वर्षों तक प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक ऐसे बोलीदाताओं को वजह बताने के लिए सात दिन की नोटिस (एससीएन) दे सकता है और अंतिम निर्णय लेने से पहले एससीएन में प्रस्तुत किसी भी उत्तर पर विचार कर सकता है। इस संबंध में महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) (केरल और लक्षद्वीप) का निर्णय अंतिम होगा।

1.12. बोलीदाता को सभी संबंधित दस्तावेज़, रिपोर्टें और अन्य विवरण जो निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उन्हें निविदा जमा करने की नियत तारीख तक जमा करना होगा। हालांकि, बैंक को किसी भी या सभी बोलियोंदाताओं से स्पष्टीकरण, प्रमाणपत्र, रिपोर्ट या कोई अन्य संबंधित जानकारी माँगने का अधिकार सुरक्षित है, जो पात्रता मानदंड का भाग बनेंगे, भले ही यह निविदा जमा करने की नियत तारीख के बाद हो। बोलीदाता को इसे बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा बैंक को बोलीदाता को अयोग्य मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

1.13. बोलियों को प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता सामान्य शर्तों और नियमों, कार्य की सीमा और सभी अन्य निर्देशों को देख सकते हैं जिनके आधार पर बैंक द्वारा कार्य आवंटित किया जाएगा और सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक होगा। बोलीदाता विशिष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सामान्य शर्तें और नियम संकेतात्मक प्रकृति के हैं और ये बैंक को यह रोकने के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि वह बोलीदाता से इन शर्तों और नियमों के अतिरिक्त या अन्य शर्तों और नियमों पर सहमति प्राप्त करे, अथवा उन शर्तों और नियमों को बदलने, संशोधित करने या हटाने के लिए कह सके, जो इस टेंडर के तहत आवंटित किए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक माने जाते हैं।

2. भाग- II (मूल्य बोली)

निविदा का भाग - II कोई शर्तें नहीं रखेगा बल्कि केवल निविदाकार की मूल्य बोली होगी और यह भाग-I निविदा की शर्तों के उचित अनुपालन के बाद ऑनलाइन खोला जाएगा। भाग II में पाए जाने वाले शर्तों और तकनीकी विचलनों में कोई परिवर्तन माना नहीं जाएगा और इसे शून्य और अमान्य माना जाएगा।

I. **स्थिर घटक:**
A) बागवानी और उद्यान सेवा के लिए तैनात पर्यवेक्षक और कार्य कर्मचारियों का वेतन (जिसमें न्यूनतम वेतन (भारत सरकार), EPF @13%, ESI और न्यूनतम बोनस 8.33% शामिल है) भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार।

II. परिवर्तनीय घटक:
B) सेवा शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं:
a) उपकरण / यंत्र / सहायक उपकरण और परिवहन प्रदान करने के शुल्क।
b) बीमा शुल्क (WC पॉलिसी, TPL पॉलिसी)
c) ओवरहेड्स (न्यूनतम वेतन और न्यूनतम बोनस से ऊपर का भुगतान)

d) वर्दी, बैज और दस्ताने आदि प्रदान करने के शुल्क।
e) ठेकेदार का लाभ
f) कानूनी घटकों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए

2.1. मूल्य बोली में ठेकेदार द्वारा पेश की गई कोटेशन निश्चित और अंतिम होगी और बैंक ठेके की अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे को स्वीकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि न्यूनतम मजदूरी की केवल दो घटकों में परिवर्तन होने पर, अर्थात् बुनियादी दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA), जैसा कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। मासिक अनुबंध राशि में ऐसे वृद्धि की राशि, मासिक जिम्मेदारियों के अनुपात में, केवल बुनियादी दरों और परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) में वृद्धि तक सीमित होगी और किसी अन्य घटक जो वेतन या भत्ते का हिस्सा है और जो कानूनी प्रकृति के हैं, जैसे EPF, ESI, बोनस आदि, जो बुनियादी दरों और/या परिवर्ती महंगाई भत्ते (VDA) पर निर्भर हैं, उन्हें बैंक मासिक अनुबंध राशि में संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। ठेकेदार को इन कानूनी घटकों के संभावित वृद्धि दरों को, बेसिक दरों और वी.डी.ए. के अलावा, ध्यान में रखना चाहिए और अपने सर्वोत्तम दरें इस तरह से प्रस्तावित करनी चाहिए कि इन अतिरिक्त लागतों को मूल्य बोली में समायोजित किया जा सके। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

2.2. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों से सभी वैधानिक कटौतियां, जहां लागू हों, की जाएंगी। इसलिए, मूल्य निविदा सभी शामिल होगी। स्थायी घटक में शामिल वैधानिक कटौतियां जैसे कि EPF, ESI आदि केवल दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की जाएंगी।

2.3. उन निविदाकर्ताओं की निविदाएँ जो किसी भी मूल्य बोली के घटक के लिए जानबूझकर या गलती से असंगत रूप से कम बोली देते हैं, अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होंगी और ऐसे निविदाकर्ता, भले ही पात्र उद्धरणों में सबसे कम मूल्य की पेशकश कर रहे हों, पात्र निविदाकर्ताओं में सफल निविदाकर्ता के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। बैंक उनके दर विश्लेषण / विभाजन और टिप्पणियाँ बैंक द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर मांग सकता है। हालांकि, कुल अनुबंध राशि, यदि कर्मचारियों की श्रेणी और संबंधित वैधानिक घटकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त पाई जाती है, तो उसे संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसे निविदाकर्ता, भले ही पात्र उद्धरणों में सबसे कम मूल्य की पेशकश कर रहे हों, पात्र निविदाकर्ताओं में सफल निविदाकर्ता के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार की अयोग्यता के संबंध में बैंक का निर्णय निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।

2.4. मूल्य बोली में कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा नियुक्त कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले यूनिफ़ॉर्म, जूते, पहचान पत्र और सुरक्षा उपकरण की लागत शामिल होनी चाहिए।

2.5. मूल्य बोली में केवल भारतीय रुपये में अंक और शब्दों में भरी कीमत शामिल होनी चाहिए और कोई भी शर्त इसे अस्वीकार के लिए पात्र बना सकती है।

2.6. मूल्य बोली का सभी पहलुओं में पूर्ति बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की जानी चाहिए।

3. निविदा को खोलना

जैसा कि यहां अनुभाग – I में निविदा उद्घाटन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में बताया गया है।

3.1. निविदा की वैधता: Part-I खोलने की तिथि से 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए निविदा और मूल्य मान्य रहेंगे, जिसे आगे आपसी लेखी सहमति से बैंक और निविदाकर द्वारा बढ़ाया जा सकता है और इस अवधि के दौरान निविदाकार निविदा रद्द या वापस नहीं करेगा और न ही उद्धृत दरों को बदल सकता है।

3.2. उन निविदा दस्तावेजों को जो निविदा फ़ॉर्म में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.3. शर्तों के साथ दी गई बोलियाँ भी तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।

3.4. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की पार्ट- II (मूल्य बोली) खोली जाएगी जो तकनीकी बोली (पार्ट- I) में योग्य पाए जाते हैं, और इसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को बाद में सूचना दी जाएगी।

3.5. बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना किसी कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

सूचना: सभी निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि यदि भविष्य में निविदा में कोई संशोधन / सुधार जारी किया जाता है, तो इसकी सूचना केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट और MSTC ई-कॉमर्स वेबसाइट पर दी जाएगी, जैसा कि ऊपर उल्लेख है, और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

खंड – III

निविदा का प्रारूप

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
केरल और लक्षद्वीप के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक बेकरी जंक्शन
तिरुवनंतपुरम - 695033

स्थान
तारीख:

महोदया/महोदय,

हमने सावधानीपूर्वक उस ज्ञापन में वर्णित कार्यों से संबंधित विशिष्टताओं, कार्य के दायरे और मात्रा अनुसूची की जांच की है, और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य स्थल का निरीक्षण और परीक्षण किया है और निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। हम यहां प्रस्तुत ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय में पूरा करने की पेशकश करते हैं, निविदा के भाग II में उल्लिखित दरों पर और संविदा के अनुच्छेदों, निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों, पूर्वोक्त शर्तों, विशिष्टताओं, मात्रा अनुसूची और उन सामग्रियों के अनुसार, जो प्रदान की गई हैं, अन्य सभी मामलों में लागू शर्तों के अनुसार।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए **बागवानी और उद्यान सेवाएं** - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और नंत्तनकोड। **नोट: काम की पूरी जानकारी के लिए कृपया सेक्शन VIII देखें।**
(बी)	कार्य की अनुमानित लागत	₹45,00,000/- प्रति वर्ष (सभी करों सहित)
(सी)	ईएमडी के भुगतान का तरीका	धारा I की उपधारा 1.6 के अनुसार (तकनीकी और मूल्य बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश)
(डी)	बयाना राशि	₹90,000/- (केवल नब्बे हज़ार रुपये) (काम की कुल अनुमानित लागत का 2%)
(ई)	संविदा की वैधता	एक वर्ष (आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में उल्लिखित शर्तों और उचित प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक नवीनीकरण के लिए)
(एफ)	प्रदर्शन की गारंटी	प्रस्तावित मूल्य राशि का 5% (सफल एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है – (परिशिष्ट डी))

2. हम यह संकल्प लेते हैं कि हम ₹90,000/- (केवल नब्बे हज़ार रुपये) की राशि को आरंभिक जमा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करेंगे।

3. हम यह भी सहमत हैं कि हमारा निविदा आरंभिक भाग I के उद्घाटन की तारीख से बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए 90 दिनों तक वैध रहेगा और यह वैधता अवधि उस अवधि तक बढ़ाई जा सकती है जैसा कि बैंक और हम आपसी सहमति से लिखित रूप में तय करेंगे।

4. मैं/हम यह भी सहमत हैं कि वैधता अवधि या किसी अन्य आपसी रूप से सहमत बढ़ाई गई अवधि के दौरान इसके नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेंगे। हम यह भी सहमत हैं कि बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में टेंडर की पूरी वैधता अवधि के लिए मान्य बनाए रखना या निविदा / संविदा की पूरी वैधता अवधि के लिए आरबीआई के पास सुरक्षा जमा जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

5. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहां इस बात के लिए सहमत हैं कि निविदा की सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, जब तक कि वे लागू होते हैं, और यदि ऐसा न किया गया तो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उन राशि का नुकसान उठाने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जो निविदा में उल्लिखित शर्तों में निर्दिष्ट हैं, साथ ही अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ।

6. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम बोली और किसी भी या सभी निविदाओं को पूरी तरह या भाग में स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, बिना किसी कारण का उल्लेख किए। मैंने/हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ₹90,000/- की राशि प्रतिभूति धन के रूप में जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हमें अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता होती है जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो हम यहाँ स्वीकार करते हैं कि यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त की जाएगी।

7. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी व्यावसायिक शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रपत्र में मूल्य बोली शामिल है।हमारी फर्म/कंपनी के पार्टनर्स के नाम हैं:

फर्म के भागीदार/निदेशक का नाम जिसे हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है या/	
उस व्यक्ति का नाम जिसके पास संविदा पर हस्ताक्षर करने की मुख्तारनामा है (मुख्तारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए)	

भवदीय,

_____

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तारीख:

साक्षी:

(1) _____ (2) _____

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

नाम: नाम:

पता: पता:

दिनांक: दिनांक:

खंड IV
करार की शर्तें

यह करार तिरुवनंतपुरम में दिनांक _____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक निगम निकाय है, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, और तिरुवनंतपुरम में एक कार्यालय है, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695033 (जिसे आगे "नियोक्ता"/"बैंक" कहा जाएगा) के एक पक्ष और (स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी/एजेंसी), कंपनियों के अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित (यदि कम्पनी है) और जिसका पंजीकृत कार्यालय (जिसे आगे " संविदाकार " कहा जाएगा) है, द्वारा श्री ..... के माध्यम से जो अपनी निदेशक मंडल द्वारा इस करार में प्रवेश करने के लिए अधिकृत है, के दूसरे पक्ष के बीच निष्पादित किया गया है।

This AGREEMENT is made at Thiruvananthapuram on this day of_____, 2026 between Reserve Bank of India, a statutory body established under the Reserve Bank of India Act, 1934, having its Central Office at Mumbai, and one of its Offices at Thiruvananthapuram, represented by its authorized officer i.e., General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Bakery Junction, Thiruvananthapuram-695033 (hereinafter called "the **Employer**"/ "the **Bank**" on the one part and (proprietorship/partnership firm/Company/Agency), incorporated under the provisions of the Companies Act (in case of a Company) and having its registered office at (hereinafter called "the **Contractor**") represented by Shri …… who is authorized to enter this agreement by its Board of Directors on the other part.

और जबकि नियोक्ता का इरादा ठेकेदार को तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए सेवाएं बागवानी और उद्यान सेवाएं प्रदान करने के लिए संलग्न करना है - (क) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (ख) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (ग) तम्मलम, (घ) प्लामूडू और (ङ) नंत्तनकोड़ के लिए।

AND WHEREAS the Employer has the intention of engaging the Contractor to provide Horticulture and Gardening Services for the Bank's various properties located at Thiruvananthapuram – (a) Main Office Premises, Bakery Junction, (b) Reserve Bank Officers' Quarters, Kowdiar and Reserve Bank Staff Quarters at (c) Thamalam, (d) Plamoodu and (e) Nanthancode.

और जहां ठेकेदार ने उन शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है जो यहां निर्धारित की गई हैं और विशेष शर्तों और करार की शर्तों में निर्धारित की गई हैं और बाद में आपसी सहमति से किए गए परिवर्धनों/कमी से स्पष्ट रूप से और निहित रूप से सहमति के अनुसार, और वार्षिक रखरखाव करार (एएमसी) की स्वाभाविकता से, जिन सभी को यहां सामूहिक रूप से "शर्तें" कहा जाता है, उन कार्यों को करने के लिए जिनका वर्णन एएमसी दर पर किया गया है, जो इस करार के तहत देय होगा (जिसे यहां एएमसी करार राशि कहा गया है)।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions set forth in the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special

Conditions and in Conditions of Contract and as amplified /curtailed by subsequent additions/deletions mutually agreed upon, originally agreed both expressly and impliedly and also naturally flowing out of the nature of Annual Maintenance Contract (AMC) (all of which are collectively hereinafter referred to as the said "Conditions") the works described in the said scope of work at the AMC rate as shall become payable thereunder (hereunder referred to as the said AMC contract amount).

A. अब इस पर निम्नलिखित सहमती व्यक्त की जाती है:
NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. यह करार 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगा और यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अधीन प्रति वर्ष, दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान की जाएं और जब तक इसे नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार पहले समाप्त नहीं किया जाता। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

This agreement will come into effect from April 01, 2026 and will remain in force up to March 31, 2027 and is annually extendable up to two more years, subject to mutual consent of both parties, on satisfactory services being rendered by the Contractor and unless it is terminated earlier as per the terms hereinafter contained. The decision of the Bank in this regard will be final.

2. उक्त वार्षिक रखरखाव करार की राशि के विचार में जो कि उक्त शर्तों/ वार्षिक रखरखाव करार पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तरीके से अदा की जानी है, ठेकेदार उन शर्तों के अधीन उक्त कार्य क्षेत्र में वर्णित कार्य को पूरा और निष्पादित करेगा।

In consideration of the said AMC contract amount to be paid in the manner set forth in the said conditions/AMC Award Letter, the Contractor shall upon and subject to the said conditions execute and complete the work described in the said scope of work.

3. बैंक ठेकेदार को निर्धारित शर्तों में निर्दिष्ट समयों और तरीके से संविदा की राशि का भुगतान करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the said contract amount at the times and in the manner specified in the said conditions.

4. बैंक स्रोत पर कर (TDS) की कटौती उचित दर पर आय कर विभाग और जीएसटी विभाग के समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार करेगा, और किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली अन्य कटौतियों के लिए भी, और संबंधित अधिनियम में निर्दिष्ट तरीके से समय सीमा के भीतर उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ठेकेदार पर होगी, इससे पहले कि बैंक द्वारा उस कर और अन्य कटौती की जा रही हो। बैंक की ओर से अधिकृत प्राधिकारी उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम है।

The Bank shall deduct Tax at Source (TDS) at the appropriate rate as per extant guidelines of the Income Tax department and GST department, provided from time to time and such other deduction under any other statute and the onus of producing appropriate certificate for non-deduction as provided in the relevant statute by way of

intimation within the time limit and before such tax and other such deduction is being made by the Bank shall be on the Contractor.
The Deputy General Manager/Assistant General Manager, Estate Department, Thiruvananthapuram is the Authority authorized on behalf of the Bank.

5. वार्षिक रखरखाव करार प्रदान पत्र, करार और यहाँ उल्लिखित दस्तावेज़ करार का आधार निर्माण करेंगे।

The AMC award letter, agreement and document mentioned herein shall form the basis Contract.

6. करार का नवीनीकरण समान शर्तों और परिस्थितियों पर होगा। निविदा दस्तावेज़ में निहित शर्तें और परिस्थितियाँ तथा जारी किया गया कोई भी स्पष्टीकरण (सुधार) इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। वार्षिक रखरखाव करार नवीनीकरण के दौरान, वार्षिक रखरखाव करार राशि में अधिकतम अनुमत वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर होगी, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।
The renewal of the contract shall be on the same terms and conditions. The terms and conditions contained in the tender document and any clarifications (corrigenda) issued shall be treated as part and parcel of this agreement and shall be binding on the parties. During the annual renewal of the AMC, the maximum permissible increase in AMC amount will be based on increase in Consumer Price Index as decided by the Bank.

7. करार को अधिकतम दो वर्षों के लिए उसी शर्तों और नियमों पर आगे नवीनीकरण के लिए विचार में लिया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक ठेकेदार की सेवाओं को संतोषजनक पाए और यदि बैंक ऐसा चाहता है। नवीनीकरण के दौरान, जब भी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत मुख्य आयुक्त (केंद्र सरकार) द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो कर्मचारियों की तैनाती के लिए वृद्धि दी जाएगी।
The contract could be considered for further renewal for a maximum of two years on the same terms and conditions, provided the Bank finds the services of the Contractor satisfactory and if the Bank desires so. Also, during renewal, escalation/increase will be given for deployment of workers whenever the notification issued by Chief Commissioner (Central Government) under the provision of Minimum Wages Act 1948.

8. ₹_____(रुपये_____केवल) की सहमति शुल्क में कार्य की परिधि और करार की शर्तों के अनुसार सेवा के प्रभावी प्रदर्शन के लिए उपयोग की गई मानव शक्ति और सामग्री दोनों शामिल होंगे और यह ठेकेदार द्वारा बिल/इनवॉइस प्रस्तुत करने के अधीन महीने के आधार पर देय होंगे। इसके लिए भुगतान तभी किया जाएगा जब इसे बैंक के अधिकारियों द्वारा इस प्रभाव में सही तरीके से प्रमाणित किया गया हो कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं, वैधानिक कटौतियों के अधीन।

The agreed charges of ₹ _____(Rupees_____only) will be inclusive of both manpower and materials used for efficient rendering of service as per the scope of work and terms and conditions of the contract and shall be payable on monthly basis subject to submission of bill/invoice by the Contractor. The payment thereon will be made after the same is duly certified by the Bank's officials to the effect that the services have been provided satisfactorily, subject to statutory deductions.

9. उपरोक्त शुल्क निश्चित हैं और श्रम की स्थितियों, विनिमय परिवर्तनों या किसी अन्य स्थिति के अधीन नहीं हैं।
The above charges are firm and not subject to labour conditions, exchange variations or any other condition whatsoever.

10. उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी, बीमा शुल्क, किसी अन्य कर और शुल्क या अन्य उपकर शामिल नहीं हैं, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए हो।
The above charges exclude GST, Insurance charges, any other tax and duty or other levy, whether existing or levied in future by the Central Government or the State Government or any local authority.

11. ठेकेदार नियमित आधार पर कार्य के क्षेत्र और करार की शर्तों और नियमों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
The Contractor shall be responsible for providing services on regular basis as per the scope of work and terms and conditions of the contract.

12. भारतीय रिजर्व बैंक कार्यों की देखरेख और प्रशासन का प्रबंधन करेगा जिसमें बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से बिलों का प्रमाणन, भुगतान करना और करार की विभिन्न शर्तों, स्थितियों और प्रावधानों का कार्यान्वयन, कार्य का निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, करार की प्रगति और पूर्णता शामिल है।
The Reserve Bank of India will administer and arrange for supervision of works through the Bank's staff including certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract, execution of the work, quality of work, quality of materials, progress and completion of the contract.

B. ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
SERVICES TO BE RENDERED BY THE CONTRACTOR

1. उक्त शर्तें और इसके साथ संलग्न पत्राचार इस करार का हिस्सा माना जाएगा और इस करार में शामिल पक्षों को संबंधित रूप से उन शर्तों और पत्राचारों का पालन करना पड़ेगा और उन शर्तों और पत्राचारों के अनुसार अपनी ओर से करार को पूरा करना होगा।
The said conditions and the correspondence attached hereto shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and the correspondence and perform the agreements on their part respectively as per the said conditions and the correspondence contained therein.

2 यह संविदा एक निश्चित संपूर्ण राशि की संविदा है, जो अनुच्छेद VIII में विस्तृत कार्य सीमा के अनुसार कार्य करने के लिए है, जिसे संविदा (भाग II) की वित्तीय बोली में शामिल किया गया है।
This Contract is a fixed lump sum contract, to carry out the work according to the scope of work detailed in **Section VIII,** at the rates contained in the Price Bid of the Tender (Part II).

3. ठेकेदार मुख्य कार्यालय भवन और उसके अधिकारियों और कर्मचारी निवासों में नियुक्त सभी कर्मचारियों की एक पूरा और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
The Contractor shall provide a complete and updated list of all the personnel deployed in the Bank's Main Office Building and also at its Officers' and Staff Quarters.

4. करार प्रदान के 20 दिनों के भीतर, ठेकेदार को बैंक के परिसर में ड्यूटी पर लगाने से पहले, सभी कर्मियों के नाम, उम्र और स्थायी पते से संबंधित विवरण, साथ में एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रस्तुत करनी होगी।
Within 20 days of award of contract, the Contractor has to furnish details of all its personnel relating to name, age and permanent address, along with a passport size photograph before engaging them for duty in the Bank's premises.

5. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को तैनात किया जाए, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और जो किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त न हों जो उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं। ठेकेदार 18 वर्ष की आयु से कम किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।
The Contractor shall ensure that trained and competent persons are deployed, who are physically fit and that they are not suffering from any chronic or contagious diseases that may hamper their ability in carrying out the work efficiently. The contractor shall not employee any person below the age of 18 yrs.

6. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी श्रमिक या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारियों के रूप में माने जाएंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रखेगा।
All the workers or employees deployed by the contractor shall be considered as the employees of the Contractor and Reserve Bank of India shall not have any liability whatsoever in nature in regard to such workers/employees.

7. ठेकेदार इस करार के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएँ देने के लिए नियोजित व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी बकाया के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।
The contractor shall be responsible and liable for payment of salaries, statutory minimum wages and other legal dues to the persons who are employed for the purpose of rendering the services required by the Bank under the agreement.

8. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों को वेतन/वेतन का भुगतान समय पर चेक या बैंक खाते में जमा करके किया जाए और वेतन/वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए, हर महीने नियोक्ता को प्रमाण पत्र और ऐसे भुगतान और कानूनी आवश्यकताओं जहाँ भी लागू हो, जैसे कि EPFO, ESIC आदि के लिए जमा दस्तावेज़ी प्रमाण प्रदान करना होगा, इसके अतिरिक्त, ठेकेदार हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि विभिन्न श्रम कानूनों और संविदा श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत सभी दायित्वों का पालन किया जा रहा है। बैंक को ठेकेदार से वेतन/वेतन के भुगतान के विवरणों की सत्यता के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगने का अधिकार होगा और ठेकेदार से श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ की मांग करने का अधिकार भी होगा।
The contractor shall ensure timely payment of wages/salary to the workers persons employed by him through cheque or by credit to bank account and a certificate to the

effect that the salaries/wages are being paid regularly shall be furnished to the Employer every month along with documentary proof of such payment and of statutory fulfilments i.e. deposit to EPFO, ESIC, etc wherever applicable. Further, the Contractor shall furnish a certificate every month to the effect that all the obligations under the various Labour Laws and the Contact Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, are complied with. The Bank will have the right to ask for bank statements from the contractor to verify the details of wages/salary paid by the Contractor and will also have the right to demand any other documents which are required to ascertain compliance by the contractor to various provisions of the Labour Laws.

9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए काम पर रखे गए सभी व्यक्तियों का बीमा IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी के साथ हो, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति या जानवर या अन्य चीजों को हुए किसी भी चोट या नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो बैंक में कार्य करार पूरा करने के कारण हो सकता है।
The Contractor shall ensure that all persons employed for the purpose of rendering the services required by the Bank under this agreement are insured with an IRDAI recognized insurance company, for which no extra payment will be made by the Bank. The Contractor shall be solely responsible for any injury or damage to any persons or animals or any other things arising due to deployment in the Bank for executing the work contract.

10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी, बैंक के परिसर में या इस करार के तहत अपने कार्यों को अंजाम देते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और बैंक एकमात्र निर्णायक होगा कि क्या ठेकेदार और/या उसके कर्मचारी ने उक्त मानकों का पालन किया है या नहीं। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और यदि बैंक द्वारा किसी भी शिकायत की जाती है, तो ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर में तैनात नहीं करेगा।
The Contractor shall ensure that all employees, while in the premises of the Bank or while carrying out their obligations under this agreement, observe the standards of cleanliness, decorum, safety, good behaviour and general discipline as laid down by the Bank or its authorized agents and the Bank shall be the sole judge as to whether or not the Contractor and/ or his employees have observed the same. The Contractor shall be responsible for the good behaviour and conduct of his employees and in case of any complaints by the Bank, the Contractor shall not employ such employees in the Bank's premises.

11. ठेकेदार को सभी कर्मचारियों के कार्य का व्यक्तिगत और विशेष रूप से पर्यवेक्षण करना होगा ताकि इस समझौते के तहत प्रदत्त सेवाएँ बैंक की सर्वोत्तम संतोषजनकता के अनुसार पूरी हो सकें।
The Contractor shall personally and exclusively supervise the work of all the employees so as to ensure that the services rendered under this agreement are carried out to the best satisfaction of the Bank.

12. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार के कोई भी कर्मचारी बैंक की संपत्ति में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद नहीं प्रवेश करेंगे या नहीं रुकेंगे, जब तक बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ और ठेकेदार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक न हो ।

The Contractor shall ensure that no employees of the Contractor will enter or remain on the Bank's premises beyond the specified time limits unless and absolutely necessary and for fulfilling Contractor's obligations and with the prior approval of the Bank.

13. ठेकेदार बैंक या इसके परिसर या इसके किसी भाग या इसके किसी उपकरण या फिटिंग या बैंक की किसी संपत्ति को ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी कार्य, चूक, कमी या लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।
The Contractor shall be liable for any damage caused to the Bank or its premises or any part thereof or to any fixtures or fittings thereof or any property of the Bank and therein by any act, omission, default or negligence of the Contractor or his employees or agents.

14. ठेकेदार बैंक को किसी भी दंड के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो ठेकेदार द्वारा करार के तहत ड्यूटी करते समय नियमों के उल्लंघन के कारण बैंक पर लगाया गया हो।
The Contractor shall indemnify the Bank for any penalty levied on the Bank due to breach of regulations by the Contractor while performing the duties under the contract.

15. ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली चोटों के लिए, और बैंक की संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बगीचे, लॉन, पेड़, पौधे आदि शामिल हैं, जो संचालन या उसके लापरवाही या किसी भी उसके श्रमिक/कर्मचारी या दोनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो, जो इस करार को लागू करने से किसी भी तरह जुड़ा हो। इस धारा को यह मानते हुए शामिल किया जाएगा कि इससे जुड़े भवनों को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वह तुरंत जुड़े हों या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस करार के विषय के रूप में भवनों और कार्यों को होने वाला सभी नुकसान भी शामिल है।
The contractor shall be responsible for injury to persons, animals or things, and for all structural and decorative damage to Bank's property including garden, lawns, trees, plants etc. which may arise from the operation or its neglect or any of his worker/employee or either, whether such injury or damage arises from carelessness, accident or any other cause whatever, in any way connected with the carrying out of this Contract. This Clause shall be held to include inter alia any damage to buildings, whether immediately adjacent or otherwise, and any damage to roads, streets, footpaths, bridges or ways as well as all damage caused to the buildings and works forming the subject of this Contract.

16. सभी और किसी भी खर्च के संबंध में जो किसी ऐसी चोट या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होता है जैसा ऊपर उल्लेखित है और किसी भी दावे के संबंध में जो किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या क्षति के संबंध में किया गया हो और किसी भी मुआवजे या क्षति के पुरस्कार के संबंध में जो ऐसे दावे के परिणामस्वरूप हो, ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और आगे भी क्षतिपूर्ति करता रहेगा।
The contractor shall indemnify and keep indemnified the Bank in respect of all and any expenses arising from any such injury or damage to persons or property as aforesaid and also in respect of any claim made in respect of injury or damage under any Acts of any legislature or otherwise and also in respect of any award of compensation or damages consequent upon such claim.

17. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक की निम्नलिखित के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और आगे भी क्षतिपूर्ति करता

रहेगा।
क) किसी तृतीय पक्ष द्वारा जीवन या संपत्ति को होने वाले हानि/क्षति की वजह से उत्पन्न कोई भी दावा जो कार्य के निष्पादन के दौरान हुआ हो।
ख़) कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को होने वाली हानि/क्षति के संबंध में उत्पन्न कोई भी दावा।
ग) लागू PF/ श्रम कानूनों, ESI, विनियमों आदि के अनुपालन न होने के कारण उत्पन्न कोई भी दावा।

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Reserve Bank of India against:

a) Any claim arising out of third-party loss/ damage to life or property caused by/during execution of the work.
b) Any claim arising out of loss/ damage to the workmen engaged by the Contractor during execution of the work.
c) Any claim due to non-compliance of applicable PF/ Labour laws, ESI, regulations etc.

18. ठेकेदार सभी कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में विषय कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और एजेंट बैंक के परिसर में काम करते समय हमेशा पहचान पत्र पहनें।

The Contractor shall supply identity cards to all employees or agents who shall be doing the subject job at the Bank's premises and ensure that all the employees and agents bear the identity card at all times while they are working in the Bank's premises.

19. ठेकेदार सहमत है और यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने द्वारा नियुक्त/व्यवस्थित सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट करेगा कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं और उनके पास नियोक्ता यानी बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, और बैंक ठेके का निष्पादन करने या श्रम कानून और/या किसी अन्य विधान के तहत किसी अन्य कानूनी लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी, वेतन या किसी अन्य प्रकार का मुआवजा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार अपने कर्मचारियों को संबंधित कानून/नियम/सेवा शर्तों के तहत उपलब्ध सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
The Contractor agrees and undertakes that they will make it clear to all persons employed/engaged by them to perform the obligations under this agreement, that they are employees of the Contractor and that they shall have no claim against the Employer i.e. the Bank, and the Bank shall not be liable to pay wages, salary or any other type of compensation to execute the contract or provide any other statutory benefits under the Labour Law and/or any other legislation and the Contractor shall be solely responsible for providing all such amenities to their employees admissible under the relevant Law/Rules/Service conditions.

20. ठेकेदार सहमत है कि वह सर्वोत्तम गुणवत्ता के सामग्री/ब्रण्ड्स का उपयोग करेगा, जो कि IGBC द्वारा अनुमोदित किसी भी ब्रांड का होगा। बैंक को ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता ऑडिट चेक करने का अधिकार है।
The Contractor agrees to utilize materials/brands which will be of the brand approved by

IGBC. Bank reserves the right to conduct quality audit checks of the materials used by the Contractor on a periodical basis.

21. ठेकेदार अपने कर्मचारियों और सामग्री तथा पूर्ण किए गए कार्य की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने स्वयं के व्यवस्थाएँ करेगा जब तक कि इन्हें बैंक द्वारा नहीं लिया जाता।
The Contractor shall make his own arrangements for security and protection of his workers and materials and the completed work till the same are taken over by the Bank.

22. ठेकेदार को इस करार के अंतर्गत शामिल सेवाओं के लिए यदि कोई हो, तो केरल राज्य सरकार के कानून या केंद्रीय सरकार के कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
The Contractor shall obtain license, if any, required under the Kerala State Government Law or Central Government Law as applicable in case of the services covered under this contract.

23. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और सुरक्षा उपकरण/ जूते आदि प्रदान किए जाएंगे।
All staff deployed by the Contractor shall be provided uniform & safety gear/ footwear etc.

24. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के परिसर में काम करने वाले कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों ताकि वे अपनी ड्यूटी के दौरान बैंक के कार्यालय परिसर और आवासीय कालोनियों के अंदर किसी भी संदिग्ध वस्तु/गतिविधि को तुरंत बैंक के सुरक्षा स्टाफ को सूचित कर सकें। उन्हें यह भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे किसी भी टूटने, क्षति, रिसाव या ऐसी अन्य चीजों के बारे में जो वे साफ कर रहे हैं, अपने पर्यवेक्षक, बैंक के देखभालकर्ता को तुरंत सूचित करें।
The Contractor should ensure that the workers deployed in the Bank's premises are well trained to ensure that they immediately report to the Bank's Security Staff any suspicious item/activity noticed by them inside the Bank's Office premises & Residential Colonies while attending to their duties. They should also be trained to immediately report to their supervisor, Banks caretaker about any breakage, damage, leakage or otherwise observed in any of the items/ areas being cleaned by them.

25. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, पान/तंबाकू चबाना सख्त निषिद्ध है और यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के परिसर में काम कर रहे कर्मचारी इस नियम का पालन करें।
The Contractor should note that smoking, drinking alcohol, chewing pan/tobacco in the Bank's premises is strictly prohibited and ensure that the workers deployed in the Bank's premises abide by this rule strictly.

26. ठेकेदार बैंक के परिसर और आवासीय कॉलोनियों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/ मानकों का पालन करेगा।
The Contractor shall abide by all procedures/norms related to safety and security of the Bank's premises & Residential Colonies.

27. ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों को करार की समाप्ति/समाप्ति पर तुरंत हटा देना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग बैंक की परिसर में किसी भी प्रकार की रुकावट/बाधा/समस्या नहीं पैदा करें।

The Contractor shall remove all workers deployed by them in the Bank's premises immediately on termination/expiry of the contract and ensure that such persons shall not create any disruption/ hindrance/ problem of any nature in the Bank's premises.

28. ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर तुरंत किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटा देगा, जिसे बैंक की राय में अयोग्य या अनुचित व्यवहार करने वाला माना जाता है और ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना फिर से काम में नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खराब काम, गलत बर्ताव, बैंक के निर्देशों की अवहेलना आदि करते हुए पाया जाता है, तो एजेंसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार कार्य से हटा देगी।

The contractor shall on the request of the Bank, immediately dismiss from the work, any person employed thereon by it who may, in the opinion of the Bank, is incompetent or has misconducted himself/herself and such person/s shall not be again employed on the works, without the permission of the Bank. In case any person is found giving poor workmanship, misbehavior, disobeying instruction of the Bank, etc., the agency will replace such person(s) from the work as directed by the Bank

29. ठेकेदार और उसके कर्मचारी सुरक्षा अधिकारी (पी एंड एस ई)/देखभालकर्ता/सहायक देखभालकर्ता या बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की सामान्य देखरेख और नियंत्रण में रहेगा और परिसर में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए आवश्यक निर्देश उनसे प्राप्त करेगा।

The Contractor and his staff shall be under the general supervision and control of the Security Officer (P&SE)/Caretaker/Assistant Caretaker or any other personnel deputed for the purpose by the Bank and shall obtain necessary instructions from them for the day-to-day work in the premises.

30. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिक बैंक के किसी भी परिसर में सेवा करते समय हमेशा पूर्ण वर्दी में हों। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक हमेशा साफ वर्दी पहने हों और कोई भी पुरानी/फटी वर्दी तुरंत नए से बदली जाए।

The contractor shall ensure that its workers are in complete uniform at all times while rendering services at any of the Bank's premises. The contractor shall ensure the workers are wearing clean uniforms at all times and any worn out/ torn uniform should be replaced with new one immediately.

31. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में तैनात सभी स्टाफ तैनाती की तारीख से 45 दिनों के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

The Contractor shall ensure that all staff deployed in the Bank's Main Office Premises shall submit the Police Verification Report within 45 days from the date of deployment.

32. ठेकेदार को दैनिक, साप्ताहिक, पखवाड़े, मासिक, त्रैमासिक और बैंक द्वारा निर्धारित समयानुसार कार्य किए गए का रजिस्टर और उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और जब भी मांग की जाए, इसे बैंक के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।

The contractor shall maintain registers and a proper record of the work done on daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly and at periodicity as prescribed by the Bank and shall make it available to the Bank as and when demanded.

33. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकों के परिसर से बाहर कचरे/अपशिष्ट का उचित संग्रह, वर्गीकरण और निपटान नगरपालिका निगम द्वारा निर्धारित उपयुक्त स्थान पर किया जाए या उसे नगरपालिका निगम को सौंपा जाए। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट का उचित वर्गीकरण स्थानीय प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाए। ठेकेदार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों या किसी संबंधित अधिनियम का किसी भी उल्लंघन के लिए दंड भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
The contractor shall ensure proper collection, segregation, and disposal of garbage/ waste outside the Banks premises at appropriate place designated by Municipal Corporation or handed over to Municipal Corporation. The contractor shall ensure that proper segregation of waste is done according to the norms prescribed by the Local Authority and the Government of India. The contractor will be liable to pay penalty for any violation of solid waste management rules or any relevant act.

C. करार की समाप्ति
TERMINATION OF AGREEMENT

1. उपरोक्त में निहित बातों के बिना पूर्वाग्रह, बैंक अपने पूर्ण विवेक से, इस करार को किसी कारण बताए बिना और किसी मुआवजे का भुगतान किए बिना, एक लिखित नोटिस द्वारा समाप्त करने का अधिकार रखता है, यदि
क) बैंक के अनुसार (जिसे ठेकेदार द्वारा प्रश्न में नहीं लाया जा सकता और जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा), ठेकेदार इस करार को बैंक की संतोष से निष्पादित करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या
ख) ठेकेदार इस करार की किसी भी शर्त और स्थिति का उल्लंघन करता है और/या
ग) किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या
घ) ठेकेदार या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना होता है।
Without prejudice to what is contained hereinabove, the Bank shall, at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate this agreement by a written notice without assigning any reason and without payment of any compensation thereof, if

a) in the opinion of the Bank (which shall not be called into question by the Contractor and shall be binding on the Contractor), the Contractor fails or refuses to implement this agreement to the Bank's satisfaction and/ or
b) the Contractor commits a breach of any terms and conditions of this agreement and /or
c) for any reason whatsoever, the Contractor becomes disentitled in law to perform his obligations under this agreement and/or
d) there is any variation in the ownership/partnership or management of the Contractor or his business without the prior approval in writing of the Bank to such variation.

2. यदि किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति होती है, तो ठेकेदार/ या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उनके/ उसकी एजेंटों को बैंक से किसी भी प्रकार के मुआवजे, क्षति या किसी अन्य रूप में कोई राशि या राशियों का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

In the event of termination of this agreement for any reason whatsoever, the Contractor/ or persons employed by him or his/ her agents shall not be entitled for any sum or sums whatsoever from the Bank by way of compensation, damages or otherwise.

3. इस करार में अंतर्निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि करार की कोई शर्त का पालन नहीं किया जाता है, आज्ञा नहीं मानी जाती है, या करार के किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, या ठेकेदार द्वारा असंतोषजनक या अप्रभावी कार्य किया जाता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार को एक महीने की लिखित नोटिस देने के बाद इस करार को रद्द करने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होगा, बिना किसी कारण बताए और यह ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और करार तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा जैसा कि नोटिस में निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर, इस स्थिति में ठेकेदार को किसी भी मुआवजे/नुकसान का हक नहीं होगा और सुरक्षा जमा की राशि नहीं लौटाई जाएगी।

Notwithstanding anything contained in this Contract, in the event of non-compliance, disobedience, or breach of any terms of the contract or unsatisfactory or inefficient working by the Contractor, the Employer shall have the absolute and independent authority to revoke this contract after giving one month's notice in writing to the Contractor without assigning any reason and the same shall be binding on the Contractor and the contract will come to an end with immediate effect on completion of the deadline as stipulated in the notice, in which case the Contractor shall not be entitled for any compensation/damages and the Security Deposit shall not be refunded.

4. करार के समाप्त होने या करार की अवधि पूरी होने पर, ठेकेदार को बैंक के परिसर को खाली करना होगा और उसे बैंक की सभी वस्तुओं/सामग्री/संपत्ति को सौंप देना या वापस कर देना होगा।
On termination of the contract or on expiry of the contract, the Contractor shall vacate the premises of the Bank and shall hand over or return all the articles /material/property belonging to the Bank.

D. स्टैम्प ड्यूटी
STAMP DUTY

ठेकेदार इस करार के मूल प्रति पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान करेगा, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल करार को रखेगा और ठेकेदार प्रतिलीपी करार को रखेगा।
The Contractor shall bear the stamp duty on the original of this agreement, which shall be executed in duplicate, and the Bank shall retain the original and the Contractor shall retain the duplicate.

E. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को समय-समय पर प्रासंगिक कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करेगा।
The Contractor shall ensure payment of minimum wages, as prescribed by the relevant law from time to time, to the workmen employed by him.

F. ठेकेदार बैंक को सभी हानियों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के खिलाफ क्षापूर्ति करेगा और उसे क्षापूर्ति करता रहेगा, जो कि वेतन अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, ठेका श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रमिक कानून/ अधिनियम के किसी भी प्रावधान

के उल्लंघन के लिए हो। इस संबंध में यदि कोई देनदारियाँ हैं, तो ठेकेदार अकेला जिम्मेदार होगा।
The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bank against all losses and claims, damages or compensation for breach of any provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or any other labour law/ statute in force in this regard. The Contractor shall be solely responsible for liabilities, if any, in this regard.

G. इस करार के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा और पूरी तरह से समझा जाएगा।
The several parts of this contract shall be carefully read and fully understood by the Contractor.

H. गैर- प्रकटीकरण मानदंड
Disclosure Norms

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के पास इस समझौते के संबंध में अनुबंधीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान आ सकती है, किसी तीसरे पक्ष के साथ और हमेशा इसे सख्त गोपनीयता में रखेगा, यहां तक कि इस करार की समाप्ति/समाप्ति के बाद भी। ठेकेदार करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानता है, सिवाय उस सीमा के जो इसे पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक है। ठेकेदार किसी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को बिना बैंक की पूर्व लिखित सहमति के प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा। ठेकेदार किसी भी ऐसी गोपनीय जानकारी के किसी भी गैर- प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक का प्रत्यावर्तन करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को क्षति के लिए दावा करने और कानूनी उपायों का सहारा लेने का अधिकार होगा, जैसा कि उचित समझा जाएगा।
The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor or his/her employees during the course of discharging the contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence, even after the expiry/termination of this contract. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank. The Contractor shall indemnify the Bank for any loss suffered by the Bank as a result of any such disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Bank shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies, as deemed appropriate.

I. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाइयाँ करेगा ताकि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के कारण की परवाह किए बिना जारी रहेंगे।
The Contractor shall take all appropriate actions with respect to his employees to ensure

that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

J. बैंक को इस करार की शर्तों और शर्तों के बिना, कार्य की विशेषताओं और प्रकृति को संशोधित करने का अधिकार है, किसी भी समय करार की अवधि के दौरान कार्य के किसी भी आइटम या कार्य / कार्य के भागों को जोड़कर या छोड़कर, ठेकेदार को इस प्रभाव में एक पत्र जारी करके।
The Bank reserves the right, without prejudice to the terms and conditions of this agreement, to alter the specifications and nature of the work by adding to or omitting any item of work or portions of the work/s being carried out at any time during the currency of contract, by issuing a letter to this effect to the Contractor.

K. इस करार के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे। इस समझौते से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम की अदालतों के पास इन्हें निर्धारित करने का अधिकार होगा।
All payments by the Bank under this contract shall be made only at Thiruvananthapuram. All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed to have arisen at Thiruvananthapuram and only Courts in Thiruvananthapuram shall have the jurisdiction to determine the same.

L. उपरोक्त करार राशि के संदर्भ में जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार समय और तरीके से भुगतान किया जाना है, ठेकेदार, उन शर्तों के अनुसार, उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में दर्शाए गए कार्य को पूरा करेगा।
In consideration of the said contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions execute and complete the work shown upon the said specifications and the schedule of quantities.

M. बैंक ठेकेदार को उक्त करार राशि या ऐसी कोई अन्य राशि जिसका भुगतान उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से किया जाएगा, का भुगतान करेगा।
The Bank shall pay the Contractor the said contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

N. उक्त शर्तों को इस करार का हिस्सा समझा जाएगा और इसमें शामिल पक्ष उन शर्तों का पालन करेंगे, अपने-अपने हिस्से का समझौता करेंगे और उन शर्तों में निहित काम करेंगे।
The said conditions thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

O. समय को इस करार का सार माना जाएगा और ठेकेदार इस प्रकार सहमत होता है कि वह औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के बाद **01 अप्रैल, 2026** से कार्य/ करार प्रारंभ करेगा और निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करेगा।
Time shall be considered as the essence of this contract and the Contractor hereby

agrees to commence the work/contract from **April 01, 2026**, after issue of a formal work order as provided for in the said conditions and to complete the work within the stipulated period.

P. ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
The Contractor shall provide a complete and updated list of his employees who are deployed within the Bank's premises.

Q. वित्तीय बोली में ठेकेदार द्वारा दिया गया उद्धरण स्थिर और अंतिम होगा और बैंक ठेकेदार के मूल्य वृद्धि के किसी दावे पर विचार नहीं करेगा जब तक कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा केवल न्यूनतम मजदूरी के दो घटकों में परिवर्तन न हो, अर्थात् आधार दरें और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए)। मासिक करार राशि में इस प्रकार की वृद्धि की मात्रा, मासिक कर्तव्यों के अनुपात में, केवल आधार दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में वृद्धि तक सीमित होगी और वे किसी अन्य घटक जो वेतन या भत्ते का हिस्सा हैं, जो सांविधिक प्रकृति के हैं जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि, जो आधार दरों और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) पर निर्भर हैं, को बैंक द्वारा मासिक करार राशि में संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। ठेकेदार को मूल दरों के अलावा VDA और इन सांविधिक घटकों के संभावित वृद्धि की बात ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी सर्वोत्तम दरें इस तरह से देना चाहिए कि ये वृद्धि क्रमिक लागतें वित्तीय बोली के अंतर्गत समाहित हो सकें। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

The quote offered by the Contractor in the price bid shall be firm and final and the Bank will not entertain the Contractor's claim for any revision of rates during the currency of contract except when changes in two components of minimum rates of wages only viz. the Basic rates and Variable Dearness Allowance (VDA), as announced by the Government of India under the Minimum Wages Act. The amount of such hike in monthly contract amount, in proportion to the monthly duties, will be restricted only to the increase in Basic rates and Variable Dearness Allowance (VDA) and any other components which form part of wages or allowance which are statutory in nature viz. EPF, ESI, Bonus etc. which are dependent on the Basic rates and/or Variable Dearness Allowance (VDA) will not be considered by the Bank for revision in the monthly contract amount. The Contractor shall keep in mind the possible escalation of these statutory components other than the Basic rates plus VDA and offer their best rates in such a way as to accommodate these incremental costs under the price bid. The decision of the Bank in the matter will be final.

R. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE:

ठेकेदार "महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी/कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और ठेकेदार उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा ग्रहण की जाएगी। यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों का शामिल होना आवश्यक है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक

मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा प्रमाणित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत देनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

The Contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee/s within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the contractor and the Contractor shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the Contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the Contractor, for instance any monetary relief payable to the Bank's employee, if sexual violence by the employee of the Contractor is proved. The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

S. अन्य शर्ते

Other Conditions:

बैंक को इस करार की शर्तों और शर्तों के बिना, किसी भी समय करार की अवधि के दौरान कार्य के किसी भी वस्तु या कार्य के भाग को जोड़ने या छोड़ने के लिए, ठेकेदार को इस संबंध में एक पत्र जारी करके, कार्य की विशेषताओं और प्रकृति को संशोधित करने का अधिकार है ।

The Bank reserves the right, without prejudice to the terms and conditions of this agreement, to alter the specifications and nature of the work by adding to or omitting any item of work or portions of the work/s being carried out at any time during the currency of contract, by issuing a letter to this effect to the contractor.

1. इस शर्तों के तहत संपूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और वह सीधे बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना समझौते के तहत किसी भी भाग या हिस्से या उसमें रुचि को सीधे नहीं सौंपेगा या संलग्न करेगा और कोई भी हस्तांतरण ठेकेदार को करार की पूर्ण और कुल जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा या कार्यों के निष्पादन के दौरान सक्रिय पर्यवेक्षण से नहीं। कोई भी परिवर्तन, छूट या परिवर्तन इस करार को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक कार्यों के निष्पादन के दौरान किसी भी समय में कार्यों में कोई परिवर्तन या जोड़ या कोई छूट करना उचित समझता है या उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों की प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है, तो उसे ठेकेदार को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा। ठेकेदार को ऐसे नोटिस के अनुसार परिवर्तन करना, जोड़ना या छोड़ना होगा, लेकिन ठेकेदार किसी भी प्रकार का अतिरिक्त काम नहीं करेगा या किसी काम में कोई परिवर्तन, जोड़ या छोड़ नहीं करेगा या करार, शर्तों, विनिर्देशों या करार की किसी भी प्रावधान से किसी भी भिन्नता नहीं करेगा बिना बैंक के पूर्व लिखित सहमति के और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तनों, जोड़ या छोड़ का मूल्य सभी मामलों में बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ और इसे करार राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला होगा।

The entire work included under these terms shall be executed by the contractor and it shall not directly entrust and engage or indirectly transfer assign or let under the

agreement or any part or share thereof or interest therein without the prior written consent of the Bank and no undertaking shall relieve the contractor from the full and entire responsibility of the contract or from active superintendence of the works during their progress. No alteration, omission or variation shall vitiate this contract but in case the Bank thinks proper at any time during the progress of the works to make any alterations in or additions to or omissions from the works or any alteration in the kind or quality of the materials to be used therein, it shall give notice thereof in writing to the contractor. The contractor shall alter, add to or omit from, as the case may be, in accordance with such notice but the contractor shall not do any work extra to or make any alterations or additions to or omissions from the works or any deviation from any of the provisions of the contract, stipulation, specifications or contract without the previous consent in writing of the Bank and the value of such extras, alterations, additions or omissions shall in all cases be determined by the Bank, with the prior approval in writing of the Bank and the same shall be added to or deducted from the contract amount, as the case may be, accordingly.

2. सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर विशेष स्थल के संरक्षकों को रिपोर्ट करना चाहिए। कार्य समय 8 घंटे का होगा (30 मिनट के लंच ब्रेक सहित), कार्यालय भवनों में सप्ताह में 6 कार्यदिवस और आवासीय कॉलोनियों में सप्ताह में 7 दिन (आवासीय कॉलोनियों में तैनात सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक शनिवार और रविवार को आधे शेड्यूल के श्रमिकों को तैनात किया जा सकता है)। तथापि, आपात स्थिति में श्रमिकों को आपातकाल समाप्त होने तक काम करना होगा जैसा कि बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के। ठेकेदार को श्रमिकों को किए गए भुगतान का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, जिसे बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक न्यूनतम वेतन सत्यापित करने के लिए अधिकारी/स्टाफ तैनात करने का अधिकार रखता है। बिजली और पानी ठेकेदारी को बैंक द्वारा बिना किसी कीमत के दिया जाएगा, लेकिन सभी अन्य व्यवस्थाएं ठेकेदार को स्वयं करनी होंगी।

All workers should report to the caretakers of the particular site at stipulated time. The working hours shall be 8 working hours (including 30 minutes lunch break), 6 working days in a week in the Office Buildings and 7 days in a week in the Residential colonies (to ensure a weekly off to all workers deployed at Residential colonies, half the schedule numbers of workers may be deployed on each Saturday and Sunday). However, in the case of emergency the workers will have to continue to work till the emergency is over as per the directions issued by authorized person of the Bank without any extra payment. Contractor shall maintain a record of payment to the workers, which shall be submitted along with the bill. Bank reserves the right to depute officer/ staff to verify minimum wages. Electricity and water shall be given to agency free of cost by the Bank but all the other arrangements have to be made by the contractor on its own.

T. अप्रत्याशित घटना

1. ठेकेदार या बैंक युद्ध, क्रांति, विद्रोह, नागरिक उपद्रव, दंगे, आंदोलन, हड़ताल, नाकाबंदी, अप्रत्याशित घटना, प्लेग, या अन्य महामारियों के कारण, या आग, बाढ़, सरकार या शत्रु पक्ष या किसी भी पार्टी के नियंत्रण से परे किसी भी अन्य घटना, जो सीधे, भौतिक और किसी भी या ऐसे सभी संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, के कारण किसी भी या सभी संविदात्मक दायित्वों के विलंब या गैर-कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अप्रत्यशीत घंटनाओं में कम्प्युटर वायरस और कम्प्युटर से संबन्धित समस्याएं शामिल

नहीं होंगी।

2. यदि बैंक की राय में, कार्य में देरी हो रही है (क) अपरिहार्य कारण से या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या (ग) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा अन्य कारण से पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) ठेकेदारों या बैंक द्वारा नियुक्त या नामित कारीगरों के कार्य या देरी के कारण और मात्र और/ या विनिर्देश की अनुसूची में संदर्भित नहीं हैं या (ङ) नागरिक दंगा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी भवन व्यापारी को प्रभावित करती है, तो बैंक ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के मामलें में करार कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, ठेकेदार जितनी जल्दी हो सके, बैंक को इसकी लिखित सूचना देगा, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों का लगातार उपयोग करेगा और काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक होगा।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना की स्थिति उपस्थित होती है, तो ठेकेदार ऐसी स्थितियों और उसके किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करेगा। जब तक अन्यथा लिखित रूप में बैंक द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक ठेकेदार करार के तहत अपने दायित्वों को यथासंभव आगे बढ़ाता रहेगा, और अन्य सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए सभी साधनों की तलाश करेगा, जब तक की अप्रत्याशित घटना की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा।

अप्रत्याशित घटना के प्रावधान बैंक पर भी लागू होंगे।

3. यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फ़र्म या कंपनी होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या निगमित कंपनी होने के कारण, उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश किया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से न्यायालय की देखरेख में समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में परिसमापक का आधिकारिक समनुदेशिती, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर बैंक की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि वह करार को पूरा करने के में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह इसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

Force Majeure

1. The contractor or the Bank shall not be responsible for delays or non-performance of any or all contractual obligations, caused by war, revolution, insurrection, lockdown, civil commotion, riots, mobilizations, strikes, blockade, acts of God, Plague or other epidemics, fire, flood, acts of government or public enemy or any other event beyond the control of either party, which directly, materially and adversely affect the performance of any or all such contractual obligations. Force majeure shall not include computer viruses and computer related problems.

2. If in the opinion of the Bank, the works be delayed (a) by force majeure or (b) by reason of any exceptionally inclement weather or (c) by reason of proceedings taken or threatened by or dispute with adjoining or neighboring owners or public authorities arising otherwise than through the contractor's own default or (d) by the works or delays of the contractors or Tradesmen engaged or nominated by the Bank and not referred to in the Schedule of Quantities and/or Specification or (e) by reason of civil commotion, local combination of workmen or strike or lockout affecting any of the building traders the Bank may make a fair and reasonable extension of time for completion of the Contract Works in case of such strike or lockout, the contractor shall, as soon as may be, give written notice thereof to Bank, but the contractor shall nevertheless constantly use his endeavor's

to prevent delay and shall do all that may reasonably be required to the satisfaction of the Bank to proceed with work.
If a Force Majeure situation arises, the contractor shall promptly notify the Bank in writing of such conditions and any change thereof. Unless otherwise directed by the Bank in writing, the contractor shall continue to perform its obligations under the contract as far as possible and shall seek all means for performance of all other obligations, not prevented by the Force Majeure event.

Force Majeure shall also apply to the Bank.

If the contractor being an individual or a firm/ a company, commit any "Act of insolvency" or shall be adjudged an Insolvent or being Incorporated Company, shall have an order for compulsory winding up made against it or pass an effective resolution for winding up voluntarily or subject to the supervision of the Court and the Official Assignee of the Liquidator in such acts of insolvency or winding up shall be unable, within seven days after notice to him, requiring him to do so, to show to the reasonable satisfaction of the Bank, that he is able to carry out and fulfill, the Contract and to give security therefore, if so required by Bank.

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फ़र्म या निगमित कंपनी हो) को निष्पादन जारी करने की आवश्यकता होगी।
OR if the contractor (whether an individual, firm or incorporated company) shall suffer execution to be issued.

या इस संविदा के अंतर्गत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी और से किए गए किसी भी भुगतान को कुर्क होने दिया जाएगा
OR shall suffer any payment under this contract to be attached by or on behalf of any of the creditors of the contractor.

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सौंपेगा या उप-पट्टे पर देगा।
OR shall assign or sublet this Contract without the consent in writing of the Bank first obtained.

या इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय और देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित या भारित नहीं करेगा।
OR shall charge or encumber this Contract or any payment due or which may become due to the contractor there under.

या यदि ठेकेदार
(i) संविदा को त्याग दिया है
(ii) कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अंतर्गत बिना किसी वैध बहाने के बैंक से आगे बढ़ने का नोटिस प्राप्त करने के पश्चात 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है, या
(iii) कार्य को उचित परिश्रम की साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
(iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त करने के पश्चात सात दिनों के भीतर साइट से सामग्री हटाने या कार्य को

हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा नींदा और अस्वीकार किया गया था, या
(v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात सात दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले इस करार द्वारा पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीजों का पालन करने मे लगातार उपेक्षा या विफलता की है, या
(vi) बैंक के विपरीत निर्देशों के अवहेलना करते हुए करार के किसी भाग को उप- किराए पर दे दिया है, या
(vii) बाल श्रम

तब और उक्त किसी भी मामले में बैंक किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, करार का निर्धारण कर सकता है। और इसके अलावा, बैंक अपने एजंटों या कर्मचारियों के माध्यम से काम मे प्रवेश कर सकता है और आस पास की भूमि या सड़कों के परिसर में पड़े सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तन और सामग्री को अपने कब्जे मे ले सकता है और उसे अपनी संपत्ति के रूप मे उपयोग कर सकता है या काम को पूरा करने अपने कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से या काम को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों को नियुक्त करके काम पर रख सकता है और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को काम पूरा करने और खत्म करने या काम के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बढ़ा डालने की लिए कोई कार्य, बात या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो बैंक ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में नोटिस देगा और ठेकेदार यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद 14 दिनों की अवधी के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच ठेगा और ठेकेदार को प्रपट राशी का क्रेडिट देगा।

OR if the contractor
(i) has abandoned the Contract or
(ii) has failed to commence the works, or has without any lawful excuse under these Conditions suspended the progress of the works for 14 days after receiving from the Bank Notice to proceed, or
(iii) has failed to proceed with the work with such due diligence and failed to make such due progress as would enable the works to be completed within the time agreed upon, or
(iv) has failed to remove materials from the site or to pull down and replace work for seven days after receiving from the Bank's written notice that the said materials or work were condemned and rejected by the Bank under these Conditions, or
(v) has neglected or failed persistently to observe and perform all or any of the acts, matters or things by this Contract to be observed and performed by the contractor for seven days after written notice shall have been given to the contractor requiring the contractor to observe or perform the same, or
(vi) has in the defiance of the Bank's instructions to the contrary sublet any part of the Contract, or
(vii) has employed child labour.

Then and in any of the said cases the Bank may notwithstanding any previous waiver, after giving seven days' notice in writing to the contractor, determine the Contract. And further, the Bank by his, Agents or servants may enter upon and take possession of the works and all plant, tools, scaffoldings, sheds, machinery, steam and other power utensils and materials lying upon the premises of the adjoining lands or roads, and use the same

as his own property or may employ the same by means of his own servants and workmen in carrying on and completing the work or by employing any other Contractors or other person or persons to complete the works and the Contractor shall not in any way interrupt or do any act, matter or thing to prevent or hinder such other Contractor or other person or persons employed for completing and finishing or using the materials and plant for the works. When the works shall be completed the Bank shall give a notice in writing to the Contractor to remove his surplus materials and plant and should the Contractor fail to do so within a period of 14 days after receipt thereof by him, the Bank shall sell the same by public auction and shall give credit to the Contractor for the amount realized.

U. सभी समावेशी व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (CAMC) - नवीनीकरण के लिए दरें

उक्त संविदा की अवधि अवधि 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 या बैंक द्वारा अंतिम कार्य आदेश में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। उक्त करार को वर्तमान करार अवधि के दौरान ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन और निविदा दस्तावेज में विस्तृत अन्य शर्तों और नियमों के अधीन आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण के दौरान करार राशि में वृद्धि को निम्नलिखित के अनुसार माना जाएगा:
i. निविदा दस्तावेज के भाग II के हेडर A में उल्लिखित "स्थायी घटक" के लिए, बैंक ठेकेदार को तत्कालीन न्यूनतम मजदूरी (नवीनीकरण के समय प्रचलित) प्रदान करेगा, जैसा कि श्रम आयुक्त (केंद्र), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, और संबंधित देनदारियों जैसे बोनस, ईपीएफ, ईएसआई घटक आदि।
ii. "परिवर्तनीय घटक" के लिए, करार के नवीनीकरण पर, दरों का संशोधन लागत वृद्धि के आधार पर किया जा सकता है।
लागत में प्रतिशत वृद्धि (परिवर्तनीय घटक यानी ठेकेदार का लाभ/ओवरहेड लागत आदि) बिना करों के नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके की जा सकती है:

AC = AP + AP x (CPIc-CPIp) /CPIp

जहां, AC और AP क्रमशः संशोधित कीमत [वर्तमान वर्ष] और वर्तमान कीमत [पिछले वर्ष] हैं, और CPIc और CPIp वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के लिए करार की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले सभी भारत के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए थोक मूल्य सूचकांक हैं।

Rates for All-inclusive Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) - Renewal

The period of contract for is from April 01, 2026 to March 31, 2027 or as specified by the Bank in the final work order. The said contract will be renewed for further period subject to the satisfactory performance of the contractor during the existing contract period and other terms and conditions detailed in the tender document.
The escalation in the contract amount during renewal shall be considered as follows:
i. For “Fixed Component” mentioned in header A of part II of the tender document, the Bank shall give the Contractor extant Minimum wages (prevalent at the time of renewal) as prescribed by the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment and the associated liabilities like Bonus, EPF, ESI components etc.
ii. For “Variable Component”, on renewal of contract, the revision of rates may be done

based on cost escalation.
The percentage increase in cost (Variable Component i.e., Contractor's profit/ overhead cost etc.) excluding taxes may be calculated by using the below formula

AC = AP + AP x (CPIc-CPIp) /CPIp

where, AC and AP are revised price [current year] and present price [previous year], respectively and CPIc and CPIp are Consumer Price Index for Industrial Workers for all India for 6 months prior to the commencement date of contract for the current year & previous year, respectively.

(यदि ठेकेदार भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति है) (If the Contractor is a Partnership firm or an individual)	उपर्युक्त लिखित जिसके साक्ष्य स्वरूप बैंक और ठेकेदार ने अपनी उपस्थिति में और इसकी दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ऊपर बताए गए पहले दिन और वर्ष का हैं। IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and the year first hereinabove written
(यदि ठेकेदार कोई कंपनी है) (If the Contractor is a Company)	उपर्युक्त लिखित जिसके साक्ष्य के रूप में बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी आम मुहर इस पर लगवा दी है और उक्त दो प्रतियाँ अपनी ओर से ऊपर वर्णित पहले दिन और वर्ष में निष्पादित करवा ली हैं। IN WITNESS WHEREOF the Bank set its hands to these presents through its duly authorised official and the Contractor has caused its common seal, to be affixed hereunto and the said two duplicates/ has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and the year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड

Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
SIGNED AND DELIVERED BY Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram

(नाम और पदनाम)

(Name and designation)

साक्षियों की उपस्थिति में:

In the presence of Witnesses:

1.
पता/Address

2.

पता/Address

अगर पार्टी भागीदार फर्म या व्यक्ति है:
If the party is a Partnership firm or individual:

(नाम और पदनाम)

(Name and Designation)

साक्षियों की उपस्थिति में:

In the presence of Witnesses:

1.

पता/Address

2.

पता/Address

..... को आयोजित बैठक में, की उपस्थिति में, इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में ..... की आम मुहर लगाई गई।
The COMMON SEAL OF ……Was hereunto affixed pursuant to the Resolutions passed by its Board of Directors at the meeting held on …….., in the presence of

1)

2)

निदेशक, जिन्होंने 1 की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

Directors, who have signed these in token thereof in the presence of

1)

2)

ठेकेदार द्वारा श्री के हस्ताक्षर और वितरण

और विधिवत रूप से गठित अटॉर्नी

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of

Shri

And duly constituted Attorney

खंड V
निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश और संविदा की विशेष शर्तें

1. सामान्य अनुदेश:

1.1 बैंक किसी भी अतिरिक्त शर्त को बोलीदाता द्वारा शामिल करने की अनुशंसा नहीं करता है।

1.2 टेंडर बैंक द्वारा टेंडर के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक स्वीकार करने के लिए खुला रहेगा। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता।

1.3 निविदा फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना अनिवार्य है। यदि किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं हैं या वह गुम है, तो बैंक अपनी विवेकाधिकार पर टेंडर को अवैध मान सकता है।

1.4 दरें भी निश्चित होंगी, पूरे अनुबंध की अवधि और/या उसके विस्तार के दौरान मान्य रहेंगी और विनिमय परिवर्तनों, श्रम स्थितियों, रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी अन्य शर्तों के अधीन नहीं होंगी।

1.5 जो कोटेशन किसी अन्य तरीके से प्राप्त होते हैं जो ऊपर संकेतित नहीं हैं, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और L1 टेंडरकर्ता का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

1.6 मजदूरी की दर जो मानव संसाधन के लिए उद्धृत की गई है, वह केंद्रीय या राज्य सरकार के संविधिक न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी अधिक हो। जिन निविदा ने निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों से कम दरें उद्धृत की हैं, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और L1 टेंडरकर्ता का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

1.7 किसी फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत किए गए निविदा पर सभी मालिकों/साझेदारों/निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए या उस फर्म/कंपनी के मालिक/साझेदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिनके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण हो। अन्यथा, बैंक द्वारा निविदा अस्वीकार किया जा सकता है।

1.8 बैंक से उनके/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और कार्य आदेश जारी होने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर सफल टेंडरकर्ता को मसौदा संविदा और परिस्थितियों के शेड्यूल के अनुसार एक संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति एक बाध्यकारी संविदा का निर्माण करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक संविदा बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं। संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास रहेगी और दूसरी प्रति ठेकेदार के पास रहेगी। संविदा आवश्यक स्टाम्प पेपर पर बनाया जाएगा (केरल राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी के बराबर) और आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी की लागत केवल ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

1.9 निर्धारित अंतिम तिथि/समय से या किसी भी बढ़ाई गई बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी बोली प्राप्त नहीं होगी।

1.10 ठेकेदार को कर्मचारियों को अगले महीने की 7वीं तिथि तक वेतन का भुगतान करना होगा।

2. कार्य का विस्तृत दायरा
कार्य का दायरा निविदा दस्तावेज़ के धारा VIII में विस्तार से वर्णित होगा।

3. किसी भी निविदा **को स्वीकार करने और किसी या सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार**
3.1 बैंक को सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने का बंधन नहीं है और किसी भी समय बिना किसी कारण बताए निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

3.2 यदि कार्य सौंपे जाने के बाद यह पाया जाता है कि ठेकेदार पिछले 3 वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/पालिका/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/आरबीआई के किसी अन्य कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो बैंक संविदा को समाप्त कर सकता है।

3.3 न्यूनतम वेतन और / या परिवर्ती महंगाई भत्ता समय-समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किए जाएंगे, अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे, अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक (एरिया B) श्रेणी के पर्यवेक्षकों और सभी अन्य कर्मचारियों के लिए 'अकुशल' श्रेणी के लिए; जो "सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन कार्यों में, जिसमें भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबल और इसी तरह का अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें और सीवर पाइपलाइन बिछाने" में नियोजित हैं।

3.4 जो बोलीदाता किसी भी मूल्य बोली घटक को अत्यधिक कम आंका जाएगा, उनकी बोलियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ऐसे बोलीदाता, भले ही पात्र बोलियों में सबसे कम मूल्य पेश कर रहे हों, को पात्र बोलीदाताओं में सफल बोलीदाता के रूप में चयन के लिए नहीं माना जाएगा। हालांकि, बैंक ऐसे बोलीदाता को अपनी पेशकश को प्रमाणित करने का अवसर दे सकता है, जिसके लिए वह अपने दर विश्लेषण / विवरण और उस पर टिप्पणियाँ बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर भी, कुल संविदा राशि, यदि कर्मचारी श्रेणी के न्यूनतम वेतन और संबंधित वैधानिक घटकों के भुगतान के लिए भी अपर्याप्त पाई जाती है, तो उसे संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस प्रकार की अयोग्यता के संबंध में बैंक का निर्णय बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।

4. संविदा अवधि के दौरान प्रदर्शन गारंटी
4.1 संविदा देने पर, सफल निविदाकर्ता को किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ डी) में प्रदर्शन गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य का 5% (पाँच प्रतिशत) राशि जमा करनी होगी, जो अनुबंध की स्वीकृति पत्र के साथ जमा की जाएगी, ताकि अनुबंध के उचित पालन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में काम आए। सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा किया गया ईएमडी कार्य के आवंटन के एक महीने के भीतर प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने की शर्त पर वापस कर दिया जाएगा। सुरक्षा जमा के रूप में प्रदर्शन गारंटी पूरी अनुबंध अवधि के लिए वैध होगी।

4.2 यदि सफल बोल पार्ट उपलब्ध नहीं कराता है प्रदर्शन बैंक गारंटी, जो कि अनुमानित लागत का 5% है जैसा कि परिशिष्ट D में है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौता निष्पादित करने में विफल रहता है, तो बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है।

4.3 कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा दी गई प्रदर्शन बैंक गारंटी को असंतोषजनक प्रदर्शन, और/या भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को किसी भी हानि/क्षति के कारण रद्द, जब्त या प्रयुक्त किया जा सकता है, यदि उनके द्वारा तैनात

कर्मियों की विफलता या लापरवाही होती है या कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा करार का उल्लंघन होता है। कंपनी/एजेंसी/फर्म को इस तरह के प्रयुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
4.4 प्रदर्शन बैंक गारंटी संविदा की समाप्ति तिथि तक मान्य होनी चाहिए।

4.5 इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि को सुरक्षा जमा/मासिक बिल राशि से घटाया जा सकता है, यदि राशि अनुमति देती है, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी किए जाने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद जमा न करे।

5 भुगतान की शर्तें और दंड शुल्क का लगाना
5.1 कामगार तैनाती के संबंध में भुगतान वास्तविक तैनाती के अनुसार किया जाएगा और कंपनी/एजेंसी/फर्म को बिल के साथ उपस्थिति रजिस्टर और न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का प्रमाण जमा करने की सलाह दी जाती है।

5.2 सफल निविदादाता को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और वेतन भुगतान दिखाने वाला मासिक बैंक स्टेटमेंट जमा करना चाहिए। EPF, ESI आदि के लिए आवश्यक भुगतान विनियामक नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने होंगे। बैंक को जब आवश्यक हो तभी इसका सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है और इसके अनुसार, ठेकेदार के पास इसे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

5.3 बैंक का अधिकारी समय-समय पर लोगों/ कामगार की तैनाती की जांच करेगा; इसलिए सत्यापन के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना चाहिए और इसकी प्रति देखभालकर्ता द्वारा सही तरीके से प्रमाणित की जानी चाहिए।

5.4 बिल हर आगामी महीने के दूसरे सप्ताह के भीतर बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्य के लिए भुगतान उसी के बाद बैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर किया जाएगा कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं। भुगतान MSME अधिनियम के अनुसार सेवा की पूर्णता/डिलीवरी के 45 दिनों के भीतर किया जाएगा।

5.5 देय राशि किसी भी सेवा में कमी के लिए लगाए गए वसूली कटौती के बाद शुद्ध राशि होगी, जो इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागू होगी। बिल को जीएसटी फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी विशेष महीने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रति, फर्म द्वारा सही तरीके से प्रमाणित की गई हो, बिल के साथ भुगतान के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए:
i. उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
ii. सहायक केयरटेकर / केयरटेकर / सुरक्षा अधिकारी (P&SE) द्वारा हस्ताक्षरित किए गए किए गए काम की रिपोर्ट।
iii. न्यूनतम वेतन का भुगतान दिखाने वाला बैंक स्टेटमेंट (श्रमिकों / कर्मकारों को भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे किया जाएगा)।
iv. अनुबंध श्रम अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम के पालन के लिए घोषणा।
v. PF और ESIC की ओर किए गए भुगतान का प्रलेख प्रमाण, यदि लागू हो।
vi. बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य लॉगबुक / दस्तावेज़।

5.6 सभी कार्यों के बिल (स्थान-वार) मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिसमें कार्य-वार विभाजन का उल्लेख किया जा सकता है जैसा कि प्राइस बिड के भाग-II में प्रदान किया गया है। जहां तक बागवानी और उद्यान सेवाओं का सवाल है, मासिक प्रगति रिपोर्ट (Attachments.pdf में निर्दिष्ट प्रारूप) को बिलों के साथ संलग्न किया जा सकता है, जिसे संबंधित स्थान के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
5.7 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ठेकेदार पहले मजदूरों/कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करेगा और पीएफ,

ईएसआईसी और अन्य वैधानिक भुगतानों/जमा राशियों का भुगतान करेगा और फिर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने के सबूत के साथ उसी का प्रतिपूर्ति बिल जमा करेगा। किसी भी स्थिति में ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. जुर्माना

a) ठेकेदार एक उपस्थिति रजिस्टर बनाएगा जिस पर बैंक के नामित कर्मचारियों के द्वारा सही तरीके से हस्ताक्षर किए गए होंगे और उसके साथ प्रत्येक माह के बिल की एक प्रति संलग्न करेगा, अन्यथा कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी की तैनाती अनुपस्थित है और उपयुक्त विकल्प नहीं प्रदान कर सकता है, तो बैंक द्वारा अनुपस्थित कर्मचारी(ओं) की मजदूरी के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1000/- रुपये का दंड लगाया जाएगा और इसे ठेकेदार के लंबित/आगामी बिल से काट लिया जाएगा।

b) यदि सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी भुगतान को रोक सके जो ठेकेदार को देय हो सकता है, जब तक कि ऐसी सेवाएँ बैंक की संतुष्टि के अनुसार प्रदान न की जाएँ।

c) यदि जुर्माने की राशि संविदा राशि का 10% तक पहुँच जाती है, तो बैंक को संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और ठेकेदार जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी रहेगा। जुर्माने की राशि प्रदर्शन बैंक गारंटी का उपयोग करके या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि से वसूल की जाएगी।

d) संबंधित पृष्ठों की प्रति, जैसा कि रजिस्टर में बनाए गए हैं, मासिक आधार पर संबंधित/कर्मी/इंजीनियर/सुरक्षा अधिकारी को मासिक बिल के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसे संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

e) इस संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा और भुगतान के तरीके में कोई भी परिवर्तन बैंक द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

f) IGBC द्वारा अनुमोदित ब्रांड के अलावा किसी भी अन्य ब्रांड का उपयोग करने पर प्रति घटना 1,000/- रुपये का जुर्माना लागू होगा।

7. कर

मूल्य बोली के दर कॉलम में निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरें सभी करों, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्थानीय लेवी आदि को छोड़कर होना चाहिए। GST और कोई भी अन्य कर/लेवी/शुल्क आदि जो कि कानून के अनुसार केंद्रीय/राज्य सरकारों या किसी वैधानिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण को देय हों, उन्हें बिल/इनवॉइस प्रस्तुत करते समय करों का प्रतिशत निर्दिष्ट करते हुए सकल राशि में शामिल किया जाएगा।

8. बीमा

8.1 सफल ठेकेदार को संविदा मूल्य के लिए "ऑल रिस्क पॉलिसी जिसमें तृतीय पक्ष देयता शामिल हो" और काम में लगे श्रमिकों के लिए कर्मचारियों के मुआवजा पॉलिसी एक वर्ष के लिए लेनी होगी और इसके बाद अनुबंध बैंक द्वारा नवीनीकृत होने पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा। ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी व्यक्ति, भवन या किसी तृतीय पक्ष को होने वाले किसी भी हानि या नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। सभी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन या प्रति कर्मचारी वास्तविक वेतन के न्यूनतम कवरेज के साथ कर्मचारियों के मुआवजा बीमा पॉलिसी भी ली जाएगी। इसकी प्रतियां रिकॉर्ड के लिए बैंक को सौंपी जाएंगी।

8.2 ठेकेदार आवश्यक बीमा कवर (वर्कमेन क्षतिपूर्ति पॉलिसी), तीसरे पक्ष / सार्वजनिक देयता को बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से लेगा, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में एक बीमा पॉलिसी (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जाएगा) उन जोखिमों के खिलाफ और कार्य शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों का जमा करना आवश्यक होगा। वर्कमेन क्षतिपूर्ति पॉलिसी के तहत न्यूनतम कवर उस मजदूर को भुगतान किए गए वेतन तक होगा, जिसे संविदा की पूर्ति के लिए तैनात किया गया है।

8.3 तीसरे पक्ष की देयता पॉलिसी का कवर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए:
क) व्यक्तियों को चोट के लिए – प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना न्यूनतम 2 लाख रुपये
ख) संपत्ति को नुकसान के लिए – प्रति दुर्घटना न्यूनतम 5 लाख रुपये, जबकि कुल सीमा लागू बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी

8.4 ठेकेदार सभी व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली चोटों और किसी भी संरचनात्मक और सजावटी संपत्ति नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो उसके स्वयं के या किसी नामित उप-ठेकेदार के कर्मचारियों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे ऐसे चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो किसी भी तरह से अनुबंध को पूरा करने से संबंधित हो। इस खंड को, अन्य बातों के अलावा, किसी भी इमारत को हुए किसी भी नुकसान को शामिल करने के रूप में माना जाएगा, चाहे वह तुरंत आसपास की हो या नहीं, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाली इमारतों और कार्यों को हुए सभी नुकसान को शामिल करेगा, चाहे वह ठंड या किसी अन्य प्रतिकूल मौसम की वजह से हो। ठेकेदार बैंक को प्रतिरक्षित करेगा और इसे किसी भी तरह की चोट या उक्त व्यक्तियों या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्चों के संबंध में हानिरहित रखेगा, साथ ही किसी भी सरकार के कानूनों या अन्यथा के तहत चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप हर्जाना या मुआवजे के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।
नोट: ये पॉलिसियां काम पूरा होने तक मान्य रहेंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियां उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियां स्वयं लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके खर्च को ठेकेदार के बिल से वसूल सकता है।

9. संविदा करार पर हस्ताक्षर
9.1 निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न सामान्य निर्देश, पहले उल्लेखित करार की शर्तें और तकनीकी विशिष्टताएँ, बैंक और निविदाकर्ता के बीच किए गए आगामी पत्राचार, और जारी कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

9.2 निविदाकर्ता को संलग्न सामान्य करार की शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनकी पेशकश पूरी तरह से वहाँ निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। निर्दिष्ट शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए कि उन्होंने/उन्होंने सामान्य करार की शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि से खुद को परिचित कर लिया है।

9.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा सभी भागीदारों द्वारा या उस भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण है। अन्यथा, निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

9.4 अपनी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा अनुबंध के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में बैंक और उस निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौता मानेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित हो या न हो।

9.5 ठेकेदार इस संविदा को किसी अन्य पार्टी को सौंप नहीं सकता। वह संविदा के किसी भी हिस्से को बैंकों की लिखित सहमति के बिना उपठेके पर नहीं दे सकता। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस भेज सकता है और अनुबंध रद्द कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा जमा बैंक के पास जब्त कर लिया जाएगा, अन्य उपलब्ध उपायों को प्रभावित किए बिना जो ठेकेदार के खिलाफ उपलब्ध हैं।

10. आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह निविदा को पूरे या आंशिक रूप से, निविदा देने वाले द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर स्वीकार कर सकता है।

11. अन्य मुद्दे

i. ठेकेदार को सभी कार्य बैंक के अधिकारियों की विस्तृत विशिष्टताओं और निर्देशों के अनुसार कड़ा पालन करते हुए करना होगा। यदि बैंक के अधिकारियों की राय में, साइट की स्थिति के अनुसार मामूली बदलाव करने की आवश्यकता हो और बैंक की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त हो, तो ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वही बदलाव करना होगा।

ii. बैंक के कर्मचारियों या बैंक में तैनात किसी अन्य अनुबंधित कर्मियों से पर्यवेक्षक और ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कामगार कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

12. पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा पंचाट के द्वारा:

i. किसी भी प्रकार के सभी विवाद और असहमति, जो इस अनुबंध या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान हो या उसके पूर्ण होने के बाद, और चाहे अनुबंध की समाप्ति, त्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में हो), उन्हें बैंक के पास भेजा जाएगा और बैंक द्वारा लिखित में निर्णय दिया जाएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र या अन्य किसी रूप में हो सकता है। किसी भी असमर्थ विषयों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी विषय पर असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष यानी बैंक को लिखित सूचना दे सकता है, जिसमें विवादित मामलों को पंचाट के लिए भेजने का अनुरोध किया जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होना चाहिए, जिनमें विवाद या मतभेद हैं और जिसके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बनती है, तो दोनों पक्षों को अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामांकित करना होगा। दोनों पक्षों द्वारा नामांकित दो मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तृतीय मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में नामांकित करेंगे।

ii. मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा कि मामला हो, के पास किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, आवश्यक्ता या सूचना को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार होगा, सिवाय उन असाधारण मामलों के, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खंड में किया गया है, और सभी विवादों के मामलों को निर्धारित करने का अधिकार होगा, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना जैसा ऊपर बताया गया है, दी गई होगी।

iii. मध्यस्थ या मध्यस्थक (जैसा कि मामला हो) को अपने पुरस्कार की घोषणा संदर्भ में प्रवेश करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर (या वह अतिरिक्त अवधि जो वह या वे पक्षों की सहमति से निर्धारित कर सकते हैं) करनी होगी। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्ष आपसी रूप से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, और पक्ष अपने संयुक्त समझौता या निपटान की ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, तो मध्यस्थ या मध्यस्थक (जैसा कि मामला हो) उस निपटान या समझौते के अनुसार पुरस्कार जारी करेंगे।

iv. किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार से संबंधित लागत पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थक (जैसा कि मामला हो) के विवेक पर होगा, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षों के बीच कर निर्धारण के लिए निर्देशित कर सकते हैं तथा यह निर्देश देंगे कि इसे कौन और किस को तथा किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा।

v. इस प्रस्तुति को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए một प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा मामला हो, अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसी वस्तु, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार इसके अतिरिक्त सहमति देते हैं कि इस प्रावधान के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम / नियम और संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम / नियम और अन्य लागू कानूनों / नियमों / अधिसूचनाओं की आवश्यकताओं का अनुपालन

i. ठेकेदार स्वयं को संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत कराने के लिए जिम्मेदार होगा, जब भी इसकी आवश्यकता होगी। ठेकेदार संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के सभी संबंधित प्रावधानों का पालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रिकॉर्ड वहां निर्धारित के अनुसार तथा श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय द्वारा बनाए रखें।

ii. ठेकेदार अपने मजदूरों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो पूर्ण रूप से न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और न्यूनतम वेतन (केंद्रीय) नियम, 1950 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार होगा। ठेकेदार न्यूनतम वेतन से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड रखेगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम वेतन अधिनियम / नियम / अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक है। ठेकेदार एक पंजीकरण पत्रक बनाएगा जिसमें उनके कार्यकर्ताओं को भुगतान किए गए वेतन को महीना-दर-महीना और कार्य-दर-काम के अनुसार दर्शाया जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी के हस्ताक्षर के साथ यह पुष्टि होगी कि उन्हें मासिक भुगतान किया गया। यह पंजीकरण पत्रक संबंधित महीने की 10 तारीख तक बैंक के एसिस्टेंट जनरल मैनेजर, एस्टेट विभाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

iii. ठेकेदार सभी दस्तावेज़ों, रजिस्टरों और रिकॉर्डों को बनाए रखेगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रजिस्ट्रेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 / कॉन्ट्रैक्ट लेबर (R & A) सेंट्रल रूल्स, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 तथा संबंधित श्रमिक और सामान्य कानून/नियम और अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक है और इन्हें बैंक या उसके अधिकारियों, और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधिकारी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण

जो संबंधित कानून/नियमों के तहत ऐसी शक्तियों से संपन्न है, के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए।

iv. ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी दरों में किसी भी परिवर्तन को लागू किया गया है और उक्त परिवर्तनों को तुरंत प्रभाव से लागू करेगा और अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान उसी अनुसार करेगा तथा इस संबंध में सभी रिकॉर्ड्स को अद्यतन रखेगा और बैंक को उक्त विकास के बारे में आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर तुरंत सूचित करेगा।

v. ठेकेदार अपने कार्यकर्ताओं पर लागू श्रम कानूनों जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1970, पी.एफ./ई.एस.आई. अधिनियम के अनुसार भुगतान, कामगार मुआवजा अधिनियम आदि के सभी वैधानिक शर्तों और आवश्यकताओं का पालन और क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी सरकारी दायित्वों का निर्वहन करेगा।

vi. ठेकेदार प्रचलित श्रम कानूनों और अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों के तहत सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक किसी भी तरह से ठेकेदार के किसी भी कृत्य, चूक या कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में बैंक या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

vii. बैंक में अनुबंध कार्य करने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए श्रमिकों के लिए PF (नियोक्ता और कर्मचारी) और ESI के वैधानिक योगदान की सही एजेंसी को भुगतान का प्रमाण चुने हुए ठेकेदार/एजेंसी द्वारा हर महीने दावे के बिल के साथ बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को अनुबंध मजदूर (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य लागू कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा, अन्यथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्रवाइयों/प्रक्रियाओं के लिए केवल वह जिम्मेदार होगा। बैंक ठेकेदार के कृत्यों, चूक या उपेक्षाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी तरीके से ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।मुख्य नियोक्ता यानी ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि को वेतन रजिस्टर के अंत में (जैसा कि मामला हो, वेतन-सह-मस्टर रोल रजिस्टर में) अपने हस्ताक्षर के तहत एक प्रमाणपत्र दर्ज करना होगा, निम्नलिखित रूप में:
"प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम संख्या... में दिखाया गया राशि संबंधित कार्यकर्ता को उसके/उसकी बैंक खाते में सीधे जमा कर दी गई है ... पर।"

viii. ठेकेदार को ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा और उसे अपने द्वारा नियोजित मजदूरों को CLRA अधिनियम के तहत निर्धारित सभी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं देना होगा। उसे बैंक को उन सभी कार्रवाइयों के खिलाफ प्रतिकर बनाए रखना होगा जो उसके द्वारा मजदूरी न देने और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान न करने के कारण वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकती हैं। उसे बैंक को एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जिसकी मूल्यराशि 100/- रुपये हो, निर्धारित प्रारूप के अनुसार, समझौते के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके द्वारा नियोजित मजदूरों को लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है।

14. समग्र वार्षिक रखरखाव संविदा (CAMC) - नवीनीकरण के लिए दरें

संविदा की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक है या जैसा कि बैंक द्वारा अंतिम कार्य आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त संविदा को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि मौजूदा संविदा अवधि के

दौरान ठेकेदार का प्रदर्शन संतोषजनक हो और टेंडर दस्तावेज़ में बताई गई अन्य शर्तें और नियम भी लागू हों।

नवीनीकरण के दौरान संविदा राशि में वृद्धि को निम्नलिखित के अनुसार माना जाएगा:
ii. निविदा दस्तावेज़ के भाग II के हेडर A में उल्लिखित "निश्चित घटक" के लिए, बैंक ठेकेदार को वर्तमान न्यूनतम वेतन (नवीनीकरण के समय प्रचलित) प्रदान करेगा जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित है, तथा इससे संबंधित जिम्मेदारियां जैसे बोनस, EPF, ESI घटक आदि।
ii. "परिवर्ती घटक" के लिए, संविदा के नवीनीकरण पर दरों की समीक्षा लागत वृद्धि के आधार पर की जा सकती है। करों को छोड़कर लागत में प्रतिशत वृद्धि (परिवर्ती घटक, अर्थात ठेकेदार का लाभ/ओवरहेड लागत आदि) नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है:

AC = AP + AP x (CPIc-CPIp) /CPIp

जहां, AC और AP क्रमशः संशोधित मूल्य [वर्तमान वर्ष] और वर्तमान मूल्य [पिछले वर्ष] हैं और CPIc और CPIp क्रमशः वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए संविदा की शुरुआत तिथि से 6 महीने पहले के लिए पूरे भारत के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं।

15. बैंक के परिसर में प्रवेश करने वाले सभी कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों / अधिकारियों की पुलिस सत्यापन:
सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक तैनात कर्मचारी / पर्यवेक्षक / अधिकारी की पहचान अभिलेखों के संबंध में स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से आवश्यक पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। तैनाती में किसी भी बदलाव को भी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र को सभी कर्मचारियों के लिए कम से कम वार्षिक आधार पर नवीन रूप में प्रस्तुत करना होगा।

मैं/हम इस प्रकार घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा के भाग II की मात्रा और सामग्री की अनुसूची पढ़ ली है और समझ ली है तथा ऊपर उल्लिखित सभी शर्तों को भी पढ़ा और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो ये शर्तें मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेंगी।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर और मुहर

साक्षी:

पता:

तारीख:

खंड VI

व्याख्या खंड में संदर्भित शर्तें

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्रा की अनुसूची और संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों को यहां उन्हें सौंपे गए अर्थों के अनुसार समझा जाएगा, सिवाय इसके कि विषय या संदर्भ अलग अर्थ की आवश्यकता हो।

(ए)	"नियोक्ता/बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय होगा और इसमें इसके अधिकार प्राप्तकर्ता और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ _____और _____नाम पर व्यापार और शैली और _____एक स्थान पर कारोबार होने ___ _____और उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" अर्थ श्री _____नाम पर व्यापार और शैली का _____और इसमें उनके वारिस , उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधिय शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" का तात्पर्य _____होगा कंपनी इनकॉरपोरेटेड के अंतर्गत _____और इसका पंजीकृत होना कार्यालय _____और इसमें इसके उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे और असाइन करता है।
(सी)	"साइट"	इसका अर्थ होगा संविदा कार्यस्थल, जिसमें वहां किसी भी भवन और निर्माण शामिल हैं, और किसी अन्य भूमि (समावेशी रूप से) जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया हो।
(डी)	"यह संविदा"	इससे समझौता पत्र, विशेष शर्तें, शर्तें, मात्रा और विनिर्देशों का कार्यक्रम आदि, जो इसके साथ संलग्न और सही ढंग से हस्ताक्षरित हैं, मतलब होगा।
(ई)	"बैंक का सुरक्षा अधिकारी/केयरटेकर"	शब्द 'बैंक का अधिकारी/देखभाल करने वाला' उस व्यक्ति को संदर्भित करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों की निरीक्षण/सुपरविजन के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया हो। ठेकेदार को बैंक के अधिकारी/देखभाल करने वाले को कार्यों और सामग्री का निरीक्षण/सुपरविजन करने और समय तथा सामग्री की जाँच और माप करने के लिए सभी सुविधाएँ और सहायता प्रदान करनी होगी। न तो बैंक का अधिकारी/देखभाल करने वाला और न ही बैंक का कोई प्रतिनिधि कार्यों को निर्धारित करने, अनुबंध की किसी भी आवश्यकता को रद्द, बदल, विस्तारित या ढीला करने, किसी भी दैनिक कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या छूट को स्वीकृत करने या किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकृत होगा, सिवाय इसके कि ऐसी अनुमति बैंक के इंजीनियर के लिखित आदेश और नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से विशेष रूप से प्रदान की गई हो।

		बैंक का अधिकारी/देखभालकर्ता या बैंक का कोई प्रतिनिधि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अप्रत्याशित स्वीकृति न होने की सूचना देने का अधिकार रखेगा और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसे सामग्री के उपयोग को बंद कर दिया जाएगा। बैंक का अधिकारी/देखभालकर्ता समय-समय पर कार्य की जांच करेगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी प्रकार से ठेकेदार को किसी भी दोष को सुधारने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या कार्य पूरा होने के बाद पाए जा सकते हैं। इस धारा की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के अधिकारी/देखभालकर्ता से ही निर्देश लेगा।
(एफ)	"लिखित सूचना"	लिखित नोटिस का अर्थ है ऐसा नोटिस जो लिखित, टाइप किया हुआ या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया हो (जब तक कि इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं सौंपा गया हो या अन्यथा यह प्रमाणित न हो कि इसे प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यापारिक पते पर भेजा गया हो, और सामान्य डाक प्रक्रिया में इसे प्राप्त माना जाएगा।
(जी)	"दिवालियापन अधिनियम"	इसका मतलब होगा कोई भी दिवालियापन कृत्य जैसा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट या प्रान्तीय इनसॉल्वेंसी एक्ट या किसी अन्य अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है जो ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करता हो।
(एच)	"शुद्ध मूल्य"	यदि अनुबंध राशि पर पहुंचने में, ठेकेदार ने निविदा में कुल मदों में से एक राशि को प्रतिशत के रूप में या अन्यथा जोड़ा या घटाया होगा, तो निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े से उस वस्तु के समान प्रतिशत या अनुपात के रूप में जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ा या काटा गया, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल राशि और अनंतिम रकम निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्यें" जब अनुबंध या खातों के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो दरों या कीमतों का मतलब इस तरह से प्राप्त किया जाएगा।
(मैं)	"काम"	बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए हाउसकीपिंग सेवा को अभिप्रेत होगा, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिजर्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवडियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (c) थमालम, (d) पलमूडू और (e) नंथनकोड में, सभी तिरुवनंतपुरम में नियोक्ता के लिए यहां प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार।

1. संविदा का दायरा

ठेकेदार इस कार्य को प्रत्येक पहलू में इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता की निर्देशानुसार तथा संतोषप्रद तरीके से पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेकानुसार और समय-समय पर लिखित निर्देश, विवरण, मार्गदर्शक और व्याख्या जारी कर सकता है, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से "नियोक्ता के निर्देश" कहा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

a) कार्य की गुणवत्ता या मात्रा में बदलाव या संशोधन, किसी भी कार्य का जोड़ना, हटाना या स्थानापन्न करना।
b) मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में कोई विसंगति।
c) साइट से ठेकेदार द्वारा लाए गए किसी भी सामग्री को हटाना और उसकी जगह कोई दूसरी सामग्री का उपयोग करना।
d) वहां पर किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटाना।

ठेकेदार तत्क्षण उन सभी कार्यों का पालन करेगा और उन्हें सही तरीके से निष्पादित करेगा जो ऐसे नियोक्ता के निर्देशों में शामिल हों, बशर्ते कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को कार्य स्थल पर दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि किसी परिवर्तन से संबंधित हों, तो उन्हें ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, और यदि नियोक्ता द्वारा आगे सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं जताई गई, तो इसे अनुबंध की सीमा के भीतर नियोक्ता के निर्देश के रूप में माना जाएगा।

2. कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

ठेकेदार को नियोक्ता के अनुरोध पर उन किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से हटाना होगा, जो ठेकेदार द्वारा कार्यरत हैं और जिसे नियोक्ता की राय में अयोग्य या अपने आचरण में अनुचित पाया गया हो। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना पुनः कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।

3. कार्यों तक पहुँच

नियोक्ता और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समयों पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, फैक्ट्रियों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुँच होगी जहाँ सामग्री रखी है और जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कर्मकौशल के निरीक्षण, परीक्षा और परीक्षण के लिए हर सुविधा प्रदान करेगा। कोई भी व्यक्ति, जब तक कि नियोक्ता द्वारा अधिकृत न हो, सार्वजनिक अधिकारियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, किसी भी समय कार्यों पर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

4. असाइनमेंट और उप-किराया

संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार सीधे या परोक्ष रूप से संविदा या इसका कोई हिस्सा, शेयर या उसमें किसी प्रकार की रुचि को अग्रिम लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित, असाइन या उप-किराए पर नहीं दे सकता, और कोई भी प्रतिज्ञा ठेकेदार को संविदा की पूरी और संपूर्ण जिम्मेदारी या कार्यों की प्रगति के दौरान सक्रिय निरीक्षण से मुक्त नहीं करेगी। इस संविदा को कोई भी परिवर्तन, विलोपन या विविधता अवैध नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय यह उचित समझता है कि कार्यों में कोई परिवर्तन, जोड़ या विलोपन किया जाए या उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री की प्रकार या गुणवत्ता में कोई

परिवर्तन किया जाए और इस बारे में अपने हस्ताक्षर के साथ ठेकेदार को लिखित सूचना देता है, तो ठेकेदार को इस सूचना के अनुसार बदलना, जोड़ना या विलोप करना होगा। लेकिन ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त कार्य को करने, किसी भी प्रकार के परिवर्तन या जोड़ करने या विलोपन करने या संविदा, शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध की किसी भी प्रावधान से विचलन करने का कार्य बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के नहीं करेगा, और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, जोड़ या विलोपन का मूल्य प्रत्येक मामले में नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा कि मामला हो।

5. मात्रा सूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पहले खुद यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कार्य के लिए यह निविदा सही और पर्याप्त है और मात्रा सारणी और/या दरों और कीमतों की सारणी में दिए गए मूल्य सभी उसके संविदा के अंतर्गत दायित्वों को कवर करते हैं, और कार्यों की उचित पूर्ति के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल करते हैं।

6. व्यक्ति और सम्पत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को हुए सभी चोटों के लिए, और किसी भी संरचनात्मक और साज-सज्जा वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि उसके स्वयं के संचालन या लापरवाही या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की लापरवाही से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे यह चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो, और किसी भी तरह से इस अनुबंध के निष्पादन से संबंधित हो। इस धारा में विशेष रूप से किसी भी इमारत को हुए किसी भी नुकसान को शामिल माना जाएगा, चाहे वह तुरंत सटे हों या नहीं, और किसी भी सड़क, गलियों, फुटपाथ, पुलों या मार्गों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ, इस अनुबंध के विषय वाले भवनों और कार्यों को हुए नुकसान को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वह नुकसान झाड़, वर्षा, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं से हुआ हो। ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी किसी भी चोट या संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित सभी और किसी भी खर्चों के लिए हर्जाना देगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और साथ ही किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या नुकसान से संबंधित किसी भी दावे के लिए, और साथ ही ऐसे दावे के परिणामस्वरूप किसी भी मुआवजे या क्षतिपूर्ति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

ठेकेदार इस क्लॉज में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की मरम्मत करेगा, ताकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण और संपूर्ण रूप में सौंपा जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों को सही किया जा सके या अन्यथा संतोषजनक ढंग से निपटाया जा सके।

ठेकेदार नियोक्ता को ऐसे सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा जो किसी भी आम जनता के सदस्य या अन्य तीसरी पार्टी द्वारा ठेकेदार के कार्यों या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं और अपने खर्च पर, अनुबंध की आभासी पूर्णता तक, एक मान्य कार्यालय के साथ ऐसी जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा नीति लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी नीति या नीतियाँ नियोक्ता के पास जमा करेगा।ठेकेदार इसी तरह नियोक्ता को सभी क्लेम्स से प्रतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमेनज़ कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत हों या इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रवर्तन कानून के तहत या सामान्य कानून के तहत किसी भी ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के कर्मचारी के संबंध में हों, और अपने खर्च पर, अनुबंध की आभासी पूर्ति तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर अनुमोदित कार्यालय के साथ ऐसी

जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी का प्रबंध और रखरखाव करेगा और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा। ठेकेदार उस किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जिसे उपरोक्त उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा गया हो और साथ ही किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाले अन्य सभी नुकसान के लिए भी, जो इस अनुबंध के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न या उससे संबंधित हो। वह नियोक्ता को किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या खर्च के संबंध में और इसके अलावा किसी भी मुआवजे या हर्जाने के पुरस्कार के संबंध में भी क्षतिपूर्ति देगा।

नियोजक को किसी भी ऐसे दावों या नुकसान से उत्पन्न या संबंधित किसी भी नुकसान, मुआवजा, लागत, शुल्क और खर्च की राशि को ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि से काटने का अधिकार होगा, बिना इससे संबंधित नियोजक के अन्य अधिकारों पर कोई असर डाले।

7. नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करने पर ठेकेदार की असफलता

यदि ठेकेदार को नियोक्ता से लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद, जो कि 10 दिनों के भीतर पालन करने की आवश्यकता बताती है, किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को स्वतंत्रता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करे और भुगतान करे, जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक हो जिससे इन निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सके, और इससे संबंधित सभी खर्च ठेकेदार से वसूल किए जा सकते हैं या उन्हें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है।

8. नियोक्ता द्वारा संविदा का समाप्ति

यह संविदा 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, और बैंके को संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में या ठेकेदार की सेवा से संतुष्ट न होने की स्थिति में एक माह की अग्रिम सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में ठेकेदार किसी भी मुआवजे/क्षति के हकदार नहीं होगा और सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

9. ठेकेदार द्वारा संविदा का समाप्ति

ठेकेदार, यदि चाहे, बैंके को एक माह की सूचना देकर संविदा समाप्त कर सकता है। सूचना अवधि बैंके द्वारा नोटिस प्राप्त करने के दिन से गणना शुरू होगी।

10. नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

इस करार के किसी भी या सभी मामलों के संबंध में निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होंगे और यहां उपस्थित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा इन पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, या नियोक्ता द्वारा इनमें से किसी को देने से इंकार करना, यहां निर्दिष्ट पंचटाली और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी प्रकार (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित) जैसा कि यह नियोक्ता का निर्णय हो।

11. नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार

यदि, किसी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर या किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता इस तरह की राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

12. ठेकेदार, यदि व्यक्ति हो के निधन की स्थिति में नियोक्ता के लिए संविदा समाप्त करने का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपायों को प्रभावित किए बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति हैं और उनका निधन हो जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसा संविदा समाप्त करने का विकल्प होगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त रहेगा।

13. सीमांत नोट्स

यहाँ और संलग्नक में दी गई शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन्हें इस संविदा तथा इसके संलग्नकों की व्याख्या में किसी भी तरह से नहीं लिया जाएगा।

दिनांक: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

पता

खंड VII

नियम और शर्तें

1. संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए है, संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, जब तक कि सेवा की कमी, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की घटिया गुणवत्ता और संविदा के उल्लंघन, कार्य की आवश्यकता में कमी या समाप्ति के कारण बैंक द्वारा इसे कम या समाप्त नहीं किया जाता है। संविदा की समाप्ति एक पूर्व सूचना जारी करके की जाएगी। ऐसे मामले में ठेकेदार को एक महीने की नोटिस अवधि दी जाएगी

2. ठेकेदार और उसके कर्मचारी बैंक की संपत्ति की उचित और उचित सावधानी बरतेंगे और बैंक द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी के क्षेत्रों को नुकसान, विनाश, बर्बादी या दुरुपयोग से बचाएंगे।

3. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के काम की निगरानी के लिए विशेष रूप से पर्याप्त पर्यवेक्षी कर्मियों की निगरानी या नियोजन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदान की गई सेवाएं साफ-सुथरे तरीके से की जाती हैं।

4. ठेकेदार केवल सक्षम, शारीरिक रूप से स्वस्थ, अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मियों को ही कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के दायरे में निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में, यदि कोई है, व्यक्ति अनुपातिक आधार पर तैनात किए जाएं और ठेकेदार ऐसे पुरुष/महिलाओं को नियोजित करेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो कार्य के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित हों।

5. ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान यूनिफ़ॉर्म और आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को अपने कर्मचारियों या एजेंटों को दो जोड़ी अलग यूनिफ़ॉर्म प्रदान करनी होगी, जो बैंक के कर्मचारियों से अलग हों, और इसका खर्च ठेकेदार वहन करेगा। यूनिफ़ॉर्म पर जैकेट/शर्ट पर "GARDNER" या "SUPERVISOR" कढ़ाई या स्टिच होना चाहिए और साथ ही ठेकेदार की फर्म/कंपनी का लोगो भी होना चाहिए, और इसे साफ-सुथरा और पहनने योग्य स्थिति में रखना आवश्यक है। बैंक सुपरवाइज़र और मुख्य कार्यालय बिल्डिंग परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए एक्सेस कार्ड (स्वागत) प्रदान करेगा और ठेकेदार को सुपरवाइज़र और बैंक के रेसिडेंशियल कॉलोनियों में तैनात अन्य सभी कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड प्रदान करना होगा, जिसका खर्च ठेकेदार वहन करेगा।

6. ठेकेदार की ओर से कोई भी लापरवाही, जो बैंक के इंजीनियर की राय में संपत्ति को नुकसान या कर्मचारियों को चोट पहुंचा सकती है, अनुमति नहीं होगी।

7. कार्य निवासियों के लिए न्यूनतम असुविधा के साथ किया जाना चाहिए।

8. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के कार्य घंटे स्पष्ट रूप से बताने चाहिए और इसका विवरण संबंधित कॉलोनियों के केयरटेकर/सिक्योरिटी गार्ड के पास रखा जाना चाहिए। कार्य समय के बाद किसी भी कर्मचारी को परिसर में बने रहने की अनुमति नहीं होगी।

9. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उस किसी भी व्यक्ति को हटा देने के लिए कह सके जो ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया हो और जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम और व्यवस्थित न पाया जाए।

10. ठेकेदार के पास उनके द्वारा किए जाने वाले उक्त कार्य के लिए नियुक्त किए गए अपने कर्मचारियों के पते और फ़ोटोग्राफ़ उपलब्ध होने चाहिए। कर्मचारियों को केवल बैंक द्वारा जारी फ़ोटो पास प्रस्तुत करने पर ही भवन के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और उन्हें बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन रहना होगा। अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए केवल ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11. अनुबंध के पुरस्कार के 45 दिनों के भीतर, ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और अनुबंध के तहत प्रदान किए जाने वाले उम्र, शैक्षिक योग्यता, नाम और स्थायी पता सहित अन्य विवरण, उनके पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ बैंक की परिसरों में ड्यूटी पर लगाने से पहले उपलब्ध कराना होगा। केवल सक्षम, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह प्रशिक्षित, साक्षर, अनुशासित और ईमानदार कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे।

12. ठेकेदार को एक उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखना होगा जिसे नामित बैंक कर्मचारी द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो और प्रत्येक माह के बिलों के साथ इसकी एक प्रति संलग्न करनी होगी, विफल रहने पर कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी ठेकेदार के तैनात कर्मी में से कोई अनुपस्थित रहता है और उपयुक्त प्रतिस्थापन प्रदान करने में असमर्थ है, तो बैंक द्वारा अनुपस्थित कर्मी प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अनुपस्थित कर्मियों की मजदूरी के अलावा होगा और इसे ठेकेदार के लंबित/आगामी बिल से काटा जाएगा। बैंक ठेकेदार द्वारा लगे कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर को बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनों से भी बदल सकता है।

13. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें वर्तमान वर्ष के लिए ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 / न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार होनी चाहिए और साथ ही भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। जिन निविदाओं में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी से कम दरें उद्धृत की गई होंगी, उन्हें संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें L1 निवेदक का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

14. सफल बोलीदाता अपने सामग्री और कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और कार्यस्थल में उनके कार्य भाग सहित हमेशा अग्नि रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

15. ठेकेदार किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा या किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगा, और ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी/कर्मी किसी भी रूप में आभार या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे।

16. इच्छुक निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक से पूर्व अनुमति लेकर स्थल का निरीक्षण करें और अपने दरें देने से पहले रखरखाव के क्षेत्र और निष्पादित किए जाने वाले कार्य की सटीकता की पुष्टि करें।

17. उद्धृत शुल्क में कार्यशील मानवशक्ति, प्रयुक्त सामग्री और सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान करने के लिए तैनात मशीनरी/उपकरण का खर्च शामिल होगा और इसे मासिक आधार पर चालान प्रस्तुत करने के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसके भुगतान के लिए यह आवश्यक है कि देखभालकर्ता/सुरक्षा अधिकारी, P&SE द्वारा सेवाओं की संतोषजनक रूप से प्रदत्त होने की पुष्टि की गई हो और सभी वैधानिक देय/कर आदि काटने के बाद भुगतान किया जाएगा।

18. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए और इसका प्रमाण बिलों के साथ प्रस्तुत करना

होगा।

19. सभी कानूनी लाभ जैसे EPF, बोनस, ESI और अन्य कानूनी भुगतान आदि ठेकेदार द्वारा किए जाने चाहिए और इसका प्रमाण बिलों के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि EPF, बोनस, ESI और अन्य कानूनी भुगतान आदि कानूनी निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी राशि को अनुबंध मूल्य से बाहर किया जाएगा।

20. यदि बैंक को ठेकेदार की सेवाएँ संतोषजनक लगती हैं और बैंक ऐसा चाहती है, तो अनुबंध को समान शर्तों और नियमों पर दो वर्षों के लिए आगे नवीनीकरण के लिए माना जा सकता है। इस संदर्भ में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

21. सफाई का नियमित रूप से बैंक के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

22. वार्षिक AMC नवीनीकरण के दौरान, AMC राशि में अधिकतम अनुमति प्राप्त वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर होगी।

23. कार्य बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार सख्ती से किया जाएगा।

24. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पानी का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए और इसे व्यर्थ न किया जाए।

25. ठेकेदार केवल इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या नियमों और उनके तहत प्रावधानों का पालन करे, जो उसके द्वारा नियोजित कर्मियों पर लागू होते हैं। ठेकेदार द्वारा राज्य/केंद्रीय सरकार के किसी भी प्रावधान या नियमों के पालन न करने की स्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

26. बैंक को किसी भी कारण को बताये बिना एक महीने के नोटिस के साथ समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार को समझौते की समयपूर्व समाप्ति के लिए कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। समाप्ति नोटिस में दिए गए नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले, ठेकेदार को परिसर खाली कर देना होगा।

27. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

28. बैंक ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों आदि को बैंक परिसर में किसी भी प्रकार का आवास प्रदान नहीं करेगा।

29. ठेकेदार को आवश्यक लाइसेंस और परमिट अपने नाम पर अपने खर्च पर प्राप्त करने होंगे और किसी भी वैधानिक आवश्यकता का पालन न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ बैंक को निरंतर सुरक्षित रखना होगा।

30. कर्मचारियों का घुमाव त्रैमासिक अंतराल पर या बैंक के विवेकानुसार किया जाना चाहिए। किसी भी आपातकालीन कार्य में भाग लेने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाना चाहिए।

मैं/हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए निर्देशों को पढ़ा और समझा है, जो निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए हैं, और हम इसका पालन करेंगे।

दिनांक: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

जगह: संपर्क संख्या के साथ नाम और पता:

खंड VIII

कार्य का विस्तृत दायरा

यह वार्षिक रखरखाव संविदा (AMC) बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और तिरुवनंतपुरम में विभिन्न स्थानों पर स्थित आवासीय कॉलोनियों में वृक्षों, जड़ी-बूटियों, झाड़ियों, बेलों, घास के मैदानों और इनडोर / आउटडोर गमले वाले पौधों तथा मछली के टैंक / एक्वेरियम के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव के लिए है।

i. बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों का विवरण जो वार्षिक रखरखाव संविदा (AMC) के दायरे में शामिल हैं:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695033- (MOB)
2. रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, तम्मलम-695012 (TSQ)
3. रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, प्लामूड -695004 (PSQ)
4. रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, नंत्तनकोड -695003 (NSQ)
5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवडियार -695003- (KOQ)

ii. कामगारों की आवश्यकता:

वार्षिक रखरखाव ठेकेदार को उपरोक्त उल्लिखित हरियाली और उपकरणों के दैनिक रखरखाव के लिए सभी सेवाओं की प्रभावी रूप से व्यवस्था करने और उनका निरीक्षण करने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए:

a. अर्ध-कुशल पूर्णकालिक पर्यवेक्षक - वार्षिक रखरखाव ठेकेदार को एक अर्ध-कुशल पूर्णकालिक पर्यवेक्षक की तैनाती करनी चाहिए, जो उपरोक्त सभी परिसरों में एएमसी से संबंधित गतिविधियों का प्रभारी हो, ताकि गतिविधियों की प्रभावी निगरानी की जा सके और हरियाली का सर्वोत्तम संभव स्तर, गुणवत्ता और सौंदर्यशास्त्र बनाए रखा जा सके। वह/वे बागवानी/हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों का अनुभव हो। उसे/उन्हें सभी परिसरों में बागवानी/उद्यानिकी गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करने के लिए पर्याप्त कुशल होना चाहिए, नियमित रूप से बैंक के अधिकृत अधिकारियों से निर्देशों की जांच और पालन करना चाहिए। उसे/उन्हें उन समस्याओं को हल करने में सक्रिय रहना चाहिए जो सेवाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। उसे/उन्हें सेवा समन्वय, मजदूरों को निर्देश देने और प्रत्येक परिसर में हरियाली के रखरखाव और स्थिति के बारे में बैंक के अधिकृत अधिकारियों को रिपोर्ट/सुझाव देने के लिए प्रति सप्ताह कम से कम तीन बार प्रत्येक परिसरों का दौरा करना चाहिए। वार्षिक सेवा अनुबंध के पुरस्कार की तिथि से एक महीने के भीतर, उसे/उन्हें सभी उपलब्ध पेड़ों की जनगणना करनी चाहिए और प्रत्येक परिसर के लिए अलग-अलग रजिस्टरों में इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, प्रत्येक पेड़ की प्रजाति के लिए अलग-अलग फोलियो के साथ। सूखी / गिर गईं पेड़ों की रिपोर्ट मासिक आधार पर बैंक के अधिकृत अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। सेवाएँ / कार्य बैंक के अधिकृत अधिकारियों के परामर्श में किए जाएंगे।

पर्यवेक्षक को ऊपर उल्लिखित किसी एक परिसर में उपस्थित रहना होगा, जहाँ एएमसी की सेवाएँ प्रदान की जानी हैं, नीचे निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान या बैंक की सुविधा के अनुसार किसी अन्य समय पर, जिसे लिखित रूप में ठेकेदार

को सूचित किया जाएगा, ताकि दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी की जा सके और बैंक के अधिकृत अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा सके। यह रिपोर्टसंपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम - 695033, को बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार दी जाएगी, ताकि वे उनसे निर्देश ले सकें। पर्यवेक्षक को दिए गए निर्देशों को ठेकेदार को दिए गए निर्देश माना जाएगा। वह बैंक या उसके अधिकृत अधिकारियों द्वारा साइट ऑर्डर बुक/टेलीफोन कॉल के माध्यम से दिए गए निर्देशों को भी नोट करेगा और नोट किए जाने की लिखित पुष्टि देगा। उसे आवश्यक साइट रजिस्टरों, जैसे शिकायत रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, सामग्री प्राप्ति/उपभोग रजिस्टर, श्रमिक उपस्थिति रजिस्टर आदि का दैनिक रूप से सख्ती से रखरखाव और अद्यतन करना चाहिए और उन्हें बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए। पर्यवेक्षक को विभिन्न परिसरों के बीच आने-जाने के लिए वाहन और बैंक के अधिकारियों के साथ संचार करने के लिए मोबाइल फोन प्रदान किया जाना चाहिए।

b. सहायक - उसे / उन्हें बैंकों के पर्यवेक्षक और अधिकृत अधिकारियों द्वारा सौंपे गए हर काम को करना चाहिए जो हरियाली / बगीचे / लॉन के रखरखाव, विकास और सुंदरता से संबंधित हो। पेड़ों / पौधों / लॉन आदि की वृद्धि, विकास, टिकाऊपन और रखरखाव के लिए आवश्यकतानुसार पानी देना, खाद / उर्वरक / कीटनाशक / पेस्टीसाइड देना, शाखाओं / पत्तियों की छंटाई / प्रूनिंग करना, परिसर में उगने वाले जंगली पौधे और खरपतवार हटाना, जिनमें छतों, छज्जों, सनशील्ड्स, इमारतों / संरचनाओं के दरारों / दरारियों पर उगने वाले पौधे भी शामिल हों, अधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्देशित अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करना आदि पर्यवेक्षक की जिम्मेदारियों में शामिल हैं।
मिट्टी की जोताई, नई पौधों की रोपाई, समय-समय पर घास की मोटाई / घनत्व सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल या मैकेनिकल लॉन मूवर्स का उपयोग कर घास की कटाई और स्थानांतरण, पेड़ों की अतिरिक्त / लटकी हुई शाखाओं की छंटाई, गिरे हुए / छांटे हुए / कटे हुए शाखाओं / तनों / पत्तों / घास को निर्धारित स्थानों / डंपिंग यार्ड्स / ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीनों आदि में काटना, हटाना और स्थानांतरित करना जैसी सभी उद्यान संबंधी गतिविधियां उनकी देखरेख में की जाएंगी। जब भी बैंक द्वारा नए पौधे / पोधे प्रदान किए जाएं, उन्हें बैंक के अधिकृत अधिकारियों के निर्देशानुसार लगाया जाएगा।

c. हर जगह पर कम से कम कितने कामगार की ज़रूरत है:

क्रम संख्या	**स्थान / परिसर**		**अर्ध-कुशल (पर्यवेक्षक)**		**अकुशल (सहायक)**
1	MOB		01		3
2	TSQ				5
3	PSQ				1
4	NSQ				1
5	KOQ				4
सभी जगहों के लिए कुल मिलाकर काम करने वाले लोगों की संख्या			01		14

d. पर्यवेक्षक और कामगारों के कार्य दिवस और समय: पर्यवेक्षक और कामगारों को उपर्युक्त निर्दिष्ट स्थल पर उपस्थित रहना होगा, जहां एएमसी सेवाएं प्रदान की जानी हैं, न्यूनतम 8.00 घंटे के लिए, सुबह 08:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक, सप्ताह में 06 (छह) दिन (राष्ट्रिय अवकाश जैसे कि 26 जनवरी, 01 मई, 15 अगस्त और 02 अक्टूबर, जैसा कि केरला इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1958 में उल्लेखित है, को छोड़कर) या बैंक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य समय पर और जो लिखित रूप में ठेकेदार को सूचित किया गया हो। हालांकि, आपातकाल की स्थिति में, पर्यवेक्षक / कामगार छुट्टियों में भी ड्यूटी पर उपस्थित होंगे और आपातकालीन कार्य पूरा होने तक काम जारी रखेंगे। नियमित पर्यवेक्षक / कामगार की अनुपस्थिति में ठेकेदार को वैकल्पिक पर्यवेक्षक / कामगार तैनात करना होगा और सभी तैनात कार्यकर्ताओं को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना होगा।

नोट: इच्छुक बोलीदाता को, हालांकि, निविदा प्रस्तुत करने से पहले परिसरों का दौरा करना चाहिए और उनका सर्वेक्षण करना चाहिए तथा बैंक के अधिकृत अधिकारियों से परामर्श करना चाहिए ताकि वे प्रत्येक परिसर की सीमा और **AMC** के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की श्रेणी से परिचित हो सकें। बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय, किसी भी कारण का उल्लेख किए बिना, वार्षिक रखरखाव संविदाकर्ता द्वारा नियुक्त किसी भी कामगार को हटाने का निर्णय ले सकता है। बैंक वार्षिक रखरखाव संविदाकर्ता को लिखित रूप में सुझाव दे सकता है कि प्रत्येक परिसर में तैनात कामगारों की संख्या बढ़ाई या घटाई जाए, **AMC** की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने विवेकानुसार, और इसके अनुसार ऐसी विविधताओं के लिए **AMC** शुल्क (जोड़े / घटाए गए) को समायोजित किया जाएगा, वास्तविक संख्या में घटाए गए / अतिरिक्त तैनात कामगारों के आधार पर, उस समय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी पर, जैसा कि केंद्रीय या राज्य सरकारों (जो भी अधिक हो) द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

2. कार्य का व्यापक दायरा निम्नलिखित शामिल करेगा:

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, **बेकरी जंक्शन में और निवासीय क्वार्टर**, **कवडियार**, **तम्मलम**, **प्लामूडू और नंत्तनकोड में बागवानी कार्यों का रखरखाव**

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन में और निवासीय क्वार्टर, कवडियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड में बागवानी/उद्यान कार्यों का रखरखाव करना, जिसमें बैंक के परिसर में और बाहर, परिसर की परिधि के साथ, मौजूदा विकसित लॉन्स, झाड़ियों/पौधों की हरी पट्टियाँ, वृक्षारोपण, गमलों में पौधे आदि शामिल हैं।

i. **न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या**

सफल बोलीदाता को निर्दिष्ट न्यूनतम कार्यबल तैनात करना चाहिए, जो प्रतिदिन 8 घंटे के लिए काम करेंगे, लंच ब्रेक को छोड़कर, इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए। कार्य समय बैंक और सफल बोलीदाता के बीच आपसी समझ के अनुसार होगा। हालांकि, आपातकालीन कार्यों के लिए, कर्मचारियों को आपातकालीन कार्य समाप्त होने तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के काम करना होगा। सफल बोलीदाता ऊपर बताए गए कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक हो अतिरिक्त कार्यबल लगा सकता है, जिसके लिए सफल बोलीदाता को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

ii. **तकनीकी विवरण**

कार्य में पौधों का प्रतिस्थापन शामिल है जैसे कि पेड़, झाड़ी, लताएं, रसीले पौधे, फूल वाले पौधे, लॉन और जमीनी आवरण आदि (इनडोर सहित), समय-समय पर पानी देना, घास की जुताई, साफ-सफाई, मशीन से लॉन काटना, उर्वरक प्रदान करना और कीटनाशक का छिड़काव करना, खाद और लाल मिट्टी आदि प्रदान करना ताकि सभी लॉन, पौधों, पेड़ आदि की उचित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। निर्दिष्ट तकनीकी विवरण निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य

ठेकेदार को साइट पर जाने और स्वयं यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वर्तमान परिवेश, संरचनाएं आदि, मिट्टी की विशेषताएं और कोई अन्य मामला क्या हैं। इन बिंदुओं पर किसी भी गलतफहमी या गलत जानकारी के परिणामस्वरूप या अपर्याप्त विवरण के आधार पर किए गए परिवर्तन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैंक द्वारा एजेंसी को सबसे नजदीकी उपलब्ध बिंदु पर मुफ्त में बिजली और पानी दिया जाएगा, लेकिन अन्य सभी व्यवस्थाओं को ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

2. पानी देना

पौधों / झाड़ियों को रोपण के बाद और विकास सीजन के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाएगा।

3. मिट्टी और खाद

(क) बगीचे की मिट्टी/भूमि कष्ठयुक्त होनी चाहिए, अच्छे से छननी गई हो ताकि पौधे के प्रकार के अनुसार उपयुक्त हो (पौधों और झाड़ियों के लिए मोटी और लॉन के लिए महीन) जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस हो और यह स्थायी जड़ी-बूटियों, पत्थरों और कंकड़ों से मुक्त हो।

(ख) गोबर की खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई गाय या घोड़े की खाद होनी चाहिए, सूखी स्थिति में और भूसा, मिट्टी या कंकड़ों से मुक्त हो।

4. लॉन

ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह रखरखाव की अवधि के दौरान लॉन को सही ढंग से टॉप ड्रेसिंग, रोलिंग, घास निकालना और समय-समय पर हाथ से कटाई या मशीन से घास काटना, पानी देना आदि कार्य करे, ताकि लॉन को हरा, घना और स्प्रिंगी टर्फ का सुंदर कालीन बनाए रखा जा सके। इस अवधि के दौरान लॉन को महीने में एक बार द्रव उर्वरक से पोषित करना भी ठेकेदार का कर्तव्य होगा, जिसमें 5 लीटर पानी में 45 ग्राम अमोनिया घोलकर या निर्देशानुसार उपयोग करना होगा। ठेकेदार सभी इनडोर पौधों का रखरखाव भी करेगा, उन्हें समय-समय पर बदलता रहेगा और महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्हें सौंदर्यपूर्ण रूप से सजाएगा।

5. कीटनाशक

प्रत्येक गड्ढे में मिट्टी के मिश्रण के अतिरिक्त प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का **B.R.C.** पाउडर 100 ग्राम की मात्रा में डाला जाएगा।

6. सामान्य शर्तें

a. यदि किसी पौधे का संविदा अवधि के दौरान जीवित रहना संभव न हो और वह मर जाए, तो ठेकेदार को उसे अपनी लागत पर बदलना होगा, विफल रहने पर लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

b. ठेकेदार को आवश्यक कार्य की गुणवत्ता, देखभाल, रखरखाव आदि के लिए स्वयं अपनी लागत पर व्यवस्था करनी चाहिए। जल की अपर्याप्त आपूर्ति होने की स्थिति में, ठेकेदार को बैंक पर अतिरिक्त लागत डाले बिना पानी के टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था करनी होगी।

c. अवांछित जंगली घास या वनस्पति को हटाना या उचित पर्यावरण-अनुकूल रसायनों का उपयोग करके नियंत्रण करना, पेड़ों की अवांछित/मरी/टूटी हुई शाखाओं को छांटना/काटना आदि और उन्हें बैंक के परिसर से बाहर निपटाना, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक होने पर लेना, साल में कम से कम दो बार या जब भी

आवश्यकता हो। यदि आवश्यक हो, तो सभी ऐसे कार्यों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को बैंक के लिए किसी अतिरिक्त लागत के बिना तैनात किया जा सकता है।

d. किसी प्राकृतिक आपदा/तूफान आदि के दौरान यदि कोई पेड़ गिरता है, तो उसे काटने और निपटाने का कार्य भी शि एवं सु स्था के समन्वय और वैधानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति के साथ दायरे में शामिल है और ठेकेदार इसके लिए लागत शामिल कर सकते हैं।

e. पार्किंग छायाओं, इमारतों की छत पर पेड़ की पत्तियों/शाखाओं की त्रैमासिक सफाई।

f. ठेकेदार को अतिरिक्त मानव-शक्ति की लागत शामिल करनी चाहिए, यदि किसी भी आवश्यकता हो तो जो कार्यक्षेत्र में उल्लेखित निवारक/आवधिक रखरखाव कार्यों में शामिल हो।

g. पेड़ों/झाड़ियों/बुशों की निचली शाखाओं की छंटाई की जाएगी ताकि वे किसी विशेष ऊँचाई से ऊपर बढ़ सकें। छंटाई के बाद, पौधों को नए विकास की स्थापना के लिए खाद और कंपोस्ट के साथ मल्च किया जाएगा।

h. आवश्यक गड्ढे, नाले बनाना और पौधों, झाड़ियों आदि के लिए उपयुक्त बगीचे की मिट्टी/मिट्टी, उर्वरक, कीटनाशक आदि से भरना, जब भी आवश्यक हो।

i. पेड़ की छंटाई/काटने का माल, घास, अतिरिक्त बगीचे की मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आदि हटाना और उन्हें परिसर से बाहर निपटाना।

j. ठेकेदार को ऐसे सामग्री का उपयोग करना होगा जो आईजीबीसी द्वारा अनुमोदित ब्रांड की हों।

iii. **कार्य की समय-सारणी**

1) रखरखाव का कार्य बैंक के परिसर के अंदर और बाहर के पूरे लॉन, पौधों/पेड़ों/झाड़ियों/सजावटी पौधों, बाड़ आदि तथा कुल खुली जगह सहित बैंक के परिसर की बाड़ के संबंध में किया जाना आवश्यक है। इसमें मौजूदा बगीचे/लॉन/पौधों आदि के रखरखाव के साथ-साथ किसी भी अन्य नए जोड़ का रखरखाव भी शामिल है। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन का रखरखाव कार्य निम्नलिखित शामिल है:

2) सभी कॉलोनियों और कार्यालय परिसर में पौधों, पेड़ों, लॉन, वर्टिकल गार्डन आदि को दिन में एक या दो बार या आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से पानी देना।

3) मुख्य कार्यालय परिसर और अधिकारियों के क्वार्टर में गुलाब के पौधों को नियमित रूप से कीटनाशक, कीट निरोधक, फफूंदी निरोधक, खाद आदि लगाकर बनाए रखना। अस्वस्थ पौधों को बदलना, पौधों को उपयुक्त मिट्टी और खाद मिश्रण के साथ 6 महीने में एक बार पुनः लगाना और यह सुनिश्चित करना कि पौधे हमेशा स्वस्थ स्थिति में हों।

4) निर्धारित अंतराल पर लॉन में यूरिया की 1 किलो / 100 वर्ग मीटर की दर से खाद देना।

5) बैंक के परिसर से सभी प्रकार की घास और अवांछित झाड़ियों को नियमित रूप से उखाड़ना और हटाना, जिसमें छत भी शामिल है।

6) मुरझाए हुए पत्तों को हटाना, क्षेत्र की सफाई करना जिसमें रोज़ाना कचरा और मुरझाए हुए पत्ते, टहनियाँ आदि फेंकना शामिल है, जहां आवश्यक हो वहां पौधों के लिए बाँध बनाना, और आवश्यकतानुसार पौधों की जड़ों में लाल मिट्टी और खाद डालना।

7) एकत्रित मुरझाए पत्ते और कचरे को प्रतिदिन कंपोस्ट गड्ढे में डाला जाना चाहिए।

8) सभी पौधों की हेज़ को ठीक से बनाए रखना। पत्तियों को सुंदर आकार में बनाए रखते हुए छंटाई और कटाई करनी चाहिए, उन्हें पूरी तरह से बाल्ड किए बिना, ताकि अगले काम के लिए लंबे अंतराल बनाए रखा जा सके।

9) नियमित अंतराल पर लॉन से घास निकालना।
10) उचित और स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक अनुपात में पेस्टीसाइड्स, फंगीसाइड्स और कीटनाशकों आदि का कम से कम महीने में एक बार या आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना।
11) पौधों, झाड़ियों, पेड़ों आदि को नदी की रेत, गाय के गोबर और पत्तियों आदि से बने कंपोस्ट और अन्य खादों के साथ आवश्यक अनुपात में नियमित अंतराल पर और निर्देशानुसार खाद डालना।
12) पौधों और पेड़ों की देखभाल करना, बेहतर विकास के लिए छंटाई करना, आवश्यक आकार पाने के लिए पौधों की छंटाई करना, टूटे/क्षतिग्रस्त मिट्टी के बर्तन बदलना आदि, सभी निर्देशों के अनुसार, बैंक पर किसी अतिरिक्त लागत के बिना।
13) अनुपयोगी/कमजोर पेड़ों को काटना और बैंक की परिसंपत्तियों से उनका निपटारा करना, बिना बैंक पर किसी अतिरिक्त लागत के।
14) जंगली वृद्धि को काटना और हटाना, पेड़ों की शाखाओं को काटना और हटाना, वनस्पति आदि को हटाना और सभी अपशिष्ट सामग्री को बैंक की परिसंपत्तियों के बाहर निपटाना, जिसमें ट्रांसफार्मर यार्ड भी शामिल है, निर्देशों के अनुसार।
15) अपने या पड़ोसी के बगीचों से उग रहे पेड़ जो बैंक की परिसंपत्तियों पर या उसके भीतर फैल रहे हैं, उन्हें समय-समय पर बाड़ के स्तर से ऊपर की ओर लंबवत रूप से छांटा जाना होगा। पेड़ों की अनचाही शाखाएं जो इमारतों में प्राकृतिक प्रकाश को रोक रही हों और झुकती हुई शाखाएं, उन्हें आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बाद काटा जाना चाहिए और कटे हुए शाखाओं को तुरंत परिसर से हटा दिया जाना चाहिए। यदि वन / नगर निगम प्राधिकरण से किसी अनुमति की आवश्यकता हो, तो ठेकेदार को यह अपनी लागत पर सुनिश्चित करनी होगी। बैंक की पूर्व स्वीकृति और जब भी आवश्यक हो वन / नगर निगम प्राधिकरण से अनुमति के बिना कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
16) परिसर की छतों की सफाई महीने में एक बार करना ताकि वहां वनस्पति का विकास न हो और रासायनिक पदार्थ आदि का प्रयोग करके अनचाही वनस्पति को नष्ट करना, तथा लॉन और आस-पास के क्षेत्र की नियमित सफाई करना ताकि परिसर साफ-सुथरा बना रहे।
17) परिसर से समय-समय पर मलबा, पत्ते आदि हटाना।
18) स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर गमलों की सफाई और रंगाई करना।
19) उखड़ी हुई पेड़ों / गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं की कटाई और तख्ती करना तथा अपशिष्ट सामग्री को बैंक परिसर के बाहर फेंकना।
20) बगीचे की नालियों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि ड्रेनेज का पानी बिना किसी रुकावट/जाम के बैंक की परिसंपत्तियों से स्वतंत्र रूप से बह सके।
21) प्रत्येक परिसंपत्ति में नियमित माली/सहायक के अलावा जंगली घास-पौधों और वनस्पति की सफाई, पेड़ों की शाखाओं को छांटने और संबंधित कचरा सामग्री के निपटान के लिए अलग से कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
22) मुख्य कार्यालय परिसंपत्ति [1 संख्या] और कोविदियार अधिकारियों के क्वार्टर [1 संख्या] में फव्वारों की सफाई [संरचना और पाइपलाइनों की व्यवस्था सहित]।
23) मुख्य कार्यालय भवन और आगंतुक अधिकारी फ़्लैट्स (**VOFs)/**ट्रांज़िट हॉलिडे होम्स (**THH)/**औषधालय/जिम रूम आदि में फूल/पौधों के बर्तन को कॉरिडॉर्स में रखा जाना चाहिए और इन्हें समय-समय पर हटाकर वापस रखा जाना चाहिए। सफल बोली लगाने वाले को पर्याप्त संख्या में पॉटेड पौधों (सजावटी) को समय-समय पर पौधे बदलने

के लिए संग्रहीत करने के लिए एक नर्सरी बनाए रखनी चाहिए।

24) अनुबंध की अवधि के दौरान सभी पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि का अस्तित्व बनाए रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी है और किसी भी पेड़, पौधे, झाड़ी आदि का अगर अस्तित्व नहीं रहता है तो उन्हें बदलकर अच्छे विकास के लिए पालना चाहिए ताकि बैंक की संतुष्टि हो सके बिना किसी शुल्क का दावा किए।

25) बैंक नए पौधे/झाड़ियों/नई घास/पेड़ खरीद सकता है ताकि खुले परिसर में बगीचे की गुणवत्ता और आकार को बढ़ाया जा सके। जब भी ऐसी खरीदारी की जाती है, सफल बोलदाता को उन्हें बैंक द्वारा इच्छित रूप से जमीन/गमलों में लगाने और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उनका रख-रखाव करने की व्यवस्था करनी होगी।

26) सफल बोलदाता को पौधों, पेड़ों, गिरे हुए पेड़ों से मृत लकड़ी काट कर हटानी चाहिए और इन्हें अपने खर्च पर बैंक की परिसरों से निकालना चाहिए।

27) सफल बोलदाता को नियमित रूप से साइट का दौरा करना चाहिए और वहां नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से सभी परिसरों में बागवानी कार्य का हरियाली एवं रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

28) ठेकेदार को सभी कार्यों का 12 महीने तक रखरखाव करने की आवश्यकता होगी और रखरखाव अवधि के दौरान मृत पौधों को मुफ्त में बदलने की जिम्मेदारी होगी। इस अवधि के दौरान ठेकेदार को रोज़ाना आधार पर पूरे बागवानी का ध्यान रखना होगा।

29) मैनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार छंटाई के दौरान कटे बड़े पेड़ों की शाखाओं और तनों का निपटान विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।

30) उद्धृत दरों में निम्नलिखित भी शामिल होना चाहिए:

क) कार्य के लिए आवश्यक उपकरण और पौधों की लागत।

ख) खाद मिश्रण तैयार करने और उपरोक्त कार्यों को करने के लिए श्रम खर्च।

ग) ईंट के टुकड़े, रेत, सहायक उपकरण, होज़ पाइप, स्प्रेयर, कीटनाशक, फफूंदनाशक, कीट नाशक और किसी अन्य लागत की लागत जो साफ-सुथरे और स्वस्थ बगीचे को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

1. **iv. बैंक के मुख्य कार्यालय परिसरों और चार आवासीय कॉलोनियों में माली द्वारा किए गए / किए जाने वाले कार्यों का विवरण (नीचे बताया गया कार्य केवल संकेतात्मक है)**

1. किए जाने वाले कार्यों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

किए जाने वाले कार्य

1. बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और चार आवासीय कॉलोनियों में हर दिन बगीचे की सफाई करना और पौधों को पानी देना।
2. महीने में एक बार पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव और जैविक खाद डालना।
3. परिसर के भीतर बगीचे के कचरे को हटाना।
4. पौधों को काटना और छांटना।
5. सामान्य खाद डालना।
6. इनडोर पौधों को फिर से लगाना।सभी खरपतवार और सूखी टहनियों, पत्तियों को साफ़ करना, वगैरह।
7. सभी खरपतवार और सूखी डालियाँ, पत्तियाँ आदि हटाना।
8. फूल देने वाले पौधों को फिर से गमले में लगाना / पुनः रोपित करना।
9. एमओबी / एनेक्स भवन की छत, एमओबी / क्वार्टर / कंपाउंड की दीवारों पर उग रहे खरपतवार / घास / पौधों आदि को हटाना।
10. एमओबी और क्वार्टर की छत / कार शेड / स्कूटर पार्किंग क्षेत्र / सूचना केंद्र आदि में सूखी पत्तियाँ हटाना।
11. पेड़ों और पौधों की छंटाई साल में कम से कम दो बार करनी चाहिए (एक मानसून से पहले)।

नोट: बैंक द्वारा सुझाए जाने पर अन्य किसी भी बाग़वानी संबंधित कार्यों को भी ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार लगातार किया जा सकता है।

2. **प्रति सप्ताह कर्तव्यों की न्यूनतम आवश्यकता:** ऊपर उल्लिखित व्यापक कार्यक्षेत्र (अनुच्छेद 2, खंड VIII) में निर्दिष्ट सभी कार्यों के लिए प्रति सप्ताह कर्तव्यों की न्यूनतम आवश्यकता नीचे सारणीबद्ध की गई है:

बैंक की आवश्यकता के अनुसार साप्ताहिक ड्यूटी की संख्या								
	रविवार	**सोमवार**	**मंगलवार**	**बुधवार**	**गुरुवार**	**शुक्रवार**	**शनिवार**	**कुल**
बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और सभी आवासीय कॉलोनियों में बागवानी कर्मचारी - पर्यवेक्षक	-	1	1	1	1	1	1	**6**
बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में बागवानी कर्मचारी	-	3	3	3	3	3	1	**16**
कौडियार में बैंक की निवासीय कॉलोनी में बागवानी कर्मचारी	-	4	4	4	4	4	2	**22**
तम्मलम में बैंक की आवासीय कॉलोनी में बागवानी कर्मचारी	-	5	5	5	5	5	2	**27**
प्लामूडू में बैंक की आवासीय कॉलोनी में बागवानी कर्मचारी	-	1	1	1	1	1	1	**6**
नत्तंनकोड में बैंक की आवासीय कॉलोनी में बागवानी कर्मचारी	-	1	1	1	1	1	1	**6**
कुल	**-**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**8**	**83**

1.1 उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से बैंक की वर्तमान आवश्यकता को एक सप्ताह में वितरित रूप में परिभाषित करती है और बोली लगाने वाले इस आवश्यकता के आधार पर दरें पेश करेंगे। अतः, वार्षिक कुल ड्यूटी की अनुमानित आवश्यकता लगभग '4329' होगी और मासिक ड्यूटी की औसत संख्या लगभग '361' होगी। विभिन्न परिसरों और श्रमिकों की श्रेणियों के अनुसार वार्षिक ड्यूटी का विस्तृत विभाजन नीचे तालिका में दिया गया है। बैंक को कार्य प्रदान करने से पहले या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। जब बैंक ड्यूटी की संख्या में ऐसे परिवर्तन करता है, तो मासिक अनुबंध की राशि अनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी।

	हर साल सुपरवाइज़र के काम की संख्या	हर साल वर्कर्स के काम की संख्या
बेकरी जंक्शन पर मुख्य कार्यालय परिसर	313*	835*
कवडियार, तम्मलम, प्लामूडू, नंत्तनकोड में आवासीय कॉलोनियां		3181*
कुल		4329*

* चार राष्ट्रीय अवकाश शामिल हैं: 26 जनवरी , 1 मई , 15 अगस्त , 2 अक्टूबर

2.2 ठेकेदार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अर्ध-कुशल श्रेणी में आएगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी श्रमिक 'अकुशल' श्रेणी (क्षेत्र बी) में आएंगे, जो उन श्रमिकों में शामिल हैं जो "सड़क या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन निर्माण कार्यों में, जिसमें भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलिग्राफ और विदेशी संचार केबल तथा इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, बिजली की लाइने, जल आपूर्ति लाइने और सीवर पाइप लाइन" में कार्यरत हैं, जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (क) के कार्यालय से 25 सितंबर 2025 को जारी सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित वेतन संशोधन केवल उपरोक्त श्रेणी के सन्दर्भ में होगा।

2.3 मूल्य बोली में ठेकेदार द्वारा दी गई उद्धरण स्थिर और अंतिम होगी और बैंक, ठेका अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे को स्वीकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि न्यूनतम मजदूरी के केवल दो घटकों में परिवर्तन होने पर यानी मूल दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA), जैसा कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। मासिक ठेका राशि में इस प्रकार की वृद्धि की राशि, मासिक

कार्यों के अनुपात में, केवल मूल दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) में वृद्धि तक सीमित होगी और अन्य किसी भी घटक जो मजदूरी या भत्ता का हिस्सा हैं और जो कानूनी प्रकृति के हैं जैसे ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि, जो मूल दर और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) पर निर्भर करते हैं, बैंक द्वारा मासिक ठेका राशि में संशोधन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। ठेकेदार को इन वैधानिक घटकों के संभावित बढ़ाव को बेसिक दरों के अलावा VDA में शामिल करके ध्यान में रखना होगा और ऐसे तरीके से सर्वोत्तम दरें प्रस्तुत करनी होंगी ताकि इन अतिरिक्त लागतों को मूल्य बोली में समायोजित किया जा सके। न्यूनतम सेवा शुल्क का प्रस्ताव निश्चित घटक का 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। इस सीमा से नीचे कोई भी प्रस्ताव अमान्य माना जाएगा। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

खंड IX

प्रस्तावना

1. सफल निविदा स्वीकार करने वाला बैंक के साथ एक सेवा स्तर समझौते में प्रवेश करेगा, जिसमें भेजी जाने वाली कामगार, उनके कार्य समय और ऑन-कॉल उपलब्धता का विवरण शामिल होगा।
2. सभी कार्य ऑफिस की सुविधा अनुसार समय पर किए जाएंगे और बैंक को किसी भी प्रकार की बाधा या असुविधा नहीं होगी। ठेकेदार के पर्यवेक्षी कर्मचारी अपने स्टाफ को निर्देश देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए। सभी कर्मचारियों को यूनिफ़ॉर्म में होना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में केयरटेकर/सहायक केयरटेकर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। किए जाने वाले किसी भी बड़े कार्य या मरम्मत की जानकारी उन्हें तुरंत दी जानी चाहिए। सभी शिकायतों और किए गए सुधारात्मक कार्यों की रिपोर्ट का रखरखाव किया जाना चाहिए और उन्हें हर महीने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. मुख्य कार्यालय भवन और सभी आवासीय कॉलोनियों में बागवानी/माली कार्यों की निगरानी करने के लिए एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। पर्यवेक्षक को अतिरिक्त या कुशल श्रमिकों की व्यवस्था ऑन-कॉल आधार पर करने में सक्षम होना चाहिए। पर्यवेक्षक को आवश्यकतानुसार सभी बाहरी एजेंसियों के साथ कार्य समन्वय करने का भी जिम्मेदार होना चाहिए।
4. सभी कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड की पुलिस प्राधिकरणों द्वारा जांच करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। सभी अपने कर्मचारियों का विवरण सहित अनुपालन रिपोर्ट बैंक को रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत करनी होगी। सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जानी चाहिए।
5. इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ठेकेदार द्वारा किसी भी नाबालिग को लागू नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा उल्लंघन पाया जाता है, तो अनुबंध रद्द करने के अलावा, ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी उपाय भी शुरू किए जाएंगे।
6. ठेकेदार के सेवा कर्मियों को बैंक की परिसर के भीतर आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

विभिन्न सेवा कर्मियों के कर्तव्य और कार्य समय मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं:

पर्यवेक्षक (कुल प्रभारी)

समय – सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक (कार्य समय बैंक की सुविधा और प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा)

- ✓ बागवानी /बागबानी काम में पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए और मलयालम तथा अंग्रेजी में प्रवाह होना चाहिए।
- ✓ विनम्र और सभ्य व्यवहार वाला होना चाहिए।
- ✓ दैनिक संचालन के लिए केयरटेकर/सहायक केयरटेकर को रिपोर्ट करेगा।
- ✓ बगीचे/लॉन की सफाई, कर्मचारियों और वार्ड के सदस्यों के प्रति नैतिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा।
- ✓ अवसंरचनात्मक और कर्मियों से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्रिय होना चाहिए।
- ✓ वह/वह स्वयं उन कर्मचारियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा जो बागवानी और हेक्टोरकल्चर के काम सौंपे गए हैं।
- ✓ किसी भी मुद्दे के लिए बैंक के अधिकारियों के साथ संवाद करना चाहिए।

सहायक

समय – सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक (कार्य समय बैंक की सुविधा और प्रचलित श्रम नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा)

- ✓ हरियाली / बगीचा / लॉन आदि के रखरखाव, विकास और सुंदरता से संबंधित कार्य।
- ✓ पानी देना, खाद / उर्वरक / कीटनाशक / कीट नाशक का छिड़काव, शाखाओं / पत्तियों की छंटाई / छांटना आदि।
- ✓ पर्यवेक्षक / बैंक के परिचारक या अधिकृत अधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य करना।

खंड - X

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, जिसमें पर्याप्त मात्रा में असंसर्गीय पट्टियाँ और सूती ऊन शामिल हैं, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए आसानी से पहुँच योग्य स्थान पर रखा जाएगा।

2. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, घायल व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अस्पताल में तुरंत ले जाया जाएगा, जहाँ चोट के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।

3. उन सभी कार्यों के लिए, जिन्हें सुरक्षित रूप से जमीन स्तर से नहीं किया जा सकता, कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत फाटक (स्कैफोल्ड) प्रदान किए जाने चाहिए।

4. नियुक्त किए गए कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।किसी बिल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली जगह पर सही फेंसिंग लगाकर लोगों या सामान को गिरने से रोकने के लिए सही तरीके दिए जाएंगेया रेलिंग जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मी होगी।

5. किसी भी इमारत की मंजिल में या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर छेद पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त फेंसिंग या रेलिंग के माध्यम से उपयुक्त साधन प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर हो।

6. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी आठ मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेल्स के बीच की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और दो पास-पास की सिढ़ियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाए, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी को लगाया जाना चाहिए।

7. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई, जो भी ज़्यादा हो के अंदर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

8. किसी भवन की मंज़िल में या कार्य प्लेटफ़ॉर्म में किसी भी छेद पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से

रोकने के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान की जानी चाहिए; न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।

9. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य हिस्सा इस हद तक मलबे या सामग्री से ओवरलोड नहीं किया जाना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

10. एसे फर्श या सामग्री जैसे कि डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार को मिश्रण और संभालने वाले कर्मचारियों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

11. जो लोग वेल्डिंग कार्यों में लगे हैं उन्हें वेल्डर की सुरक्षात्मक आई शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

12. अग्रसारक या लेड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में।

13. जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाए या सतह पर लेड पेंट सूखकर रगड़ी और खुरचाई गई हो, तब कामगारों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क प्रदान किए जाएंगे।

14. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल प्रदान किए जाएंगे और कार्यरत चित्रकारों को कार्य के विराम के दौरान धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

15. कार्य में उपयोग की जाने वाली होइस्टिंग मशीनें और उनके उपकरण, संलग्नक, एंकरज और समर्थन पूरी तरह से कार्यक्षम स्थिति में होंगे।

16. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे करने में प्रयुक्त रस्सियां या निलंबन का साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त शक्ति का होगा और दोषमुक्त होगा।

खंड-XI

अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर उपयोग किए जाने वाले कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरण सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किए जाने चाहिए।
2. केवल ISI मार्केड 3 पिन प्लग और अन्य उपकरण एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. उपयोग किए जाने वाले विद्युत पावर केबल/वायरों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और वे सही रेटेड होने चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण जैसे कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को सुरक्षित रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए ताकि संचालन के दौरान leakage current से बचाव हो सके।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाना चाहिए और केवल फायर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।
6. साइट पर आसानी से उपलब्ध क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जानी चाहिए।
7. साइट पर फायर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए और जारी किए गए फ़ायर एक्सटिंगुइशर रखा जाना चाहिए।
8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को केवल निर्दिष्ट स्टोर में ही सही ढंग से बंद करने के बाद संग्रहित किया जाना चाहिए।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान के प्लग आदि, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, ठेकेदार द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रदान किए जाएंगे ताकि व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचा जा सके।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कार्यकर्ता इसे जमीन से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय पहनेंगे।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरा जमा करने या स्टैकिंग के लिए कोई मार्ग उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. जब उपकरण का उपयोग न किया जा रहा हो, तो मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए।
15. काम से उत्पन्न लकड़ी के टुकड़े और आरी के धूल को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।
16. काम से उत्पन्न किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।
17. कार्यालय समय के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठेकेदार द्वारा बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

अनुबंध ए

ग्राहक का प्रमाण पत्र जो बागवानी और उद्यान सेवाएँ प्रदान करने वाले ठेकेदार के प्रदर्शन के बारे में हो (ग्राहक द्वारा अपने पत्र शीर्षक पर जारी किया जाना चाहिए)

ग्राहक का नाम और पता:

मेसर्स ..... से प्राप्त सेवा का विवरण

क्रम सं	विवरण	टिप्पणियाँ
1	प्राप्त सेवा की प्रकृति	
2	संविदा संख्या और दिनांक	
3	करार की राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या	
6	संविदा के नियमों और शर्तों के पालन के बारे में टिप्पणी	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं)	
8	पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल रकम	
9	उस अथॉरिटी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया	
10	i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं)	बहुतबढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दर पर पेमेंट किया गया काम, अगर कोई हो	
11	i) क्या ठेकेदार आर्बिट्रेशन के लिए गया?	
	ii) अगर हाँ, तो दावे की कुल रकम	
	iii) कुल दी गई राशि	

12	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणी	
	a) तकनीकी दक्षता	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	b) वित्तीय सुदृढ़ता	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	c) जनशक्ति का जुटान	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) सामान्य व्यवहार	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
13	किसी भी अन्य जानकारी	

स्थान:

तारीखः

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

टिप्पणी:

i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और समक्ष हस्ताक्षरित हों।
ii) प्रत्येक प्रीक्वालिफिकेशन कार्य/कार्यों के लिए क्लाइंट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
iii) सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों या पीएसयू के मामले में अधिकारी / कार्यपालक अभियंता या समकक्ष के स्तर से नीचे न होने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।
iv) ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतानों के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित।
v) निजी संगठन द्वारा जारी क्लाइंट की रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए।
vi) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और समक्ष हस्ताक्षरित हों। क्लाइंट प्रमाणपत्र क्लाइंट के लेटरहेड पर होना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय केवल रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रति "mstcecommerce" पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)

अनुबंध बी
आपूर्तिकर्ता विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक	
तिरुवनंतपुरम	
ईसीएस / एनईएफटी के माध्यम से बिलों का भुगतान	
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं का विवरण	
फर्म / कंपनी का नाम *	
फर्म/कंपनी का प्रकार	
GSTIN. *	
स्थायी खाता संख्या (पैन)*: -	
डाक पता (पिन कोड के साथ)*	
संपर्क व्यक्ति *	
टेलीफोन नंबर (भूमि)	
मोबाइल नंबर *	
ईमेल आईडी *	
बैंक खाता संख्या*	
खाते का प्रकार*	
बैंक का नाम*	
शाखा का नाम*	
आईएफएससी कोड*	
भविष्य निधि पंजीकरण संख्या	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या	
एमएसएमई पंजीकरण संख्या	

क्या निविदाकर्ता के पास अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के साथ अनुबंध श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के तहत लाइसेंस है।		
दूसरे संगठनों के साथ इसी तरह की सेवा करने का अनुभव		
पिछले 3 सालों में दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन को दी गई सेवाएँ का कुल संविदा मूल्य	2022-2023	₹
	2023-2024	₹
	2024-2025	₹
पिछले तीन वर्षों का वित्तीय टर्नओवर	2022-2023	₹
	2023-2024	₹
	2024-2025	₹
अगर आप किसी भी समय किसी मुकदमे में शामिल हैं तो बताएं		
किसी भी अदालत में लंबित कोई भी नागरिक मामला है , विवरण दें।		

अनुबंध सी

ईएमडी भुगतान संदर्भ	
फर्म / कंपनी का नाम *	
मोबाइल नंबर	
भेजने वाले का बैंक खाता क्रमांक *	
भेजने वाले का IFSC कोड*	
ईएमडी की रकम दी गई:*	
भुगतान संदर्भ क्रमांक:*	
भुगतान की तारीख :*	
* से मार्क किए गए फ़ील्ड ज़रूरी तौर पर भरे जाने चाहिए।	

अनुलग्नक - डी

सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाए))

सं. _____ दिनांक _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम

महोदया

मेसेर्स _____(जिसे इसके बाद "ठेकेदार"कहा गया है) द्वारा दिनांक ..... की उनकी निविदा में निर्धारित या संदर्भित परस्पर सहमति से तय परिवर्तनों के अधीन संविदा तथा आपकी विशेष शर्तों के अनुसार, दिनांक..... की निविदा 'बैंक की विभिन्न संपत्तियों, तिरुवनंतपुरम में स्थित – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, (c) तम्मलम, (d) प्लामूडु और (e) नंत्तनकोड के लिए बागवानी और उद्यान सेवाओं के संविदा' के लिए आपके निविदा दिनांक _____ और उसके संदर्भ में उल्लिखित या निर्दिष्ट शर्तों और परिवर्तनों के अनुसार हमसे बैंक गारंटी के रूप में जमा किए जाने लायक ₹.....(रु. .....मात्र) की प्रतिभूति जमा राशि को स्वीकार करने के लिए सहमत होने के मद्देनज़र, हम ____ (बैंक का नाम) इस प्रकार वचन देते हैं और सहमत हैं:

1. हम यह प्रतिबद्ध करते हैं कि हम आपको क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे और समय-समय पर आपको क्षतिपूर्ति प्रदान करते रहेंगे, सीमा तक ₹.....(रु. .....मात्र) उस किसी भी हानि या नुकसान के लिए जो आपको हुई हो या हो सकती है, किसी भी उल्लंघन के कारण जो संविदाकार ने उक्त अनुबंध में निहित किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन किया हो, और यदि संविदाकार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य के निष्पादन में या अन्यथा किसी भी शर्तों और नियमों के पालन और प्रदर्शन में कोई चूक होती है, तो हम आपके द्वारा माँगे जाने पर तात्कालिक रूप से आपको वह राशि या राशियाँ भुगतान करेंगे, जो कुल मिलाकर उक्त राशि ₹.....(रु. .....मात्र) से अधिक नहीं हों, जो आपको संविदाकार की झूठी या असफल क्रियाओं के कारण आपके नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में दावा की जा सकती हैं।

2. इसके विपरीत किसी भी चीज़ के बावजूद, यह निर्णय कि ठेकेदार ने कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं और इससे आपको कितनी राशि का अधिकार है, हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपसे यह स्थापित करने को नहीं कह सकेंगे कि आपके इस गारंटी के तहत कितावे दावे हैं, बल्कि हम आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तुरंत ही उक्त राशि का भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी जारी रहेगी और मान्य रहेगी जब तक कि आपने ठेकेदार के आवेदन पर इसे मुक्त नहीं किया, उक्त अनुबंध की सापेक्षिक गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद और जब ठेकेदार ने उक्त संविदा के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा

कर लिया हो और उक्त अनुबंध के तहत कार्य की उचित पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो और एक "नो डिमांड सर्टिफिकेट" जमा किया हो, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी परिस्थिति में _____ के दिन के बाद प्रभाव में न रहे, बशर्ते आपकी कोई भी दावा या दावे जो कि उक्त तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर हमारे पास लिखित रूप में दर्ज या सूचित किए गए हों, बिना प्रभावित हुए हमारे खिलाफ लागू किए जा सकेंगे, भले ही उन्हें उक्त तारीख के बाद लागू किया जाए।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि उस समय तक बढ़ाने का संकल्प लेते हैं जब तक कि आपको आवश्यकता हो। इस संबंध में आपका निर्णय हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.आपको इस गारंटी को प्रभावी किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या ठेकेदार के प्रदर्शन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को किसी भी समय दिए जाने या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार के प्रति किसी रियायत या उक्त अनुबंध या किसी भी अन्य कार्य, मामले या चीजों में किसी भी बदलाव या संशोधन के द्वारा हमारी देयता से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत लेकिन यहां के प्रावधानों के लिए हमें हमारी देयता से मुक्त करने का प्रभाव होगा बशर्ते कि इसमें समाहित कोई भी बात हमारी देयता को₹.....(रु. .....मात्र) से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।

6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपकी ओर से ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने, बदलने या छोड़ने का निर्णय लें या ठेकेदार के विघटन, परिसमापन, दिवालियापन या मृत्यु के कारण, जैसा कि मामला हो, प्रभावित नहीं हो सकती है।

7. यहां निहित गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आप ऐसा कार्य करने के अधिकारी होंगे जैसे कि हम आपके प्रमुख ऋणदाता हैं और ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में, जिन्हें हमने यहाँ पूर्वोक्त रूप से गारंटीकृत किया है, और हम यहां स्पष्ट रूप से अपनी सभी गारंटी और अन्य अधिकारों, यदि कोई हों, को छोड़ते हैं, जो इस गारंटी की किसी भी प्रविधान के साथ किसी भी तरह असंगत हों।

8. हमारी उपरोक्त निर्दिष्ट अधिकतम जिम्मेदारी की सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों को कवर करेगी, जो उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले हैं या संबंधित हैं और जिनके लिए आपकी लिखित मांग इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से पहले छह महीनों के भीतर हम पर दर्ज की जाती है।

9. इस अनुबंध के तहत किसी भी सूचना को मांग या अन्य तरीके से हमारे स्थानीय पते पर विशेष कूरियर, टेलिक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है और यदि इसे डाक द्वारा भेजा गया है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक द्वारा भेज दिया गया हो।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान, आपको हमारे द्वारा पूर्व में दी गई किसी भी अन्य गारंटी (चाहे अन्य

के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) के लिए किसी सीमा के रूप में नहीं, बल्कि अतिरिक्त हैं और यह गारंटी ऐसा करने का इरादा नहीं रखती और न ही किसी ऐसी गारंटी को रद्द या सीमित करेगी।

11. इस गारंटी पर ठेकेदार या हमारे संगठन में किसी भी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही आपके संगठन में किसी बदलाव या किसी विलय या अवशोषण से यह प्रभावित होगी, बल्कि यह विलय या अवशोषित कंपनी या संस्था के लाभ के लिए जारी रहेगी और उपलब्ध एवं प्रवर्तनीय होगी।

12. बैंक द्वारा उक्त टेंडर की शर्तों को लागू करने में किसी भी प्रकार की सहनशीलता, कार्य या चूक या टेंडरकर्ता को किसी प्रकार की सुविधा दिखाना गारंटर की जिम्मेदारी को किसी भी तरह से समाप्त नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत गारंटर की बाध्यताएँ केवल तब समाप्त होंगी जब बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना दी जाए।

13. इस गारंटी की अवधि के दौरान यह अपरिवर्तनीय है और आपके लिखित पूर्व अनुमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।

14. हम यह भी सहमत होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप द्वारा लिखित में मांगी गई राशि को बिना किसी आपत्ति के चुकाएंगे, भले ही आपके और कॉन्ट्रैक्टर या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई भी अंतर, विवाद या असहमति मौजूद हो या उत्पन्न हो।

15. उपरोक्त में कही गई किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता ₹ ____ (₹ _____मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी की समाप्ति की तिथि से, यदि कोई विस्तार हो तो उस समय सहित, छह माह के भीतर इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर लिखित दावा नहीं किया जाता है, तो इस गारंटी के तहत आपका सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हमें मान लिया जाएगा कि हम सभी देयताओं से मुक्त और विमुक्त हो गए हैं, चाहे मूल गारंटी हमें लौटाई गई हो या नहीं।

16. हमारे बैंक के स्मारक और अनुच्छेदों के तहत हमें यह गारंटी आपके पक्ष में जारी करने का अधिकार है और हस्ताक्षरकर्ता को बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(ऊपर बताए गए बैंक के लिए और उसकी ओर से)

बैंक के लिए और की ओर से
(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

ऊपर बताए गए लोगों द्वारा बैंक की ओर से साइन, सील और डिलीवर किया गया, इनकी मौजूदगी में:

साक्षी 1

हस्ताक्षर
..... नाम
.....
पता .....

नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी आवश्यक होगी जहाँ इसे निष्पादित किया गया है और इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिनके हस्ताक्षर और प्राधिकरण की पुष्टि की जाएगी।

अनुबंध -ई

बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र

(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाए)

यह गारंटी पत्र इस ____ दिनांक ___ वर्ष दो हज़ार ____ को ____ (बैंककर्मी का नाम) के बीच बनाया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ (स्थान) में स्थित है और जिसका एक स्थानीय कार्यालय ___ में है (इसके बाद 'जामीनदार' कहा जाएगा), और भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम है, जिसका केंद्रीय कार्यालय सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में स्थित है (इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा)।

जहाँ _____ (जिसे आगे 'टेंडरकर्ता' कहा जाएगा) एक कंपनी है, जो ____ के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, बैंक के साथ ईमानदारी राशि के रूप में ₹_____ (₹ _ _ _मात्र) जमा करने के लिए बाध्य है, जो 'बैंक की विभिन्न संपत्तियों, तिरुवनंतपुरम में स्थित – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, (c) तम्मलम, (d) प्लामूडु और (e) नंत्तनकोड के लिए बागवानी और उद्यान सेवाओं के संविदा' के लिए उसके निविदा के संबंध में है और इसमें संलग्न विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार है।

जहाँ तक निविदाकर्ता ने निविदा दाताओं के निर्देशों और विशेष शर्तों के खंड IV, अनुच्छेद संख्या ____ के अनुसार नकद रूप में अर्जित धन की जमा राशि के बजाय _____ तक वैध बैंक गारंटी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब यह साक्ष्य है:

1 जैसाकि ऊपर उल्लेखित निविदाकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत निविदा के परिप्रेक्ष्य में, यह जमानतकर्ता बैंक को बिना किसी आपत्ति के, मांग पर उक्त राशि ₹_____ (₹ _ _ _मात्र) का भुगतान करने की गारंटी देता है, जो इस गारंटी पत्र की प्रस्तुति पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर देय होगी, जिसे निविदाकर्ता अपने निविदा से संबंधित earnest money के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।

2 यह गारंटी निविदाकर्ता की किसी भी अक्षमता या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतकर्ता की संरचना में किसी भी परिवर्तन या विघटन से प्रभावित नहीं होगी।

3 अगर निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है या उसके नियम और शर्तों में ऐसा बदलाव करता है जो बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं है, या बैंक ने निविदाकर्ता के साथ 'बैंक की विभिन्न संपत्तियों पर बागवानी और उद्यान सेवाओं के अनुबंध, तिरुवनंतपुरम में - (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकर जंक्शन, (b) रिज़र्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कवडियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, (c) तम्मलम, (d) प्लामूडू और (e) नंत्तनकोड' का आदेश देने का निर्णय लेने के बाद निविदाकर्ता उसके आदेश को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है, तो बैंक इस गारंटी के अंतर्गत किसी भी दावा करने का पात्र होगा।

बैंक का इस संबंध में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. गारंटर इस गारंटी को इसकी अवधि के दौरान रद्द नहीं कर सकता और न ही कर पाएगा, सिवाय इसके कि बैंक की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त हो।

5. उपरोक्त में जो कुछ भी शामिल है उसके बावजूद, गारंटर की गारंटी के तहत जिम्मेदारी केवल ₹ _____ (₹

_____ केवल) तक सीमित है।

6. यह गारंटी _____ तक प्रभावी और लागू रहेगी और बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना दिए जाने पर समाप्त हो जाएगी और प्रभावहीन हो जाएगी, ऐसे में यह गारंटी समाप्त मानी जाएगी।

7. गारंटर बैंक द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, चाहे टेंडरकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।

8. बैंक द्वारा उक्त टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में किसी भी प्रकार की सहनशीलता, कार्य या चूक, या टेंडरकर्ता के प्रति किसी भी प्रकार की उदारता प्रदर्शित करने से गारंटर की जिम्मेदारी किसी भी तरह से समाप्त नहीं होगी और इस गारंटी के तहत गारंटर की जिम्मेदारियाँ केवल बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना देने पर ही समाप्त होंगी।

9. उपरोक्त में कहीं कुछ भी कहा गया हो, इसके बावजूद, जब तक इस गारंटी के तहत गारंटर से लिखित में मांग या दावा _____ तक नहीं किया जाता है, उसके बाद गारंटर इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त रहेगा।

10. गारंटर को अपने अपने ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के अधीन इस गारंटी को जारी करने का अधिकार है और जमानतदार द्वारा दिए गए मुख्तारनामा के अधीन इस विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास आवश्यक अधिकार है।

उपर्युक्त बैंक के बदले और उसकी ओर से
हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(बैंक का नाम और मुहर)
के बदले और उसकी ओर से

शाखा प्रबन्धक
(बैंक की मुहर)

अनुबंध- एफ

पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के क्वालिफाइंग कामों की जानकारी

क्रमांक	फर्म/कंपनी का नाम और पता	कार्य का प्रकार	कार्य का संविदा मूल्य	काम समय पर पूरा हुआ या नहीं (शुरू होने की तारीख और पूरा होने की तारीख बताएं)	कार्य आदेश के अनुसार पूरा होने का समय@	फ़ैक्स/फ़ोन नंबर और फ़र्म का संपर्क व्यक्ति

(अगर ज़रूरी हो तो शीट संलग्न करें)

@कृपया कार्य आदेश की प्रति जमा करें।

तारीख:

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध- जी

बायो- डाटा फॉर्म / Bio- Data of workers employed by the contractor

(to be submitted in letter head of the contractor)

नाम / Name		स्व-सत्यापित पासपोर्ट साइज़ फोटो लगायें Affix Self-attested Passport size photograph
पिता का नाम / Father's Name		
जन्म तिथी / Date of Birth		
लिंग / Gender		
विवाह की स्थिति / Marital Status		
शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification		
वर्तमान पता / Current Address		
स्थाई पता / Permanent Address		
मोबाईल नं. / Mobile No.		
*आधार नं. / Aadhaar No.		
*पैन नं. / PAN No.		
*बैंक खाता विवरण / Bank Account Details	खाता संख्या/ Account No.- आई.एफ.एस.सी. कोड/ IFSC Code-	
*पी.एफ. (यू.ए.एन.) संख्या / PF (UAN) No.		
*ई.एस.आई.सी. (आई.पी.) नं. / ESIC IP No.		
नमूना हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान/ Specimen Signature or Thumb impression		

* *अनिवार्य दस्तावेज Mandatory documents*

उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और सहायक दस्तावेज संलग्न हैं।

The above details are verified by me and the supporting documents are enclosed.

ऑफिशियल सील के साथ हस्ताक्षर / Signature with official seal-

अधिकारी का नाम / Name of Official-

पदनाम / Designation-

स्थान / Place-

दिनांक / Date-

<u>अनुबंध- एच</u>

किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्म
(बैंक के पत्र शीर्ष पर)

स्थान:
तारीख:

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
केरल

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी और ज्ञान के अनुसार श्री/श्रीमती....., हमारे बैंक के ग्राहक, जिनका पता संक्षेप में उल्लेखित है, सम्मानीय हैं और किसी भी लेन-देन के लिए ₹.....(रुपए .....) तक अच्छी तरह से माना जा सकते हैं।

यह प्रमाणपत्र किसी भी प्रकार की गारंटी या बैंक या उसके किसी अधिकारी की जिम्मेदारी के बिना जारी किया गया है।

बैंक के लिए नाम, पदनाम और मुहर के साथ

टिप्पणी:-
(i) बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए
(ii) साझेदार फर्म के मामले में, बैंक में रिकॉर्ड किए गए सभी पार्टनर्स के नाम शामिल करने के लिए सर्टिफिकेट।

टिप्पणी:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए, सील करके भर्ती प्राधिकारी को संबोधित कवर में।

2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में उन सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए जो बैंक में दर्ज हैं।

अनुबंध – आई

बैंकों का विवरण

हमारे बैंक/बैंकों की डिटेल्स हैं:

एस. नं.		बैंक 1	बैंक 2
1	बैंक का नाम		
2	शाखा का नाम और उसका पूरा पोस्टल पता		
3	शाखा प्रबन्धक का नाम, उसका टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर आदि		
4	खाते का प्रकार		
5	खाता संख्या		
6	खाता धारक का नाम		
7	आईएफएससी कोड		
8	क्या क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है		
9	खाता खोलने की तिथि		

#हर बैंक का रद्द किया हुआ चेक अटैच करें।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
फर्म/कंपनी का नाम मुहर सहित

अनुबंध– जे

संविदात्मक श्रमिक नियमावली/विनियमावली के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का प्रोफार्मा

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम:695 033

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं / हम इस प्रकार यह प्रतिज्ञा करते हैं कि बैंक की विभिन्न संपत्तियों जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं – (a) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन (b) रिजर्व बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, कोडियार और रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (c) थमलम (d) प्लामूडू और (e) नंथाकोड में बागवानी और बागबानी सेवाओं के, से 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक, वार्षिक रखरखाव अनुबंध को पूरा करने के लिए मेरे / हमारे द्वारा लगे सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करेंगेउस दर पर जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम न हो और यह सुनिश्चित करें कि CLRA अधिनियम, 1970 के तहत आवश्यक सुविधाओं का पालन हो और प्रधान नियोक्ता (भारतीय रिजर्व बैंक) को सभी ऐसे कार्यों के खिलाफ सुरक्षित रखें जो मेरे / हमारे द्वारा मजदूरी का भुगतान न करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान न करने पर सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा प्रधान नियोक्ता (भारतीय रिजर्व बैंक) के खिलाफ शुरू किए जा सकते हैं।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर: .....।

नाम: .....।

पता: .....।
.....
.....
तारीख: .....

मुहर

(ऊपर दी गई घोषणा 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाना है)

अनुबंध- के

निविदा के भाग-1 के साथ MSTC पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्रमांक।	दस्तावेजों का विवरण	जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं*) *कृपया सही कारण बताएं
1	बैंक द्वारा जारी किया गया निविदा दस्तावेज़ – ठीक से भरा हुआ, स्टैम्प लगा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ (सभी परिशिष्ट, बोलीपूर्व बैठक के मिनट्स और अगर कोई हो तो सुधार-सूचना के साथ)	
2	कंपनी की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकृत करना	
3	₹90,000/- की ईएमडी रकम भेजने के सबूत के तौर पर एनईएफटी रसीद/बीजी की कॉपी	
4	व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों / पार्टनरशिप डीड / पंजीकरण का दूसरा ज़रूरी प्रमाणपत्र	
5	निविदा दाता वाले की जानकारी (परिशिष्ट -B में दिए गए फॉर्मेट में) और साथ ही सभी डायरेक्टर और ज़िम्मेदार अधिकारियों/पार्टनर/शामिल लोगों की जानकारी।	
6	पैन कार्ड और दूसरे आयकर से जुड़े दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ	
7	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
8	MSMED पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, अगर कोई हो	
9	ईपीएफ पंजीकरण की प्रति	
10	ईएसआईसी पंजीकरण की प्रति	
11	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस की प्रति, अनुबंध श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के साथ पढ़ें	
12	इसी तरह के काम करने में 5 साल से ज़्यादा के अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश और समाप्ति प्रमाणपत्र	
13	पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए समान योग्य कार्यों का विवरण ग्राहकों के संपर्क विवरण के साथ (नीचे दिए गए प्रारूप में) अनुलग्नक-ई)	
14	पिछले 5 सालों में पूरे किए गए सभी मिलते-जुलते पात्र कामों के लिए कार्य आदेश	
15	ग्राहक प्रमाणपत्र (परिशिष्ट A में दिए गए प्रारूप में)	

16	निजी संगठन द्वारा जारी सभी क्लाइंट प्रमाणपत्र के भुगतान के सबूत के तौर पर TDS प्रमाण पत्र की प्रति	
17	पिछले 5 सालों में पूरे किए गए सभी ऐसे ही पात्रता कामों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र	
18	किसी भी सेंटर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने का पिछला अनुभव, अगर कोई हो, तो उसके लिए कार्य आदेश	
19	पिछले 5 सालों के लेखा परीक्षित वित्तीय पत्रककी प्रति और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जारी प्रमाणपत्र जिसमें पिछले 5 सालों का टर्नओवर दिखाया गया हो।	
20	पिछले 5 सालों के आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र / आयकर असेसमेंट आदेश / आयकर परतावे की प्रति	
21	बैंक खाते की जानकारी और बैंक(बैंकों) की संपर्क जानकारी	
22	निविदाकर्ता के बैंकर्स द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से जारी सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए जारी किया गया हो, ताकि निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिरता का संकेत दिया जा सके।	
23	केरल में स्व-स्वामित्व वाले पूर्ण सेवा सेटअप/बैक ऑफिस/प्रशासनिक कार्यालय होने के समर्थन में वैध दस्तावेज़	
24	किसी भी आधार पर किसी भी संगठन द्वारा अदालत में दोषी न ठहराए जाने या निलंबित/ब्लैकलिस्ट न किए जाने का अंडरटेकिंग।	
25	सभी लंबित नागरिक मुकदमे का ब्यौरा, अगर कोई हो	
26	व्यावसायिक शर्तें और नियम में अगर कोई बदलाव हो, तो उसकी लिस्ट	
27	तकनीकी विशिष्टताएँ में अगर कोई विचलन है, तो उसकी सूची	
28	अन्य संबंधित दस्तावेज़, यदि कोई हों, 1) ---------- 2) ----------	

तारीख:

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में बागवानी और बागवानी सेवाओं के लिए ई-टेंडर

भाग-II
मूल्य बोली

जमा करने की आखिरी तारीख:	**27 फरवरी, 2026 (मध्याह्न 2:00 बजे तक)**
निविदा की वैधता:	**निविदा के भाग -I के खोलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैधता का आगे विस्तार**
बोलीपूर्व बैठक (ऑफ़लाइन):	**13 फरवरी 2026 को अपराह्न 3:00 बजे**

भाग – II

मूल्य बोली (प्रारूप I)

अमूल्यित मात्रा बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

तिरुवनंतपुरम में स्थित बैंक की विभिन्न संपत्तियों के लिए बागवानी और उद्यान कार्यों के लिए कुल शुल्क - (ए) मुख्य कार्यालय परिसर, बेकरी जंक्शन, (बी) रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, कवड़ियार और रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर (सी) तम्मलम, (डी) प्लामूडू और (ई) नंत्तनकोड

क्रम संख्या	वस्तु	मात्रा	माप की इकाई	गुणन कारक
बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में मुख्य कार्यालय परिसर के लिए शुल्क				
1	**निश्चित घटक** बोली लगाने वाले को इस घटक के लिए दरें नहीं बतानी चाहिए। कुल कर्मचारियों के **12** महीनों के सकल वेतन: इस राशि में न्यूनतम वेतन (बेसिक वेतन) (साथ ही परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) हाउसकीपिंग स्टाफ (अकुशल) और पर्यवेक्षक (अर्ध-कुशल) भारत सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार**,** लागू कर्मचारी राज्य बीमा (**ESI),** कर्मचारी भविष्य निधि (**EPF), EDLI** और प्रशासनिक शुल्क**,** और बोनस शामिल हैं। [बोली लगाने वाले को अपने कर्मचारियों के लिए **EPF, ESI** और बोनस में योगदान देने का घोषणा-पत्र प्रदान करना होगा**;** यदि नहीं**,** तो संबंधित राशि स्थिर घटक से घटा दी जाएगी]।			

	कर्मचारी की श्रेणी	प्रति वर्ष कर्तव्यों की संख्या (तालिका नंबर एक)	प्रति वर्ष कुल वेतन (GST को छोड़कर)	प्रति वर्ष कुल राशि (GST सहित) पूर्णांकित
1	सहायक (अकुशल)	835	₹9,86,989/-	₹11,64,647/-
2	पर्यवेक्षक (अर्द्ध कुशल)	313		

2.	**<u>परिवर्ती घटक:</u>** बोलीदाता MSTC वेबसाइट पर अपनी इच्छित राशि जीएसटी को छोड़कर उद्धृत कर सकता है, जिसमें आवश्यक कर्मचारियों की संख्या को प्रदान करने के लिए सेवा शुल्क शामिल हैं जैसा कि पार्ट I में उल्लेख किया गया है, जिसमें ठेकेदार के ओवरहेड चार्ज (न्यूनतम वेतन/बोनस से ऊपर का वेतन लागत) और मुनाफा शामिल है, साथ ही सफाई सामग्री की खरीद, बीमा शुल्क (कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी, थर्ड पार्टी दायित्व पॉलिसी), कर्मचारियों को वर्दी और पहचान पत्र प्रदान करने के शुल्क या 12 महीनों के लिए लागू किसी अन्य खर्च जैसे आइटम शामिल हैं। [न्यूनतम सेवा शुल्क का उद्धरण फिक्स्ड कंपोनेंट का 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। थ्रेशोल्ड से नीचे किसी भी उद्धरण को अमान्य माना जाएगा।]	कृपया MSTC वेबसाइट पर साल के लिए दर का प्रस्ताव दें, GST को छोड़कर। (सिस्टम स्वचालित रूप से 18% पर GST की गणना करेगा)

कवड़ियार, तम्मलम, प्लामूडू और नंत्तनकोड में बैंक की आवासीय कॉलोनियों के लिए शुल्क

3

<u>निश्चित घटक</u>

इस घटक के लिए बोलदाता को दरें नहीं बतानी चाहिए। कुल कर्मचारियों के 12 महीने के सकल वेतन: यह राशि मूल वेतन (न्यूनतम) (साथ ही परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) हाउसकीपिंग स्टाफ (अकुशल) और पर्यवेक्षक (सेमी-कुशल) के लिए भारत सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार प्रयोज्य कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), EDLI और प्रशासनिक शुल्क और बोनस सहित है। [बोलदाता को अपने कर्मचारियों को EPF, ESI और बोनस में योगदान देने के लिए घोषणा प्रदान करनी होगी; यदि नहीं, तो संबंधित राशि स्थिर घटक से घटा दी जाएगी।]

	की श्रेणी कर्मचारी	प्रति वर्ष कर्तव्यों की संख्या (तालिका 2)	प्रति वर्ष कुल वेतन (GST को छोड़कर)	प्रति वर्ष कुल राशि (GST सहित) पूर्णांकित
1	सहायक (अकुशल)	3181	₹26,49,671/-	₹31,26,612/-
2	पर्यवेक्षक (अर्द्ध कुशल)	--		

4	**<u>परिवर्ती घटक:</u>** बोलीदाता MSTC वेबसाइट पर अपनी इच्छित राशि जीएसटी को छोड़कर उद्धृत कर सकता है, जिसमें आवश्यक कर्मचारियों की संख्या को प्रदान करने के लिए सेवा शुल्क शामिल हैं जैसा कि पार्ट I में उल्लेख किया गया है, जिसमें ठेकेदार के ओवरहेड चार्ज (न्यूनतम वेतन/बोनस से ऊपर का वेतन लागत) और मुनाफा शामिल हैं, साथ ही सफाई सामग्री की खरीद, बीमा शुल्क (कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी, थर्ड पार्टी दायित्व पॉलिसी), कर्मचारियों को वर्दी और पहचान पत्र प्रदान करने	कृपया MSTC वेबसाइट पर साल के लिए दर का प्रस्ताव दें, GST को छोड़कर। (सिस्टम स्वचालित

	के शुल्क या 12 महीनों के लिए लागू किसी अन्य खर्च जैसे आइटम शामिल हैं। [न्यूनतम सेवा शुल्क उद्धरण निश्चित घटक का 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। थ्रेशोल्ड से नीचे की कोई भी उद्धरण अमान्य मानी जाएगी।]	रूप से 18% GST की गणना करेगा)

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियों में बागवानी और बागवानी कार्यों के लिए विस्तृत अनुमान 2026-27

तालिका 1: <u>मुख्य कार्यालय भवन</u>

एसएल नं.	विवरण		प्रतिशत	सालाना तादाद	इकाई	दर	कुल
	RBI मुख्य कार्यालय भवन में बागवानी और उद्यान सेवाएँ प्रदान करने के लिए वार्षिक शुल्क						
1	ए	न्यूनतम मूल वेतन (BW) प्लस परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA)-**पर्यवेक्षक**		313	कर्तव्यों की संख्या	760.00	237880.00
	बी	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%	313	कर्तव्यों की संख्या	24.70	7731.10
	सी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित VDA	15,000 रुपये का 13%	12	कर्तव्यों की संख्या	1950.00	23400.00
	डी	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%	313	कर्तव्यों की संख्या	63.31	19816.03
	ई	न्यूनतम मूल मजदूरी (बीडब्ल्यू) प्लस परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) - **कर्मचारी**		835	कर्तव्यों की संख्या	674.00	562790.00
	एफ	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%	835	कर्तव्यों की संख्या	21.91	18294.85
	जी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित VDA	15,000 रुपये का 13%	36	कर्तव्यों की संख्या	1950.00	70200.00
	एच	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%	835	कर्तव्यों की संख्या	56.14	46876.90
	'1' का उप कुल (राउंड ऑफ) (GST को छोड़कर)						**986989.00**

तालिका 2: <u>आवासीय कॉलोनियाँ</u>

एस एल नं.		विवरण	प्रतिशत	सालाना तादाद	इकाई	दर	कुल
	RBI आवासीय कॉलोनियों (4) में बागवानी और बागबानी सेवाएँ देने के लिए सालाना शुल्क						
1	ए	न्यूनतम मूल वेतन (BW) प्लस परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA)-**पर्यवेक्षक**			कर्तव्यों की संख्या	760.00	0.00
	बी	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%		कर्तव्यों की संख्या	24.70	0.00
	सी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित VDA	15,000 रुपये का 13%		कर्तव्यों की संख्या	1950.00	0.00
	डी	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%		कर्तव्यों की संख्या	63.31	0.00
	ई	न्यूनतम मूल वेतन (BW) प्लस परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA)- **कर्मचारी**		3181	कर्तव्यों की संख्या	674.00	2143994.00
	एफ	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) @ मूल वेतन का 3.25% प्लस वी.डी.ए	3.25%	3181	कर्तव्यों की संख्या	21.91	69695.71
	जी	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) @ मूल वेतन के 13% सहित VDA	15,000 रुपये का 13%	132	कर्तव्यों की संख्या	1950.00	257400.00
	एच	बुनियादी वेतन के 8.33% के बोनस के साथ वीडीए	8.33%	3181	कर्तव्यों की संख्या	56.14	178581.34
	'2' का उप कुल (राउंड ऑफ)						**2649671**

टिप्पणी:

1. प्रस्तावित किए जाने वाले सभी मूल्य 'यूनिट मात्रा' के लिए हैं, जो जीएसटी को छोड़कर होंगे। हालांकि, प्रस्तावित दरों पर 18% की दर से जीएसटी स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी और इसे बोली लगाने वाले रीयल-टाइम में देख सकते हैं।

2. विशेष कार्य को 'कार्य अनुबंध की सम्मिलित आपूर्ति' के रूप में माना जाता है, जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद 119 में परिभाषित है।

3. निविदा कर्ता जीएसटी @ 18% या बैंक को प्रस्तुत चालान में जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार चार्ज कर सकते हैं।